दृष्टि The Vision

# करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

## मार्च भाग-2

## 2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

# अनुक्रम


**संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम** **7**

- राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति विवाद 7
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 8
- एमपीलैड कार्यक्रम 9
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 10
- विनियोग विधेयक 12
- उड़ान 4.1 13
- एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2021 15
- संपत्ति क्षति वसूली विधेयक- हरियाणा 16
- वाहन स्क्रैपिंग नीति 19
- अनुदान की अनुपूरक मांग 20
- डिप्थीरिया के मामलों में वृद्धि 21
- ग्राम उजाला कार्यक्रम 23
- अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोड़फुकन 24
- शहीदी दिवस 26
- डॉ. राम मनोहर लोहिया 27
- राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020 28


**नोट :**

- भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियाँ 30
- संविधान (125वाँ संशोधन) विधेयक, 2019 32
- चुनावी बॉण्ड 34
- हेट क्राइम 36
- आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति 38
- उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश 40
- गढ़वाल के किले 41
- महाराजा छत्रसाल 42
- स्वास्थ्य: समवर्ती सूची में स्थानांतरण 44

**आर्थिक घटनाक्रम 46**

- बैंक ऋण और जमा में वृद्धि: RBI 46
- 'राष्ट्रीय गैर-लौह धातु स्क्रैप रिसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020' 47
- मुद्रास्फीति डेटा: फरवरी 2021 49
- डिफॉल्टर्स की बैक-डोर एंट्री पर प्रतिबंध 50
- रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूसा- FSF 52
- भारतीय रिज़र्व बैंक का खुला बाज़ार परिचालन 53
- नए बैंक लाइसेंसों की स्क्रीनिंग के लिये नई समिति 55
- मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन 56
- कौशल प्रमाणन 58
- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 59
- बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 61


**नोट :**

दृष्टि The Vision

- भारत के लिये हीलियम संकट 62
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन की सिफारिश 64

**अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम** **67**

- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' 67
- भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) महिला फोरम की बैठक 68
- गांधी शांति पुरस्कार 70
- स्थायी सिंधु आयोग 71
- भारत-दक्षिण कोरिया: मैत्री पार्क 73
- भारतीय परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा जापान 75

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** **77**

- पावर ट्रांसमिशन केबल्स की निगरानी हेतु नई तकनीक 77
- गतिशील ब्लैकहोल 78
- डबल म्यूटेंट' कोरोना वायरस वेरिएंट 79
- निसार : नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन 81

**पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण** **83**

- सीबकथॉर्न प्लांटेशन 83
- जल से भारी धातुओं का निष्कासन 84
- विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2020 86
- जलवायु वित्त 89
- आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिये गठबंधन 90


**नोट :**

- एक-सींग वाला गैंडा 91
- नेट ज़ीरो उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन 93
- अफ्रीकी हाथी 95
- दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज 97

**भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 99**

- मुल्लापेरियार बाँध 99
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 100
- केन-बेतवा लिंक परियोजना 102

**सामाजिक न्याय 104**

- NCC अधिनियम में संशोधन संबंधी केरल उच्च न्यायालय का आदेश 104
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 105
- स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 108
- कोविड के कारण गरीबी में वृद्धि: प्यू रिपोर्ट 109
- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 111
- स्वास्थ्य का अधिकार 112
- वैश्विक जल संकट : यूनिसेफ 114
- राज्यों की आरक्षण कोटा सीमा 117
- असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020: ऑक्सफैम 118
- किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 120
- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 : विश्व बैंक 122


**नोट :**

दृष्टि The Vision

**आंतरिक सुरक्षा** 125

- म्याँमार से अवैध अंतर्वाह 125
- भारत के हथियार आयात में गिरावट: SIPRI 126

**चर्चा में** 128

- भादर बाँध: गुजरात 128
- कथकली उस्ताद गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमण नायर 128
- प्रोजेक्ट 'RE-HAB' 129
- केन्या-सोमालिया विवाद 131
- अंतर-संसदीय संघ 131
- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व: उत्तर प्रदेश 132
- अनंगपाल द्वितीय : तोमर राजवंश 133
- यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव 133
- रणथंभौर बाघ अभयारण्य: राजस्थान 135
- कुंभ मेला: हरिद्वार 136
- सुंदरबन 136
- शिगमोत्सव: गोवा 137
- एन.वी. रमना: भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश 139
- अर्थ ऑवर 140
- केप ऑफ गुड होप 141

**विविध** 142

दृष्टि The Vision

**नोट :**

# संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

## राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति विवाद

### चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक निर्णय में कहा है कि नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये, ताकि चुनाव आयुक्त के कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

### प्रमुख बिंदु

#### पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध गोवा सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की जा रही थी।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को चुनाव कार्यक्रम जारी करने से पूर्व संविधान में निर्धारित जनादेश का पालन करने हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने के लिये फटकार लगाई थी।
  - इसके अलावा उच्च न्यायालय ने गोवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गईं कुछ नगरपालिका चुनाव अधिसूचनाओं पर भी रोक लगा दी थी।
  - बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तक विस्तृत है।
- कार्यवाही के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि गोवा राज्य के विधि सचिव को राज्य निर्वाचन आयोग का 'अतिरिक्त प्रभार' सौंपा गया था।

#### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- केवल स्वतंत्र व्यक्ति को ही चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, न कि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को।
  - सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार देना संविधान का उपहास करने जैसा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करने का निर्देश दिया।
- यदि राज्य सरकार के कर्मचारी ऐसा कोई निष्पक्ष कार्यालय (राज्य सरकार के अधीन) ग्रहण करते हैं, तो उन्हें चुनाव आयुक्त पद का कार्यभार संभालने से पूर्व अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
- न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को पूर्णकालिक चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे।

#### राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

- राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 243 (K) (1): संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिये निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित हैं।
  - नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243(Z)(A) में शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243(K)(2): इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ और कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। अनुच्छेद के मुताबिक, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है।

नोट :

## सुझाव

### दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशों के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) को एक कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) को एक मंच पर लाने के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे दोनों संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके, दोनों एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और संसाधन साझा कर सकें।

### चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट

- विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में अनुच्छेद 324 में एक नया उपखंड जोड़ने की बात कही थी, ताकि लोकसभा/ राज्यसभा सचिवालय (अनुच्छेद 98) की तर्ज पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को भी एक नया सचिवालय प्रदान किया जा सके।
- राज्य निर्वाचन आयोगों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव के लिये भी इसी तरह के प्रावधान किये जा सकते हैं।

---

# स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ' (वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक) को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है।

- 31 अक्तूबर 2020 को गुजरात में भारत की पहली सीप्लेन सेवा (First Seaplane Service) शुरू हुई। यह अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट (Sabarmati Riverfront) को केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) से जोड़ती है।

## प्रमुख बिंदु:

### स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में:

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिये इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 'रखा गया है।
- सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2018 को इसका उद्घाटन किया गया।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊँची (182 मीटर) मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा (Spring Temple Buddha statue) से 23 मीटर ऊँची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मीटर लंबा) की ऊँचाई की लगभग दोगुनी है।

- जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के आठ अजूबों में शामिल किया गया था।

### अवस्थिति:

- यह नर्मदा नदी जो कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, के साधू बेट द्वीप (Sadhu Bet island) पर स्थित है।

### डिज़ाइन:

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रतिमा का जटिल कांस्य क्लैडिंग कार्य चीनी फाउंड्री, जियांग्शी टॉकाइन कंपनी (Jiangxi Toqine Company- JTQ) द्वारा किया गया।

## सरदार वल्लभ भाई पटेल:

### जन्म:

- सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था।

### उपलब्धियाँ:

- सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने।
- वह भारतीय संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों के प्रमुख रहे:
    - मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति।
    - अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त समिति।
    - प्रांतीय संविधान समिति।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में खेड़ा सत्याग्रह (1918) और बारदोली सत्याग्रह (1928) के मुद्दों पर किसानों को एकत्रित करना।
- बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है ' प्रमुख या नेता'।
- भारतीय रियासतों को भारतीय महासंघ में एकीकरण के लिये राज़ी करने तथा इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सरदार पटेल को 'भारत के लौह पुरुष' (Iron Man of India) के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने भारत को एक अग्रणी भारत (श्रेष्ठ भारत) बनाने हेतु भारतीय लोगों से एकजुट होने का अनुरोध किया।
- यह विचारधारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत पहल (Atmanirbhar Bharat Initiative) के रूप में परिलक्षित है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
- सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु 'भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत' (Patron Saint of India's Civil Servants) के रूप में भी जाना जाता है।

### मृत्यु:

- सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर, 1950 को बॉम्बे (वर्तमान मुंबई ) में हुई।

# एमपीलैड कार्यक्रम

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गोवा की ग्राम पंचायतों में 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) की धनराशि वितरित की गई है ।

- वर्तमान में MPLADS फंड योजना ( कोविड-19 महामारी के कारण) जिसके अंतर्गत महामारी से पूर्व निर्धारित धनराशि का आवंटन किया जाना था, निलंबित है।

## प्रमुख बिंदु:

### MPLAD के बारे में:

- MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
- प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के अंतर्गत किया गया जिसे अक्तूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) को स्थानांतरित कर दिया गया।

### कार्य पद्धति:

- MPLADS के तहत संसद सदस्यों (Member of Parliaments- MPs) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो किश्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है।
- लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परियोजनाओं (district authorities projects) में व्यय करने की सिफारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा संसदों द्वारा इस राशि का उपयोग उस राज्य क्षेत्र में किया जाता है जहाँ से वे चुने गए हैं।
- राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं।

### प्राथमिक परियोजनाएँ:

- इन परियोजनाओं में पीने के पानी की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना शामिल है।
- जून 2016 से MPLAD फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan), सुगम्य भारत अभियान (Sugamya Bharat Abhiyan), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और संसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Aadarsh Gram Yojana) आदि योजनाओं के कार्यान्वयन में भी किया जाता है।

### आलोचना:

- कार्यान्वयन में चूक: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India-CAG) द्वारा खर्च की गई राशि के वित्तीय कुप्रबंधन और कृत्रिम मुद्रास्फीति के उदाहरणों को चिह्नित किया गया है।
- वैधानिक समर्थन नहीं: इस योजना को किसी भी सांविधिक कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि इसका क्रियान्वयन तत्कालीन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
- निगरानी और विनियमन: यह योजना विकास में भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई थी लेकिन भागीदारी के स्तर को मापने के लिये कोई संकेतक उपलब्ध नहीं है।
- संघवाद का उल्लंघन: MPLADS स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है जो संविधान के भाग IX और IX-A का उल्लंघन है।
- शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से टकराव: संसद सदस्यों का कार्यकारी कार्यों (Executive Functions) में हस्तक्षेप बढ़ रहा है।

### संवैधानिकता पर बहस:

- संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, 2002: आयोग द्वारा MPLADS योजना को इस आधार पर तत्काल बंद करने की सिफारिश की गई कि यह केंद्र और राज्य के मध्य संघवाद और शक्तियों के वितरण के मामले में तर्कसंगत नहीं है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट "शासन में नीतिशास्त्र", 2005: रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को गंभीरता से प्रभावित करती है, क्योंकि इसके तहत विधायिका प्रत्यक्ष तौर पर कार्यकारी शक्तियाँ और भूमिका ग्रहण कर लेती है।
- वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि इस मामले में एक सांसद की भूमिका अनुशंसात्मक है और वास्तविक कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है जो कि कार्यपालिका के अंग है।

## दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में संशोधन के लिये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया।

- इसका उद्देश्य दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के दायित्वों को और अधिक स्पष्ट करना है।

## प्रमुख बिंदु

### विधेयक के प्रावधान

- 'सरकार' का अर्थ 'उपराज्यपाल': विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में संदर्भित 'सरकार' का अर्थ उपराज्यपाल (LG) से होगा।
- उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार: यह विधेयक उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, जहाँ कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को दिया गया है।
- उपराज्यपाल से विमर्श: यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी 'राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए।
- प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में: संशोधन के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार करने अथवा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में स्वयं को सक्षम करने के लिये कोई नियम नहीं बनाएगी।

### संशोधन की आवश्यकता

- संरचनात्मक स्पष्टता के लिये: विधेयक के 'उद्देश्य और कारणों' को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, वर्ष 1991 के अधिनियम में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन से संबंधित प्रावधान किये गए हैं, हालाँकि उक्त खंड के प्रभावी समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये कोई संरचनात्मक तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।
    - इसके अलावा इस बारे में भी स्पष्टता नहीं है कि आदेश जारी करने से पूर्व किस प्रकार के प्रस्ताव अथवा मामलों को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।
    - 1991 के अधिनियम की धारा 44 में कहा गया है कि उपराज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ, चाहे वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर हों अथवा नहीं, उपराज्यपाल के नाम पर ही की जाएंगी।

### घटनाओं की पृष्ठभूमि

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य किसी भी मुद्दे पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
    - हालाँकि न्यायालय ने कहा था कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना आवश्यक होगा।
    - मंत्रिपरिषद की सलाह उपराज्यपाल के लिये बाध्यकारी है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल की स्थिति किसी अन्य राज्य के राज्यपाल जैसी नहीं है, बल्कि सीमित अर्थ में वह केवल एक प्रशासक है।
    - खंडपीठ ने यह भी कहा था कि निर्वाचित सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद दिल्ली सरकार ने किसी भी निर्णय के लागू होने से पूर्व उपराज्यपाल के पास कार्यकारी मामलों की फाइलें भेजना बंद कर दिया था।
    - दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को सभी प्रशासनिक घटनाक्रमों से अवगत तो करा रही थी, किंतु यह कार्य किसी भी निर्णय को लागू करने या निष्पादित करने के बाद किया जा रहा था, न कि उससे पूर्व।
    - यदि केंद्र सरकार हालिया संशोधन को मंजूरी दे देती है, तो निर्वाचित सरकार के लिये मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व उपराज्यपाल की सलाह लेना आवश्यक हो जाएगा।

### दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991

- एक विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति 69वें संविधान संशोधन अधिनियम का परिणाम है, जिसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239BB शामिल किये गए थे।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के पूरक के रूप में पारित किया गया था।

- सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये यह अधिनियम दिल्ली विधानसभा की शक्तियों, उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और उपराज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

# विनियोग विधेयक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने विनियोग विधेयक को मंज़ूरी दी है, इससे केंद्र सरकार भारत की संचित निधि से धनराशि की निकासी कर सकेगी।

### प्रमुख बिंदु:

- विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है।
  - संविधान के अनुच्छेद-114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।
  - निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च को पूरा करने के लिये किया जाता है।
- अनुसरित प्रक्रिया:
  - विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है।
    - संसदीय वोटिंग में विनियोग विधेयक के पारित न होने से सरकार को इस्तीफा देना होगा तथा आम चुनाव कराना होगा।
  - एक बार जब यह लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, तो इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है।
    - राज्यसभा की शक्तियाँ:
    - राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। हालाँकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है।
  - राष्ट्रपति से विधेयक को स्वीकृति मिलने के बाद यह विनियोग अधिनियम बन जाता है।
    - विनियोग विधेयक की अनूठी विशेषता इसका स्वत: निरसन है, जिससे यह अधिनियम अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद अपने आप निरस्त हो जाता है।
  - सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से धनराशि नहीं निकाल सकती है। हालाँकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी सामान्य गतिविधियों के संचालन के लिये धन की आवश्यकता होती है। अत: अपने तत्काल व्ययों को पूरा करने के लिये संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये अग्रिम रूप से अनुदान प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है। इस प्रावधान को 'लेखानुदान' के रूप में जाना जाता है।

### लेखानुदान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार,  लेखानुदान केंद्र सरकार के लिये अग्रिम अनुदान के रूप में है, इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिये जारी किया जाता है।
- आवश्यकता:
  - एक चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट 'या 'लेखानुदान' को ही जारी करती है क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार पुरानी सरकार की नीतियों को बदल सकती है।
- संशोधन:
  - किसी विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, संसद के सदन में प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है और  ऐसे संशोधन की स्वीकार्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

- विनियोग विधेयक बनाम वित्त विधेयक:
    - वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण संबंधी प्रावधान हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया गया है।
    - विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा इस पर केवल चर्चा करके इसे लौटा देती है।
    - धन विधेयक:
        - एक विधेयक को उस स्थिति में धन विधेयक कहा जाता है यदि इसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि से धनराशि प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान हैं।
        - वे विधेयक जिनमें केवल ऐसे प्रावधान हैं जो उपर्युक्त मामलों से संबंधित हैं, उन्हें ही धन विधेयक माना जाएगा।

### भारत की संचित निधि:

- इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत की गई थी।
- इसमें समाहित हैं:
    - करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-कर राजस्व।
    - सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बिल (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।
- सभी सरकारी व्यय इसी निधि से पूरे किये जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि से संबंधित हैं) और संसद के प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) इस निधि का लेखा परीक्षण करते हैं।

### संसद में बजट की विभिन्न अवस्थाएँ:

- बजट की प्रस्तुति।
- आम चर्चा।
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
- अनुदान की मांगों पर मतदान।
- विनियोग विधेयक पारित करना।
- वित्त विधेयक पारित करना।

---

# उड़ान 4.1

## चर्चा में क्यों?

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (भारत@75) की शुरुआत के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने उड़ान 4.1 योजना के तहत लगभग 392 मार्गों को प्रस्तावित किया है।

## प्रमुख बिंदु

### उड़ान 4.1

- उड़ान 4.1 मुख्यत: छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है।

नोट :

- सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किये गए हैं।
    - सागरमाला सी-प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे अक्तूबर 2020 में शुरू किया गया था।

## उड़ान योजना

- 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- उड़ान योजना देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानों की शुरुआत करना है, ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिये सस्ती उड़ानें शुरू की जा सकें।
- यह योजना मौजूदा हवाई-पट्टी और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर-सेवारत और कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना करती है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिये संचालित की जाएगी।
    - कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डे वे हैं, जहाँ एक दिन में एक से अधिक उड़ान नहीं भरी जाती, जबकि गैर-सेवारत हवाई अड्डे वे हैं जहाँ से कोई भी उड़ान नहीं भारी जाती है।
- चयनित एयरलाइन्स को केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि वे गैर-सेवारत और कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों पर सस्ती उड़ानें उपलब्ध करा सकें।
- अब तक उड़ान योजना के तहत 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 325 मार्गों एवं 56 हवाई अड्डों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

### उड़ान 1.0

- इस चरण के तहत 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिये 128 उड़ान मार्ग प्रदान किये गए।

### उड़ान 2.0

- वर्ष 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की, जहाँ कोई सेवा नहीं प्रदान की गई थी या उनके द्वारा की गई सेवा बहुत कम थी।
- उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए थे।

### उड़ान 3.0

- पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों का समावेश।
- जलीय हवाई-अड्डे को जोड़ने के लिये जल विमान का समावेश।
- उड़ान के दायरे में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को लाना।

### उड़ान 4.0

- वर्ष 2020 में देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) के चौथे संस्करण के तहत 78 नए मार्गों के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
- लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कवरत्ती और अगत्ती द्वीपों को उड़ान 4.0 के तहत नए मार्गों से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

नोट :

# एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2021

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोयला और खान मंत्री ने लोकसभा में खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 पेश किया।

- इस विधेयक द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 जो कि भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, में संशोधन किया गया है।

## प्रमुख बिंदु

### प्रस्तावित परिवर्तन:

- खनिजों के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना:
  - वर्ष 1957 का एक्ट केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह नीलामी प्रक्रिया के ज़रिये किसी खान (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिज को छोड़कर) को लीज़ पर देते समय उसे किसी खास अंतिम उपयोग के लिये (जैसे- लौह अयस्क की खान को स्टील प्लांट के लिये रिज़र्व करना) रिज़र्व कर सकती है। ऐसी खानों को कैप्टिव खान (Captive Mine) कहा जाता है।
  - नया विधेयक प्रावधान करता है कि कोई भी खान किसी खास अंतिम उपयोग के लिये आरक्षित नहीं होगी।
- कैप्टिव खानों द्वारा खनिजों की बिक्री:
  - इस बिल में प्रावधान किया गया है कि कैप्टिव खानें (परमाणु खनिजों को छोड़कर) अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% हिस्सा खुले बाज़ार में बेच सकती हैं।
    - केंद्र सरकार अधिसूचना के ज़रिये इस सीमा में वृद्धि कर सकती है।
    - पट्टेदार को खुले बाज़ार में बेचे गए खनिजों के लिये अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।
- कुछ मामलों में केंद्र सरकार द्वारा नीलामी:
  - यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार की सलाह से नीलामी प्रक्रिया के पूरे होने की एक समय-सीमा निर्दिष्ट करे।
  - यदि राज्य सरकार इस निर्दिष्ट अवधि में नीलामी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार यह नीलामी कर सकती है।
- वैधानिक मंज़ूरियों का हस्तांतरण:
  - यह प्रावधान करता है कि हस्तांतरित मंज़ूरियाँ नए पट्टेदार की पूरी लीज़ अवधि के दौरान वैध रहेंगी।
    - नए पट्टेदार को खानों की लीज़ दो वर्ष की अवधि के लिये दी जाती है। इन दो वर्षों के दौरान नए पट्टेदार को नई मंज़ूरियाँ हासिल करनी होती हैं।
- लीज़ अवधि खत्म होने वाली खानों का आवंटन:
  - विधेयक में कहा गया है कि जिन खानों की लीज़ की अवधि खत्म हो गई है, उन खानों को कुछ मामलों में सरकारी कंपनियों को आवंटित किया जा सकता है।
  - यह प्रावधान तब लागू होगा, जब नई लीज़ देने के लिये नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या नीलामी के एक साल के अंदर ही नई लीज़ अवधि खत्म हो गई है।
  - राज्य सरकार ऐसी खान को अधिकतम 10 वर्ष के लिये या जब तक नए पट्टेदार का चयन नहीं हो जाता, तब तक के लिये (इनमें से जो भी पहले हो) सरकारी कंपनी को दे सकती है।
- सरकारी कंपनियों की लीज़ अवधि बढ़ाना:
  - इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों की खनन लीज़ की अवधि निर्धारित करेगी और सरकारी कंपनियों की लीज़ की अवधि अतिरिक्त राशि चुकाने पर बढ़ाई जा सकती है।

नोट :

- खनन लीज़ अवधि खत्म होने की शर्तें:
  - यदि पट्टेदार लीज़ मिलने के दो वर्ष के भीतर खनन कार्य शुरू नहीं कर पाता है।
  - यदि दो वर्षों तक उसका खनन का काम बंद रहता है।
    - अगर पट्टेदार के पुन: आवेदन करने के बाद राज्य सरकार ने उसे छूट दे दी है तो इस अवधि के खत्म होने के बाद उसकी लीज़ खत्म नहीं होगी।
    - इस विधेयक में कहा गया है कि लीज़ की अवधि खत्म होने के बाद राज्य सरकार सिर्फ एक बार और एक वर्ष तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा सकती है।
- नॉन-एक्सक्लूसिव रिकोनिसेंस परमिट:
  - यह अधिनियम नॉन-एक्सक्लूसिव रिकोनिसेंस परमिट (Non-Exclusive Reconnaissance Permit- कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अतिरिक्त दूसरे खनिजों के लिये) का प्रावधान करता है।
    - रिकोनिसेंस का अर्थ है, कुछ सर्वेक्षणों के ज़रिये खनिजों का शुरुआती पूर्वेक्षण (Prospecting)। यह विधेयक इस परमिट के प्रावधान को हटाता है।

**महत्त्व:**

- पारदर्शिता:
  - इस अधिनियम से नीलामी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी क्योंकि ऐसी धारणा है कि राज्य सरकारें कुछ मामलों में उनके पसंदीदा बोलीदाताओं को प्राथमिकता देती हैं तथा उन्हें लीज़ नहीं मिलने पर नीलामी प्रक्रिया रद्द करने का प्रयास करती हैं।
- उत्पादन बढ़ाना:
  - खनिकों (Miner) के लिये लचीलेपन में वृद्धि के कारण कैप्टिव खानों से अधिक-से-अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी क्योंकि वे अब अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने में सक्षम होंगे।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:
  - यह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ाएगा, प्रक्रिया का सरलीकरण करेगा और उन सभी प्रभावित पक्षों को लाभान्वित करेगा जहाँ खनिज मौजूद हैं।
  - यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी तेज़ कर देगा।
- कुशल ऊर्जा बाज़ार:
  - यह एक कुशल ऊर्जा बाज़ार का निर्माण करेगा और कोयला आयात को कम करके अधिक प्रतिस्पर्द्धा लाएगा।
- उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी तक पहुँच:
  - यह भारत को विश्व भर में खनिकों द्वारा भूमिगत खनन के लिये उपयोग किये जाने वाले उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करने में भी मदद करेगा।

---

## संपत्ति क्षति वसूली विधेयक- हरियाणा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा 'हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021' ( Haraya Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021) पारित किया गया है।

- इसी प्रकार का एक विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम , 2020 (Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020) के नाम से पारित किया गया था।

नोट :

## प्रमुख बिंदु:

### विधेयक के बारे में:

- नुकसान की वसूली: यह विधेयक किसी जनसमूह, चाहे वह कानूनी हो अथवा गैर-कानूनी, द्वारा लोक व्यवस्था में उत्पन्न विघ्न के दौरान किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किये गए संपत्ति के नुकसान की वसूली का प्रावधान करता है, इसमें दंगे और हिंसक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- पीड़ितों को मुआवज़ा: यह पीड़ितों के लिये मुआवज़ा भी सुनिश्चित करता है।
- विस्तृत दायरा: नुकसान की वसूली केवल उन लोगों से नहीं की जाएगी जो हिंसा में लिप्त थे, बल्कि उन लोगों से भी की जाएगी जो विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व या आयोजन करते हैं , योजना में शामिल होते हैं और जो विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हैं।
- दावा अधिकरण स्थापित करना: विधेयक में देयता या क्षतिपूर्ति का निर्धारण, आकलन और क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु दावा अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।
- संपत्ति की कुर्की/ज़ब्ती: किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ हर्ज़ाना राशि का भुगतान करने हेतु दावा अधिकरण में अपील की गई है, उसकी संपत्ति या बैंक खाते को सील करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- अधिकरण के खिलाफ अपील: पीड़ित व्यक्ति दावा अधिकरण के निर्णयों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- हर्ज़ाने को लेकर दावे से संबंधित कोई भी प्रश्न सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होगा।

### सरकार का रुख:

- सरकार की ज़िम्मेदारी: राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है, चाहे वह संपत्ति निजी हो या सरकारी।
- अधिकारों और उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन: लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से बोलने और विरोध प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
- निवारण: हिंसक गतिविधियों को अंज़ाम देने और इसका आयोजन करने वालो के या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार के पास एक कानूनी ढाँचा होना चाहिये।

### आलोचना:

- सर्वोच न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध: दावा न्यायाधिकरण की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करती है।
  - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 19 प्रमुख न्यायिक न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में परिवर्तन करने वाले वित्त अधिनियम, 2017 को निरस्त कर दिया था क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।
- मौलिक अधिकारों के विरुद्ध: विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- अनिश्चित एवं अस्पष्ट: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं परंतु कई पहलुओं जैसे- अपराधियों की पहचान करना, नुकसान की वसूली हेतु योजना को क्रियान्वित करना तथा दिशा-निर्देशों को न मानने पर दंड का प्रावधान आदि को सही ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है।

### भारत में कानूनी प्रावधान:

- भारत में नुकसान की वसूली हेतु कोई केंद्रीय कानून नहीं है। वर्तमान में दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम, 1984 में भी सीमित प्रावधान है, जिसमें दोषियों हेतु कारावास और जुर्माने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन नुकसान की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
  - संपत्ति के नुकसान की भरपाई हेतु कानून होने के बावज़ूद देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ की घटनाएँ आम हैं।
- वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया तथा इस कानून में बदलाव हेतु न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्षता मंय दो समितियों का गठन किया गया।
- वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किये।

- कानून की तरह दिशा-निर्देशों का भी सीमित प्रभाव पड़ा है। कोशी जैकब बनाम भारत संघ 2017 मामले में अदालत ने दोहराया कि कानून को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

## विरोध का अधिकार बनाम नुकसान की वसूली:

### मौलिक अधिकार बनाम आदेश:

- जहाँ एक ओर आंदोलनकारी विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का तर्क देते हैं, वहीं कई बार आंदोलन से प्रभावित लोगों की दुर्दशा और सामान्य गतिविधि को जारी रखने के उनके अधिकार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।

### भारतीय परिदृश्य:

- भारत में सार्वजनिक विरोध का इतिहास महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा और अहिंसक विरोध, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे, से वैधता प्राप्त है।
- कई पाबंदियों के बावजूद विरोध की यह विरासत वर्षों तक जारी रही और देश के कई क्षेत्रों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई।
- वास्तव में आंदोलन और विरोध हमारी संस्कृति में इस कदर समाए हुए हैं कि हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं।

### वैश्विक उदाहरण:

- अमेरिका में यातायात को अवरुद्ध करने, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाने या बाधित करने वाले प्रदर्शनकारियों हेतु राज्य-वार कानून बनाए गए हैं तथा प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की लागत वसूलने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है।

### सुझाव:

- प्रदर्शन के आयोजक को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि उसके अनुयायियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और यदि इस घोषणा पर अमल नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार के नुकसान के हर्ज़ाने के लिये उसे वित्तीय रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
- फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और डेटाबेस पुलिस को हिंसा न करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में मददगार हो साबित हो सकते हैं, इनका प्रयोग साक्ष्यों के तौर पर न्यायालय में भी किया जा सकता है।
- गोपनीयता कानूनों के तहत सर्विलांस कैमरों द्वारा प्रदर्शनकारियों तथा पहली पंक्ति में शामिल नेताओं की निगरानी की जा सकती है।

### लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984

- इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधान को भारतीय दंड संहिता में भी शामिल किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-
  - कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण में किया जाता है।
  - तेल प्रतिष्ठान।
  - खान या कारखाना।
  - सीवेज स्थल।
- लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति।

### थॉमस समिति:

- के.टी. थॉमस समिति ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों में आरोप सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी की स्थिति को बदलने की सिफारिश की। न्यायालय को यह अनुमान लगाने का अधिकार देने के लिये कानून में संशोधन किया जाना चाहिये कि अभियुक्त सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है।
  - दायित्व की स्थिति में बदलाव से संबंधित यह सिद्धांत, यौन अपराधों तथा इस तरह के अन्य अपराधों पर लागू होता है।

- सामान्यत: कानून यह मानता है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं करता।
- न्यायालय द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया।

### नरीमन समिति:

- इस समिति की सिफारिशें सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति से संबंधित थीं।
- सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप तय करते हुए संपत्ति में आई विकृति में सुधार करने के लिये क्षतिपूर्ति शुल्क लिया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान लेने के दिशा-निर्देश जारी किये तथा सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के कारणों को जानने तथा क्षतिपूर्ति की जाँच के लिये एक तंत्र की स्थापना करने को कहा।

# वाहन स्क्रैपिंग नीति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) की घोषणा की।

- इस नीति को केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार घोषित किया गया था।
- इस नीति के अंतर्गत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर व्हीकल्स (LMV) को शामिल किया गया है।
- भारत एक ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) आधारित टोल संग्रह प्रणाली को भी लागू करेगा और एक साल के अंदर सभी टोल बूथों को बंद कर दिया जाएगा।

## प्रमुख बिंदु

### उद्देश्य:

- पुराने और खराब वाहनों को कम कर इनसे होने वाले वायु प्रदूषकों को कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना।

### प्रावधान:

- फिटनेस टेस्ट:
  - पुन: पंजीकरण कराने से पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
  - पुराने वाहनों का परीक्षण स्वचालित फिटनेस केंद्र में किया जाएगा, यहाँ वाहनों का फिटनेस टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर किया जाएगा।
    - इन फिटनेस केंद्रों में वाहनों का उत्सर्जन परीक्षण, ब्रेकिंग सिस्टम, सुरक्षा घटकों आदि का परीक्षण किया जाएगा और इस टेस्ट में विफल रहने वाले वाहनों को हटा (Scrap) दिया जाएगा।
    - मंत्रालय ने पंजीकरण प्रक्रिया के लिये स्क्रैपिंग सुविधाओं हेतु नियम भी जारी किये हैं।
- रोड टैक्स से छूट
  - राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे निजी वाहनों के लिये 25% तक और व्यावसायिक वाहनों हेतु 15% तक रोड-टैक्स में छूट प्रदान करें ताकि पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने तथा अनफिट वाहनों को हटाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- वाहन में छूट:
  - वाहन निर्माताओं द्वारा 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' दिखाने वालों को नई गाड़ी लेने पर 5% की छूट दी जाएगी, साथ ही नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।

नोट :

- हतोत्साहित करना:
  - 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण शुल्क को बढ़ाकर ऐसे वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।

महत्त्व:

- स्क्रैप यार्ड का निर्माण:
  - यह देश में अधिक स्क्रैप यार्ड बनाने और पुराने वाहनों के कचरे से प्रभावी रूप से निपटने में मदद करेगा।
- रोज़गार:
  - नए फिटनेस सेंटरों से लगभग 35 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा।
- राजस्व में सुधार:
  - यह भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों जो कि IL&FS संकट (Infrastructure Leasing & Financial Services) और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण आर्थिक मंदी में थे, की बिक्री को बढ़ावा देगा।
  - इस नीति से सरकारी खजाने को वस्तु और सेवा कर (GST) के माध्यम से लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है।
- कीमतों में कमी:
  - पुराने वाहनों से प्राप्त धातु और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से ऑटो कंपोनेंट (Auto Component) की कीमतें काफी हद तक कम हो जाएगी।
  - स्क्रैप सामग्री सस्ती होने से वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत कम हो जाएगी।
- प्रदूषण में कमी:
  - यह ईंधन दक्षता में सुधार और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
    - नए वाहनों की तुलना में पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में 15 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन मौजूद हैं।

### वाहन प्रदूषण को रोकने के लिये अन्य पहलें:

- गो इलेक्ट्रिक अभियान।
- फेम इंडिया स्कीम फेज II।
- दिल्ली के लिये इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और कार परियोजना।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, 2020।

## अनुदान की अनुपूरक मांग

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा (Lok Sabha) ने वर्ष 2020-2021 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग (Supplementary Demand for Grant) के दूसरे भाग को पारित कर दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- अनुदान की अनुपूरक मांग के विषय में: इस अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिये किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है।
- यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Additional or Excess Grants) के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है।

**अन्य अनुदान:**

- अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant): यह अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित/अनुध्यात सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है।
- अधिक अनुदान (Excess Grant): यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित (उस वर्ष में संबंधित सेवा के लिये) या अनुदान किये गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। इस पर लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद मतदान किया जाता है। मतदान के लिये लोकसभा में इस अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले उसे संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
- प्रत्यानुदान (Vote of Credit): जब किसी सेवा के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतया बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगों की पूर्ति के लिये प्रत्यानुदान दिया जाता है।
- अपवादानुदान (Exceptional Grant): यह किसी विशेष उद्देश्य के लिये प्रदान किया जाता है।
- सांकेतिक अनुदान (Token Grant): यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है। इस सांकेतिक राशि की मांग को लोकसभा के समक्ष वोट के लिये प्रस्तुत किया जाता है और यदि लोकसभा इस मांग को स्वीकार कर देती है तो राशि उपलब्ध करा दी जाती है।
  - धन के पुनर्विनियोजन (Reappropriation) में एक सिर से दूसरे तक धन का हस्तांतरण शामिल है। यह मांग किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का निर्धारण से संबंधित है।
- अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और असाधारण अनुदान तथा वोट ऑफ क्रेडिट को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे बजट (Budget) को किया जाता है।

---

# डिप्थीरिया के मामलों में वृद्धि

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये गए अध्ययन में पाया गया है कि डिप्थीरिया जो कि अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, एक बड़ा वैश्विक खतरा बन सकता है।

## प्रमुख बिंदु:

**आँकड़े:**

- वैश्विक वृद्धि: विश्व स्तर पर डिप्थीरिया के मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। वर्ष 2018 में 16,651 मामले रिपोर्ट किये गए थे, जो कि वर्ष 1996-2017 (8,105 मामले) के दौरान दर्ज मामलों के वार्षिक औसत के दोगुने से अधिक हैं।
- भारतीय परिदृश्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 के दौरान 2,365 मामले दर्ज किये गए। हालाँकि वर्ष 2016, 2017 और 2018 में यह संख्या क्रमिक रूप से बढ़कर 3,380, 5,293 और 8,788 हो गई।
  - WHO के अनुसार, भारत वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर डिप्थीरिया के कुल मामलों के 60% मामलों के लिये ज़िम्मेदार था।
  - वर्ष 2018 में दिल्ली में डिप्थीरिया के कारण 50 से अधिक बच्चों की मौत हो गई।

**कारण:**

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR): डिप्थीरिया ने एंटीबायोटिक दवाओं के कई वर्गों के लिये प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी शुरू कर दी है।
  - किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि) द्वारा ऐसी रोगाणुरोधी दवाओं (एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंट) के लिये प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, जिनका उपयोग इसके संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है, AMR कहलाता है।

- कोविड-19 का प्रभाव: कोविड-19 ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टीकाकरण कार्यक्रम को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
  - हाल ही में 'बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव को लेकर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट' के अनुसार, टीकाकरण अभियानों के निलंबन से विभिन्न बीमारियों को खत्म करने के लिये किये जा रहे दशकों पुराने प्रयासों में कमी आएगी।
- बीमारी के संबंध में गलतफहमी: माता-पिता अक्सर इस बीमारी को सामान्य खाँसी और सर्दी समझ लेते हैं तथा चिकित्सक से दवा लेते हैं। चूँकि बच्चे को डिप्थीरिया की दवा नहीं दी जाती है, अत: समय बीतने के साथ बैक्टीरिया से निकलने वाला विष गुर्दे, हृदय और तंत्रिका तंत्र की कार्यशैली में बाधा उत्पन्न करने लगता है।
- आमतौर पर देखा गया है कि डिप्थीरिया अथवा अन्य संक्रामक रोगों की वैक्सीन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पाई जाती है, जिससे टीकाकरण संबंधी प्रक्रिया में बाधा आने के साथ-साथ इन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की तीव्रता में भी कमी आती है। वर्तमान में कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में भी ऐसी धारणा देखने को मिली है।

### डिप्थीरिया:

डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिनेबैक्टेरियम डिप्थीरिया (Corynebacterium Diphtheriae) नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।

### लक्षण:

- सामान्य जुकाम, बुखार, ठंड लगना, गले में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, त्वचा नीली होना आदि।

### प्रभाव:

- इसका प्राथमिक संक्रमण गले और ऊपरी श्वसन मार्ग में होता है। यह अन्य अंगों को प्रभावित करने वाले टॉक्सिन का उत्पादन करता है।
- डिप्थीरिया गले और कभी-कभी टॉन्सिल को भी प्रभावित करता है।
- इसका एक अन्य प्रकार त्वचा पर अल्सर का कारण बनता है।

### संक्रमण:

- यह मुख्य रूप से खाँसी और छींक या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है।

### संक्रमित जनसंख्या:

- डिप्थीरिया विशेष रूप से 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।
  - पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डिप्थीरिया के मामलों की घटना प्राथमिक डिप्थीरिया टीकाकरण के कम कवरेज को दर्शाती है

### मृत्यु दर:

- केवल 5-10% मामलों में डिप्थीरिया मृत्यु का कारण बन सकता है।

### उपचार:

- टॉक्सिन के प्रभावों को बेअसर करने के लिये 'डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन', साथ ही बैक्टीरिया को मारने के लिये 'एंटीबायोटिक्स' का प्रयोग किया जाता है।
- डिप्थीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों के उपयोग से रोका जा सकता है।

### टीकाकरण:

- डिप्थीरिया का टीका भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पुराने टीकों में से एक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आँकड़ों के अनुसार, डिप्थीरिया वैक्सीन का कवरेज 78.4% है।
- वर्ष 1978 में भारत ने टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया।
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले तीन टीके BCG (टीबी के खिलाफ), DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस) और हैजा के थे।

- वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम को 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (Universal Immunisation Programme- UIP) में बदल दिया गया। DPT का टीका अभी भी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बना हुआ है, इस कार्यक्रम में अब 12 टीके शामिल हैं।
- अब इसे एक 'पेंटावैलेंट वैक्सीन' (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीका) के रूप में शामिल किया गया है ।
  - इसे उन आठ वैक्सीन खुराक के संयोजन में भी शामिल किया गया है जो जीवन के प्रथम वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाई जाती हैं।
- हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से चूक गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिये सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 (Intensified Mission Indradhanush- IMI 3.0) योजना शुरू की गई है।

## ग्राम उजाला कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम (Gram UJALA Programme) की शुरुआत की गई है। यह सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपए में (विश्व में सबसे सस्ते) ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु:

- कवरेज एरिया: इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा ज़िले से शुरू किया गया है जिसमें 5 ज़िलों- आरा (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा।
  - प्रकाश उत्सर्जक डायोड (Light-Emitting Diode- LED) वर्तमान में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और तेज़ी से विकास करने वाली प्रकाश प्रौद्योगिकियों में से एक है।

### कार्यान्वयन:

- इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा।
  - प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम पाँच एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकता है।
  - कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण परिवारों को अपने विद्युत उपयोग का हिसाब रखने हेतु घर में मीटर भी लगवाना होगा।
- उजाला कार्यक्रम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (Convergence Energy Services Limited- CESL) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा।
  - EESL, विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking- PSU)- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड Energy Efficiency Services Limited- EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

### वित्तपोषण तंत्र:

- इस कार्यक्रम का वित्तपोषण पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट द्वारा किया जाएगा तथा यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा।
  - कार्बन क्रेडिट (या "कार्बन ऑफसेट") उन परियोजनाओं या गतिविधियों हेतु प्रदान किया जाना वाला प्रमाण पत्र है जो ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन करते हैं।
  - परियोजना संचालनकर्त्ता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स, या लुप्तप्राय वन के संरक्षकों द्वारा इन प्रमाण पत्रों को किसी भी व्यक्ति या कंपनी को बेचा जा सकता है ताकि भविष्य में परियोजनाओं का विस्तार करने हेतु अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सके।
  - जब कोई कार्बन ऑफसेट की खरीद करता है तो अन्य द्वारा कार्बन की कमी या उन्मूलन हेतु फंडिंग की जाती है।

- इसके अलावा कार्बन क्रेडिट प्रलेखन/ डॉक्यूमेंटेशन को शाइन कार्यक्रम (Shine Program ) की गतिविधियों में शामिल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ( United Nations- UN) के मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्त्ताओं के पास भेजा जाएगा।
  - शाइन कार्यक्रम की गतिविधियों के तहत स्वैच्छिक कार्बन मानक से संबंधित सत्यापन हेतु खरीदारों की ज़रूरतों के आधार पर एक विकल्प के साथ कार्बन क्रेडिटों प्राप्त किया जा सके ।
  - वहीं बाज़ार के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श पर आधारित एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्बन क्रेडिट खरीदारों को तैयार किया जाएगा।

**महत्त्व:**

- पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Accord) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को पूरा करने में मदद करना।
  - यदि भारत में सभी 300 मिलियन लाइटों को बदल दिया जाए तो बिजली की पीक डिमांड में 22,743 मेगावाट की कमी आएगी और प्रतिवर्ष लगभग 40,743 मिलियन kWh ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 37 मिलियन टन की कमी आएगी।
- वैश्विक कार्बन व्यापार में अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भारत की स्थिति में सुधार होगा।
- 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
  - भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर दिये गए अपने भाषण मंम वादा किया था कि उन सभी गाँवों में जहाँ बिजली नहीं है, 1,000 दिनों के भीतर बिजली की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
  - सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य बुनियादी बिजली संरचना (Basic Power Infrastructure) और कनेक्टिविटी (Connectivity) स्थापित करना था।
- यह घरेलू एलईडी बाज़ारों को विकसित करने में सहायक होगा।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) का लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा।
  - विशेष रूप से SDG-7 की स्थिति प्राप्त करने में सहायक होगा जो कि सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

**LED बल्बों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य योजनाएँ:**

- उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) योजना
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (SLNP)

## अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोड़फुकन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहोम साम्राज्य (Ahom Kingdom) के सेनापति लाचित बोड़फुकन (Lachit Borphukan) को भारत की "आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक" कहा।

### प्रमुख बिंदु

**लाचित बोड़फुकन:**

- लाचित बोड़फुकन का जन्म 24 नवंबर, 1622 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सराईघाट के युद्ध (Battle of Saraighat) में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्ज़ा करने का प्रयास विफल हो गया था।
- इनसे भारतीय नौसैनिक शक्ति को मज़बूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढाँचे के निर्माण की प्रेरणा ली गई।

नोट :

- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक (The Lachit Borphukan Gold Medal) प्रदान किया जाता है।
  - इस पदक को वर्ष 1999 में रक्षा कर्मियों हेतु बोड़फुकन की वीरता से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिये स्थापित किया गया था।
- 25 अप्रैल, 1672 को इनका निधन हो गया।

## अहोम साम्राज्य:

### संस्थापक:

- छोलुंग सुकफा (Chaolung Sukapha) 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1826 की यांडाबू की संधि (Treaty of Yandaboo) होने तक था।

राजनीतिक व्यवस्था:

- अहोमों ने भुइयाँ (ज़मींदारों) की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को कुचलकर एक नया राज्य बनाया।
- अहोम राज्य बंधुआ मज़दूरों (Forced Labour) पर निर्भर था। राज्य के लिये इस प्रकार की मज़दूरी करने वालों को पाइक (Paik) कहा जाता था।

### समाज:

- अहोम समाज को कुल/खेल (Clan/Khel) में विभाजित किया गया था। एक कुल/खेल का सामान्यत: कई गाँवों पर नियंत्रित होता था।
- अहोम साम्राज्य के लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया।
  - हालाँकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा।
- अहोम लोगों का स्थानीय लोगों के साथ विवाह के चलते उनमें असमिया संस्कृति को आत्मसात करने की प्रवृत्ति देखी गई।

### कला और संस्कृति:

- अहोम राजाओं ने कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया तथा रंगमंच को प्रोत्साहित किया।
- संस्कृत के महत्त्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया।
- बुरंजी (Buranjis) नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में लिखा गया।

### सैन्य रणनीति:

- अहोम राजा राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था और पाइक राज्य की मुख्य सेना थी।
  - पाइक दो प्रकार के होते थे- सेवारत और गैर-सेवारत। गैर-सेवारत पाइकों ने एक स्थायी मिलिशिया (Militia) का गठन किया, जिन्हें खेलदार (Kheldar- सैन्य आयोजक) द्वारा थोड़े ही समय में इकट्ठा किया जा सकता था।
- अहोम सेना की पूरी टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और जासूस शामिल थे। युद्ध में इस्तेमाल किये जाने वाले मुख्य हथियारों में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर शामिल थे।
- अहोम राजा युद्ध अभियानों का नेतृत्व करने से पहले दुश्मनों की युद्ध रणनीतियों को जानने के लिये उनके शिविरों में जासूस भेजते थे।
- अहोम सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध (Guerilla Fighting) में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ये सैनिक दुश्मनों को अपने देश की सीमा में प्रवेश करने देते थे, फिर उनके संचार को बाधित कर उन पर सामने और पीछे से हमला कर देते थे।
- कुछ महत्त्वपूर्ण किले: चमधारा, सराईघाट, सिमलागढ़, कलियाबार, कजली और पांडु।
- उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल (Boat Bridge) बनाने की तकनीक भी सीखी थी।
- इन सबसे ऊपर अहोम राजाओं के लिये नागरिकों और सैनिकों के बीच आपसी समझ तथा रईसों के बीच एकता ने हमेशा मज़बूत हथियारों के रूप में काम किया।

नोट :

### सराईघाट की लड़ाई

- सराईघाट का युद्ध (Battle of Saraighat) वर्ष 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र (Brahmaputra) नदी के तट पर लड़ा गया था।
- इसे एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की जीत हुई।

# शहीदी दिवस

## चर्चा में क्यों ?

शहीदी दिवस (23 मार्च) के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई।

- 23 मार्च को 'शहीदी दिवस' या 'सर्वोदय दिवस' के रूप में भी जाना जाता है।
- इस दिन (23 मार्च) और 30 जनवरी को मनाए जाने वाले शहीद दिवस (महात्मा गांधी की हत्या) के संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिये।

## प्रमुख बिंदु:

### शहीदी दिवस के बारे में:

- हर वर्ष 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में फाँसी दी थी।
  - इन तीनों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फाँसी पर लटका दिया गया था। क्योंकि उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी थी।
    - यह स्कॉट ही था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके कारण अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
  - लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की सार्वजनिक घोषणा करने वाले भगत सिंह इस गोलीबारी के बाद कई महीनों तक छिपते रहे और उन्होंने एक सहयोगी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अप्रैल 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में दो विस्फोट किये।
    - उन्होंने 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी दी।
- उनके जीवन ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया और उनकी मृत्यु ने इन्हें एक मिसाल के रूप में कायम किया। उन्होंने आज़ादी के लिये अपना रास्ता खुद बनाया और वीरता के साथ राष्ट्र हेतु कुछ करने की अपनी इच्छा को पूरा किया। उसके बाद कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा भी उनके मार्ग का अनुसरण किया गया ।

### भगत सिंह:

- भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1907 में भागनवाला (Bhaganwala) के रूप में हुआ तथा इनका पालन पोषण पंजाब के दोआब क्षेत्र में स्थित जालंधर ज़िले में संधू जाट किसान परिवार में हुआ।
  - ये एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी- पहला लाल-बाल-पाल के 'अतिवाद' का चरण और दूसरा अहिंसक सामूहिक कार्रवाई का गांधीवादी चरण।
- वर्ष 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज, लाहौर में प्रवेश लिया , जिसकी स्थापना और प्रबंधन लाला लाजपत राय एवं भाई परमानंद ने किया था।
  - शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का विचार लाने के उद्देश्य से इस कॉलेज को सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 1924 में वह कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा एक साल पहले शुरू किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (Hindustan Republican Association) के सदस्य बने। एसोसिएशन के मुख्य आयोजक चंद्रशेखर आज़ाद थे और भगत सिंह उनके बहुत करीब हो गए।
  - हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भगत सिंह ने 'बम का दर्शन' (Philosophy of the Bomb) को गंभीरता से लेना शुरू किया।
  - उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को एकमात्र हथियार माना।

- वर्ष 1925 में भगत सिंह लाहौर लौट आए और अगले एक वर्ष के भीतर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 'नौजवान भारत सभा' नामक एक उग्रवादी युवा संगठन का गठन किया।
- अप्रैल 1926 में भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क स्थापित किया तथा उनके साथ मिलकर 'श्रमिक और किसान पार्टी' की स्थापना की, जिसने पंजाबी में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का प्रकाशन किया।
  - भगत सिंह द्वारा पूरे जोश के साथ कार्य किया गया और अगले वर्ष वे कीर्ति के संपादकीय बोर्ड में शामिल हो गए।
- उन्हें वर्ष 1927 में काकोरी कांड (Kakori Case) में संलिप्त होने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया था तथा अपने विद्रोही (Vidrohi) नाम से लिखे गए लेख हेतु आरोपी माना गया। उन पर दशहरा मेले के दौरान लाहौर में एक बम विस्फोट के लिये ज़िम्मेदार होने का भी आरोप लगाया गया था।
- वर्ष 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (HSRA) कर दिया। वर्ष 1930 में जब आज़ाद को गोली मारी गई, तो उनके साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया।
  - नौजवान भारत सभा ने पंजाब में HSRA का स्थान ले लिया।
- जेल में उनका समय कैदियों के लिये रहने की बेहतर स्थिति की मांग हेतु विरोध प्रदर्शन करते हुए बीता। उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त की, खासकर तब जब वे साथी अभियुक्त जतिन दास के साथ भूख हड़ताल में शामिल हुए।
  - सितंबर 1929 में जतिन दास की भूख से मृत्यु होने के कारण हड़ताल समाप्त हो गई। इसके दो साल बाद भगत सिंह को दोषी ठहराकर 23 साल की उम्र में फाँसी दे दी गई।

---

# डॉ. राम मनोहर लोहिया

## चर्चा में क्यों?

23 मार्च, 2021 को डॉ. राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती मनाई गई।

### प्रमुख बिंदु:

- जन्म : इनका जन्म 23 मार्च, 1910 को अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था।

संक्षिप्त परिचय :

- भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में डॉ. लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।
- उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारतीय समाजवाद के विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ़ लड़ने के लिये समर्पित किया।
  - समाजवाद राजनीतिक विचारों के एक समूह को संदर्भित करता है, जो औद्योगिक पूंजीगत अर्थव्यवस्था में मौजूद और इसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया।

### समाजवाद पर लोहिया का विचार:

- लोहिया ने ऐसी पाँच प्रकार की असमानताओं को चिह्नित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है:
  - स्त्री और पुरुष के बीच असमानता ,
  - त्वचा के रंग के आधार पर असमानता ,
  - जाति आधारित असमानता,
  - कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन,
  - आर्थिक असमानता।

- इन पाँच असमानताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने पाँच क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में उनके द्वारा दो और क्रांतियों को जोड़ा गया:
  - नागरिक स्वतंत्रता के लिये क्रांति (निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ)।
  - सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिये क्रांति।
- ये सात क्रांतियाँ या सप्त क्रांति लोहिया के लिये समाजवाद का आदर्श थीं।

### शिक्षा:

- उन्होंने वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा वर्ष 1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय (जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया) से मानद (डॉक्टरेट) की उपाधि प्राप्त की।

स्वतंत्रता-पूर्व उनकी भूमिका

- वर्ष 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress) के अंदर एक वामपंथी समूह कॉन्ग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी (Congress Socialist Party- CSP) में सक्रिय रूप से शामिल हो गए।
- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया और वर्ष 1939 तथा वर्ष 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी करने के लिये गिरफ्तार किये गए।
- 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिये एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। लोहिया ने अन्य CSP नेताओं (जैसे कि जय प्रकाश नारायण) के साथ भूमिगत रहकर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिये समर्थन जुटाया। ऐसी प्रतिरोधी गतिविधियों के लिये उन्हें 1944-46 तक फिर से जेल में डाल दिया गया।

### स्वतंत्रता के बाद की भूमिका:

- वर्ष 1948 में लोहिया एवं अन्य CSP सदस्यों ने कॉन्ग्रेस की सदस्यता छोड़ दी।
- वर्ष 1952 में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (Praja Socialist Party) के सदस्य बने और कुछ समय के लिये इसके महासचिव के रूप में कार्य किया किंतु पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण वर्ष 1955 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
- वर्ष 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसके वे अध्यक्ष बने और साथ ही इसकी पत्रिका मैनकाइंड (Mankind) का संपादन भी किया।
  - उन्होंने एक पार्टी नेता के तौर पर विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक सुधारों की वकालत की जिसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और नागरिक स्वतंत्रता का मज़बूती से संरक्षण शामिल है।
- वर्ष 1963 में लोहिया लोकसभा के लिये चुने गए, जहाँ उन्हें सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिये जाना गया।
- उनके कुछ प्रमुख लेखन कार्यों में शामिल हैं: व्हील ऑफ हिस्ट्री (Wheel of History), मार्क्स (Marx), गांधी और समाजवाद (Gandhi and Socialism), भारत विभाजन के दोषी पुरुष (Guilty Men of India's Partition) आदि।

मृत्यु : 12 अक्तूबर 1967।

## राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020' को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य 'संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों' की शिक्षा और कार्यों को विनियमित और मानकीकृत करना है।
- देश में संबद्ध पेशेवरों का बड़ा समूह है और यह विधेयक उनकी भूमिकाओं को गरिमा प्रदान करके इस क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास कर रहा है।

## प्रमुख बिंदु:

### संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर:

- यह विधेयक 'संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर' को किसी भी बीमारी, चोट या हानि के निदान और उपचार करने के लिये एक प्रशिक्षित सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् के रूप में परिभाषित करता है।
- ऐसे पेशेवर के पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिये।
  - डिग्री/डिप्लोमा की अवधि कम-से-कम 2,000 घंटे (दो से चार वर्ष की अवधि में) होनी चाहिये।

### स्वास्थ्य पेशेवर:

- एक 'स्वास्थ्य पेशेवर' की परिभाषा में एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर शामिल होते हैं, जो अध्ययन, सलाह, शोध, पर्यवेक्षण करते हैं, या निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सकीय विज्ञापन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- ऐसे पेशेवर के पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिये।
  - इस डिग्री की अवधि कम से कम 3,600 घंटे (तीन से छह वर्ष की अवधि में) होनी चाहिये।

### संबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति:

- यह विधेयक मान्यता प्राप्त श्रेणियों के रूप में 'संबद्ध और स्वास्थ्य व्यवसायों' की कुछ श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है।
- विधेयक की अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इन व्यवसायों में जीवन विज्ञान संबंधी पेशेवर, ट्रॉमा और बर्निंग केयर संबंधी पेशेवर, सर्जिकल और एनेस्थीसिया प्रौद्योगिकी संबंधित पेशेवर, फिज़ियोथेरेपिस्ट और पोषण विज्ञान संबंधी पेशेवर शामिल हैं।
- केंद्र सरकार 'संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिये राष्ट्रीय आयोग' से परामर्श के बाद इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग: यह विधेयक राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

- संरचना:
  - इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से तीन उप निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक रोटेशनल आधार पर नियुक्त होंगे और अन्य सदस्यों में राज्य परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 अंशकालिक सदस्य नियुक्त होंगे।
- कार्य: संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों के संबंध में आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:
  - सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाना और उसे बनाए रखना।
  - शिक्षा, पाठ्यक्रम, करिकुलम, स्टाफ योग्यता, परीक्षा, प्रशिक्षण, विभिन्न श्रेणियों के लिये देय अधिकतम शुल्क के बुनियादी मानकों को तय करना।
- पेशेवर परिषद:
  - यह आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य व्यवसायों की हर मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिये एक व्यावसायिक परिषद का गठन करेगा।
  - व्यावसायिक परिषद में एक अध्यक्ष और चार से लेकर 24 तक सदस्य होंगे, जो मान्यता प्राप्त श्रेणी में प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - आयोग अपने किसी भी कार्य को इस परिषद को सौंप सकता है।

### राज्य परिषद:

- विधेयक के पारित होने के छह महीने के भीतर राज्य सरकारें 'राज्य से संबद्ध स्वास्थ्य परिषद' का गठन करेंगी।
- यह राष्ट्रीय आयोग के कामकाज का पूरक होगा और राज्य रजिस्टर को बनाए रखेगा।

संस्थानों की स्थापना के लिये अनुमति:

- राज्य परिषद की पूर्व अनुमति निम्नलिखित के लिये आवश्यक होगी:

- एक नई संस्था स्थापित करने के लिये।
- नए पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता में वृद्धि या मौजूदा संस्थानों में छात्रों के नए बैच के प्रवेश हेतु।

- यदि अनुमति नहीं ली जाती है, तो ऐसी संस्थाओं से किसी छात्र को दी गई कोई भी योग्यता (डिग्री, डिप्लोमा) विधेयक के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होगी।

### अपराध और दंड:

- राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अलावा किसी को भी एक योग्य सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है।
- जो भी व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उसे 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ।

## भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के लोकपाल (Lokpal of India) ने 'ब्रिंगिंग सिनर्जीज़ इन एंटी-करप्शन स्ट्रेटजीज़' (Bringing Synergies in Anti-Corruption Strategy) विषय पर वेबिनार का आयोजन किया।

### प्रमुख बिंदु

- भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिये शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह देश के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

### भ्रष्टाचार का प्रभाव:

- राजनीतिक लागत: इससे राजनीतिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास और राजनीतिक भागीदारी में कमी, चुनावी प्रक्रिया में विकृति, नागरिकों के लिये उपलब्ध राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाते हैं तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधता को हानि होती है।
- आर्थिक लागत: भ्रष्टाचार, रेंट सीकिंग (Rent Seeking) गतिविधियों के पक्ष में संसाधनों के गलत आवंटन और सार्वजनिक लेन-देन की लागत में वृद्धि करता है, साथ ही व्यापार पर एक अतिरिक्त कर के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेश तथा वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में कमी लाकर अंततः आर्थिक दक्षता को कम करता है।

### रेंट सीकिंग

- यह सार्वजनिक पसंद के एक सिद्धांत के साथ-साथ अर्थशास्त्र की एक अवधारणा भी है, जिसके अंतर्गत नए निवेश के बिना मौजूद संपत्ति को बढ़ाया जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप संसाधनों की कमी, धनार्जन में कमी, सरकारी राजस्व में कमी, आय में असमानता और संभावित आर्थिक गिरावट के माध्यम से आर्थिक दक्षता में कमी आती है।
- सामाजिक लागत: भ्रष्टाचार मूल्य प्रणालियों को विकृत करता है और गलत तरीके से उन व्यवसायों को ऊँचा दर्जा देता है जिनके पास रेंट सीकिंग के अवसर हैं। इससे जनता का एक कमज़ोर नागरिक समाज (Civil Society) से मोहभंग होता है, साथ ही बेईमान राजनीतिक नेता इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
- पर्यावरणीय लागत: पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक धन को निजी हित में उपयोग करने का आसान तरीका है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे: सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन सकता है, जिसमें धनशोधन, अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती, देश में हथियारों और आतंकवादी तत्त्वों की तस्करी को सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं।

### भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कानूनी ढाँचा:

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान है और उन लोगों के लिये भी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं।

- वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने के साथ ही रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।

- धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - इसमें धन शोधन के अपराध के लिये सख्त सज़ा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की कैद और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की (यहाँ तक कि जाँच के प्रारंभिक चरण में ही) भी शामिल है।
- कंपनी अधिनियम (The Companies Act), 2013 कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय (Criminal) अपराध माना गया है।
  - विशेष रूप से धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिये भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affair) के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Frauds Investigation Office) की स्थापना की गई है, जो सफेदपोश (White Collar) और कंपनियों में अपराधों से निपटने हेतु ज़िम्मेदार है।
  - SFIO कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच करता है।
- भारतीय दंड संहिता (The Indian Penal Code- IPC), 1860 के अंतर्गत रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामलों को कवर किया गया है।
- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंज़ूरी और उपयोग को विनियमित करता है।
  - विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिये गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है और इस तरह के अनुमोदन की अनुपस्थिति में विदेशी योगदान की प्राप्ति को अवैध माना जा सकता है।

### नियामक ढाँचा:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (The Lokpal and Lokayukta Act), 2013 में केंद्र और राज्य सरकारों के लिये एक लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

इन निकायों को सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है जिसके लिये इसे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार दिया गया है, इसमें प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री भी शामिल हैं।

- हालाँकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) को सरकार ने फरवरी 1964 में स्थापित किया था जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
  - यह योग भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।

## लोकपाल और लोकायुक्त

- लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
  - इस अधिनियम को वर्ष 2013 में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, जो 16 जनवरी, 2014 को लागू हुआ।
- ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं।
- ये "लोकपाल" (Ombudsman) का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. एल.एम. सिंघवी ने पेश किया।

### संरचना:

- लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है।
- आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिये।

नोट :

- लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व उत्कृष्ट योग्यता वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिये।
    - लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।
    - लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री पर केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हों।
- संसद में कही गई किसी बात या दिये गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

### आगे की राह

- निरीक्षण संस्थानों को आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने के लिये मज़बूत होना चाहिये, साथ ही भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरणों और निरीक्षण संस्थानों के पास अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु पर्याप्त धन, संसाधन तथा स्वतंत्रता होनी चाहिये।
- सूचनाओं तक आसान, समय पर और सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये प्रासंगिक आँकड़ों को प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सभी एजेंसियों के सहयोग और निवारक भ्रष्टाचार उपायों की सराहना करनी चाहिये तथा इसे "रोकथाम इलाज से बेहतर है" (Prevention is Better Than Cure) के रूप में अपनाया जाना चाहिये।

# संविधान (125वाँ संशोधन) विधेयक, 2019

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने लोकसभा को यह सूचित किया कि फिलहाल असम (संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाला राज्य) में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

- जनवरी 2019 में 125वें संविधान संशोधन विधेयक, 2019 को वित्त आयोग और संविधान की छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिये राज्यसभा में पेश किया गया था।
- संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

## प्रमुख बिंदु :

### प्रस्तावित संशोधन:

- ग्राम और नगरपालिका परिषद:
    - यह ग्राम और नगरपालिका परिषद को ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के साथ जोड़ने का प्रावधान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों या गाँव समूहों के लिये ग्राम परिषद की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक ज़िले के शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जाएगी।
- संरचना:
    - ज़िला परिषदें विभिन्न मुद्दों पर कानून बना सकती हैं, जिनमें शामिल हैं :
        - गठित ग्राम और नगरपालिका परिषदों की संख्या और उनकी संरचना।
        - ग्राम और नगरपालिका परिषदों के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
        - ग्राम और नगरपालिका परिषदों की शक्तियाँ एवं कार्य।
- शक्तियों के हस्तांतरण के नियम:
    - ग्राम और नगर पालिका परिषदों की शक्तियों और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण संबंधी नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जा सकते हैं।
    - इस तरह के नियमों को निम्नलिखित के संबंध में बनाया जा सकता है:
        - आर्थिक विकास के लिये योजनाओं की तैयारी।

- भूमि सुधारों का कार्यान्वयन।
- शहरी और नगर नियोजन।
- अन्य कार्यों के साथ भूमि-उपयोग का विनियमन।

- राज्य वित्त आयोग:
  - विधेयक एक वित्त आयोग का गठन कर इन राज्यों के ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।
  - आयोग निम्नलिखित के बारे में सिफारिशें करेगा:
    - राज्यों और ज़िला परिषदों के बीच करों का वितरण।
    - राज्य के समेकित कोष से ज़िला, ग्राम और नगरपालिका परिषदों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- परिषदों के चुनाव:
  - राज्यपाल द्वारा गठित राज्य चुनाव आयोग द्वारा असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के ज़िला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगरपालिका परिषदों के चुनाव कराए जाएंगे।
- परिषदों के सदस्यों की अयोग्यता:
  - छठी अनुसूची राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के गठन के साथ-साथ इन परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये योग्यता संबंधी नियम बना सकता है।
  - विधेयक में कहा गया है कि राज्यपाल दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिये नियम बना सकता है।

## छठी अनुसूची:

### परिचय:

- छठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों (90% से अधिक आदिवासी आबादी) के लिये लागू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों को 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' के तहत "बहिष्कृत क्षेत्रों" (Excluded Areas) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये क्षेत्र राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे।
- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये इन जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदान किया गया है।
- छठी अनुसूची 'स्वायत्त ज़िला परिषदों' (ADCs) के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करती है।
  - इन परिषदों (ADCs) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति-रिवाजों और परंपराओं आदि से संबंधित कानून शामिल हैं, साथ ही इन्हें भूमि राजस्व तथा कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त है।
  - ADCs शासन की तीनों शाखाओं (विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के संबंध में विशिष्ट शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ रखते हुए एक लघु राज्य की तरह कार्य करते हैं।

## स्वायत्त ज़िले:

### परिचय:

- राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित करने और फिर से संगठित करने की शक्ति प्राप्त है अर्थात् वह ज़िले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने, उनके नाम परिवर्तित करने अथवा सीमाओं का सीमांकन कर सकता है।
- यदि किसी स्वायत्त ज़िले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल उस ज़िले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

### संरचना:

- प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, इनमें से चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किये जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिये पद धारण करते हैं (यदि परिषद को इससे पहले भंग नहीं किया जाता है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।

- प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
  - ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन संभालती हैं।
  - अपने क्षेत्राधिकार में ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें, जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। ये अदालतें उनकी अपीलों की सुनवाई करती हैं।
  - इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

## छठी अनुसूची क्षेत्र:

### पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs)

#### परिचय:

- भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद-40 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।

#### अनुसूचित क्षेत्र:

- संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी बहुल राज्यों को इस संबंध में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है कि वे या तो पंचायती राज संस्थान को लागू कर सकते हैं अथवा अपने पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को जारी रख सकते हैं।
- भारत के सभी राज्यों (5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और असम एवं त्रिपुरा के स्वायत्त क्षेत्रों को छोड़कर) ने 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को समायोजित करने के लिये अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया।

#### पीआरआई के प्रावधान:

- एक त्रि-स्तरीय ढाँचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा ज़िला पंचायत)
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना तथा हर पाँच वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटों का आरक्षण।
- पंचायतों की निधियों में सुधार के लिये उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन।

#### पंचायतों की शक्तियाँ:

- 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार देने के लिये राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं-
  - संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्व 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना।
  - कर, डयूटीज़, टोल टैक्स, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार।
  - राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटीज़, टोल टैक्स और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण।

---

# चुनावी बॉण्ड

## चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त धन के अतिवादी या हिंसक विरोध प्रदर्शन संबंधी फंडिंग में दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है।

- न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त इस धन के प्रयोग पर कोई 'नियंत्रण' नहीं है।

## चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
- यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
  - एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
  - बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

## प्रमुख बिंदु:

- पृष्ठभूमि: चुनावी बॉण्ड योजना गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग का नियंत्रण करती है, क्योंकि यह चेक और डिजिटल लेन-देन पर ज़ोर देती है, हालाँकि इस योजना के कई प्रमुख प्रावधान इसे अत्यधिक विवादास्पद बनाते हैं।

  सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया चुनावी बॉण्ड के दुरुपयोग का मुद्दा:
- अनामिकता: इस व्यवस्था के तहत न तो फंड देने वाले के नाम की घोषणा की जाती है और न ही फंड लेने वाले के नाम की।
- असममित रूप से अपारदर्शी: चूँकि चुनावी बॉण्ड केवल SBI के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, इसलिये सरकार इनके संबंध में जानकारी रखती है।
  - जानकारी की यह विषमता सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होती है।
- काले धन का माध्यम: कॉर्पोरेट द्वारा की गई फंडिंग पर 7.5% की कैप का उन्मूलन, राजनीतिक योगदान करने वाले व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता को निराधार करना और इस प्रावधान को समाप्त करना कि एक निगम को कम-से-कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिये, इस योजना के उद्देश्य को अच्छी तरह से रेखांकित नहीं करता है।
  - चुनाव आयोग ने दानदाताओं के नामों को उजागर न करने और घाटे में चल रही कंपनियाँ जो कि केवल शेल कंपनियाँ हैं, को बॉण्ड खरीदने की अनुमति देने पर चिंता जताई थी।

## सरकार का पक्ष:

- चुनावी बॉण्ड हेतु योग्यता: केवल वे राजनीतिक दल ही चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 (A) के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने बीते आम चुनाव में कम-से-कम 1% मत प्राप्त किया है।
- काले धन को राजनीति से दूर रखना: पारंपरिक व्यवस्था के तहत जो भी चुनावी चंदा मिलता था वह मुख्यत: नकद दिया जाता था, जिसे काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी। परंतु चूँकि वर्तमान प्रणाली के तहत चुनावी बॉण्ड केवल चेक या ई-भुगतान के ज़रिये ही खरीदा जा सकता है, इसलिये काले धन संबंधी चिंता खत्म हो जाती है।
  - KYC मानकों का भी अनुसरण किया जाता है।
- भारत निर्वाचन आयोग का समर्थन: भारत निर्वाचन आयोग इन बॉण्डों के विरोध में नहीं था, उसने इसके अनामिकता संबंधी पहलू के बारे में चिंता जताई थी।
  - इसने न्यायालय से कहा कि यह योजना नकद वित्तपोषण की पुरानी प्रणाली की तुलना में एक कदम आगे है।

## आगे की राह:

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने के लिये साहसिक सुधारों के साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।

नोट :

- संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिये मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना ज़रूरी है।
- मतदाता, जागरूकता अभियानों की मांग करके पर्याप्त बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें रिश्वत देते हैं, तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा।

# हेट क्राइम

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फेसबुक पोस्ट के लिये एक वरिष्ठ पत्रकार के विरुद्ध शुरू की गई हेट क्राइम की कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि याचिकाकर्त्ता की सोशल मीडिया पोस्ट उत्पीड़न के संदर्भ में केवल सच की अभिव्यक्ति थी।

## प्रमुख बिंदु

### पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153(a) (घृणा), 500 (मानहानि) और 505(c) (किसी समुदाय या जाति को दूसरे के विरुद्ध अपराध करने के लिये उकसाने) के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई अपील के तहत लिया गया है।

धारा 153(a):

- धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना।
- यह दंडनीय अपराध होगा, जिसमें आरोपी को पाँच वर्ष तक के कारावास और आर्थिक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।

धारा 505(c)

- किसी भी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने हेतु किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को उकसाना अथवा इस संबंध में प्रयास करना।
- यह एक दंडनीय अपराध होगा, जिसमें आरोपी को अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास अथवा आर्थिक जुर्माना अथवा दोनों दोनों सज़ा दी जा सकती है।

## हेट क्राइम

### परिचय

- हेट क्राइम ऐसे आपराधिक कृत्यों को संदर्भित करता है जो कुछ मतभेदों, प्रमुख रूप से धार्मिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों आदि के कारण एक व्यक्ति या सामाजिक समूह के विरुद्ध पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं।
- मौजूदा दौर में इसकी परिभाषा के तहत मॉब लिंचिंग, भेदभाव और आपत्तिजनक भाषणों के साथ-साथ अपमानजनक तथा ऐसे भाषणों को भी शामिल किया जाता है, जो एक समुदाय विशिष्ट को हिंसा के लिये उकसाते हों।
- समग्र तौर पर हेट क्राइम को एक व्यक्ति के अधिकारों पर हमले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो न केवल उस व्यक्ति विशिष्ट को प्रभावित करता है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक संरचना को नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण इसे अन्य आपराधिक कृत्यों की तुलना में अधिक जघन्य माना जाता है।
- 'हेट स्पीच' में मुख्य तौर पर जाति, नस्ल, धर्म या वर्ग आदि के आधार पर की गई टिप्पणियाँ शामिल होती हैं।

### भारत में हेट क्राइम

- भारत में हेट क्राइम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और 'हेट स्पीच' (अभद्र भाषा) के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के बजाय एक समुदाय को व्यापक पैमाने पर होने वाले नुकसान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।
- भारत में धर्म, जातीयता, संस्कृति या नस्ल पर आधारित कोई भी अभद्र भाषा अथवा टिप्पणी पूर्णत: निषिद्ध है।

### 'हेट क्राइम' के विरुद्ध भारतीय कानून

- यद्यपि भारतीय कानूनों में कहीं भी 'हेट क्राइम' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु भारतीय संविधान और देश के अलग-अलग कानूनों में इसके विभिन्न पहलुओं की पहचान की गई है।
- धारा 153(a), 153(b), 295(a), 298, 505(1) और 505(2) के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) यह घोषित करती है कि धर्म, जातीयता, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र आदि के आधार पर अपमान और घृणा को बढ़ावा देने वाला कोई भी शब्द (लिखित अथवा मौखिक) कानून के तहत दंडनीय है।
- कुछ अन्य कानून, जिनमें 'हेट क्राइम' और इसकी रोकथाम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं
  - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
  - गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967

## नो परमिशन-नो टेकऑफ (NPNT) अनुपालन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक, सुगम बनाने और बढ़ावा देने के लिये 34 अतिरिक्त ग्रीन ज़ोन में 'नो परमिशन-नो टेकऑफ' (NPNT) के अनुपालन की अनुमति दी है।

### प्रमुख बिंदु:

#### परिचय:

- NPNT एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  - रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) को एक मानवरहित एयरक्राफ्ट (UA) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एक दूरस्थ पायलट स्टेशन से संचालित किया जाता है। ड्रोन मानवरहित एयरक्राफ्ट (UA) के लिये एक सामान्य शब्दावली है।
  - डिजिटल स्काई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है, जो एक अत्यधिक सुरक्षित और मापनीय प्लेटफॉर्म है और NPNT जैसे तकनीकी ढाँचे का समर्थन करता है। यह उड़ान अनुमति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और मानव रहित विमान संचालन तथा यातायात को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिये तैयार किया गया है।
- यदि एक NPNT अनुपालन ड्रोन भू-आबद्ध के लिये निर्धारित सीमा (हवाई क्षेत्र में अनुमेय सीमा से आगे जाने के लिये ) को भंग करने की कोशिश करता है, तो इसमें अंतर्निहित सॉफ्टवेयर ड्रोन को वापस लौटने (रिटर्न-टू-होम ) के लिये मजबूर करेगा।
- ग्रीन ज़ोन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानें मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 की लागू शर्तों के अनुरूप होंगी।
- इन अनुमोदित ग्रीन ज़ोन 'में उड़ान भरने के लिये डिजिटल स्काई पोर्टल या एप के माध्यम से केवल उड़ानों के समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी।
  - 'येलो ज़ोन' में उड़ान भरने के लिये अनुमति लेनी आवश्यक है तथा 'रेड ज़ोन' में किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं है।

#### मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021

- UAS को हवाई जहाज़, रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वर्तमान में इसे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, और स्वायत्त मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- UA को अधिकतम भार के आधार पर नैनो, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े मानवरहित विमानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) से अनिवार्य रूप से आयात, निर्माण, व्यापार, मानव सहित या ड्रोन संचालित करने के लिये अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- नो परमिशन- नो टेक-ऑफ (NPNT) पॉलिसी को सभी UAS (नैनो को छोड़कर) के लिये अपनाया गया है।
- सूक्ष्म और लघु UAS को क्रमशः 60 मीटर और 120 मीटर से ऊपर उड़ान भरने की अनुमति नहीं है।
- UAS को गृह मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों, रक्षा हवाई अड्डों, सीमावर्ती क्षेत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों/सुविधाओं और रणनीतिक स्थानों/महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के रूप में चिह्नित क्षेत्रों सहित रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया है।
- अनुसंधान और विकास (R&D) संगठन, जिसमें स्टार्ट-अप, अधिकृत UAS निर्माता, भारत में स्थित उच्च शिक्षा के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं, को DGCA से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद ही UAS के R&D को आगे बढ़ाने की अनुमति है।
- व्यक्तियों पर 10 हज़ार रुपए से 1 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है, जबकि संगठनों के लिये संगठन के आकार के आधार पर 200, 300 और 400% राशि निर्दिष्ट की गई है।

# आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने वर्ष 2019-20 में सूचना का अधिकार (Right to Information) के तहत किये गए कुल अनुरोधों में से 4.3% को अस्वीकार कर दिया है।

- यह अस्वीकृति दर वर्ष 2005-06 में 13.9% और वर्ष 2014-15 में 8.4% थी।

## प्रमुख बिंदु

- बिना कारण अस्वीकृति: इनमें से लगभग 40% अस्वीकृति में कोई वैध कारण शामिल नहीं था, क्योंकि उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के कुछ उन खंडों का उपयोग नहीं किया जिसके अंतर्गत छूट दी गई है।
  - इन अस्वीकृतियों को CIC डेटा में 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
  - अकेले वित्त मंत्रालय ने अधिनियम के तहत वैध कारण प्रदान किये बिना अपने कुल आरटीआई अनुरोधों का 40% खारिज कर दिया।
  - प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित 90% से अधिक अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया, इन अनुरोधों को "अन्य" श्रेणी में रखा गया।
- अधिकतम अस्वीकृतियाँ: गृह मंत्रालय की अस्वीकृति दर उच्चतम थी, क्योंकि इसने अपने पास आए कुल आरटीआई के 20% अनुरोधों को खारिज कर दिया।
  - दिल्ली पुलिस और सेना में भी आरटीआई के अस्वीकृति की दर में वृद्धि देखी गई।

## आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति का आधार:

- धारा 8 (1) सूचना प्रकटीकरण में छूट से संबंधित है:
  - यह धारा सरकार को किसी भी ऐसी सूचना जो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक हितों आदि से संबंधित है, को अस्वीकार करने की अनुमति देती है।
  - वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा आदि जानकारियाँ।
  - ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी भी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।
  - ऐसी सूचना जो अपराधियों की जाँच या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करेगी।
  - ऐसी व्यक्तिगत जानकारी जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।
  - आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति के मामलों में लगभग 46% में धारा 8 (1) का उपयोग किया गया था।
- धारा 9:
  - यह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल है।

- धारा 24:
  - यह भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर सुरक्षा और खुफिया संगठनों से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करता है।
  - इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पाँच में से लगभग एक (20%) आरटीआई अस्वीकार किया गया।

## सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

- इस अधिनियम में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  - इनका कार्यकाल इस संशोधन से पहले 5 वर्ष का था।
- नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोज़गार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी।
  - इस संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थीं और सूचना आयुक्तों की चुनाव आयुक्तों (राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त) के समान थीं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि उसके वेतन से घटा दी जाएगी, लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

## केंद्रीय सूचना आयोग

- स्थापना:
  - केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
- सदस्य:
  - केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    - वर्ष 2019 में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा छह सूचना आयुक्त थे।
- नियुक्ति:
  - ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं।
- कार्यकाल:
  - ऐसे पदों हेतु मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करेंगे।
  - इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
- सीआईसी की शक्ति और कार्य:
  - आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे।
  - आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वत: संज्ञान (Suo-Moto Power) लेते हुए जाँच का आदेश दे सकता है।
  - आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेज़ों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

नोट :

# उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों (Pendency of Cases) से निपटने के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर ज़ोर दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव:
  - एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये दिशा-निर्देश: अदालत ने तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judge) की नियुक्ति और उसकी कार्यपद्धति हेतु मौखिक दिशा-निर्देश दिये हैं।
  - न्याय में एक निश्चित सीमा से अधिक देरी: यदि किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में न्याय प्रदान करने में एक निश्चित सीमा से आठ या 10 साल अधिक की देरी हो जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एक जज के रूप में नियुक्त कर सकता है।
    - ऐसे न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
  - स्थिति: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की सेवाओं के लिये खतरा नहीं होगी क्योंकि इन्हें कनिष्ठ माना जाएगा।
  - चयन: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विवाद के एक विशेष क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना जाएगा और कानून के उस क्षेत्र में लंबित मुद्दों को निपटाने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये तर्क:
  - यदि संबंधित क्षेत्र में 15 साल से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इन क्षेत्रों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिये तदर्थ न्यायाधीश के रूप में पुन: नियुक्त किया जाएगा तो ऐसे विवादों से जल्दी निपटा जा सकेगा।
- संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
  - संविधान के अनुच्छेद 224A (उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति) के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  - किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा।
- न्याय में देरी का कारण:
  - सरकार सबसे बड़ी पक्षकार: आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के अनुसार, देरी से आए निर्णयों के परिणामस्वरूप जीडीपी के 4.7% के बराबर कर राजस्व की हानि हुई और यह हानि अभी भी बढ़ रही है।
  - कम बजटीय आवंटन: न्यायपालिका को आवंटित बजट सकल घरेलू उत्पाद का 0.08 और 0.09% के बीच है। केवल चार देशों (जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड) के पास कम बजट आवंटन है लेकिन उनके यहाँ भारत की तरह न्याय में देरी की समस्या नहीं है।
  - लंबे अवकाश की प्रथा: आमतौर पर निचली अदालतें में लंबे अवकाश की प्रथा है, जो मामलों के लंबित होने का एक प्रमुख कारण है।
  - मूल्यांकन का अभाव: जब एक नया कानून बनता है तो सरकार द्वारा न्यायपालिका पर कितना बोझ डाला जाना है, इसका कोई न्यायिक प्रभाव आकलन नहीं होता है।
    - अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
  - न्यायिक नियुक्ति में देरी: उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिये कॉलेजियम (Collegium) द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के पास सात महीने से एक वर्ष तक लंबित रही हैं।

नोट :

- सभी 25 उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 1,080 है। हालाँकि मार्च 2021 तक इनमें से केवल 661 न्यायाधीश (419 रिक्तियाँ) ही कार्यरत हैं।
- सरकार का मानना है कि इन खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के लिये कॉलेजियम और उच्च न्यायालय ज़िम्मेदार हैं।

### आगे की राह

- नियुक्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित करना: रिक्तियों को बिना किसी अनावश्यक विलंब किये भरा जाना चाहिये।
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये एक उचित समय-सीमा निर्धारित करके इन नियुक्तियों के लिये अग्रिम सिफारिशें करनी चाहिये।
  - अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) का गठन भारत को एक बेहतर न्यायिक प्रणाली स्थापित करने में निश्चित रूप से मदद कर सकता है।
- प्रौद्योगिकियों का उपयोग: लोग अपने अधिकारों के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूक हो रहे हैं और यही कारण है कि अदालत में दायर मामलों की संख्या बढ़ रही है।
  - इससे निपटने के लिये न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाना चाहिये और इसके अलावा प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- अदालत से बाहर समझौता: हर मामले को अदालत परिसर के भीतर हल करना अनिवार्य नहीं है, अन्य संभावित प्रणालियों का भी उपयोग किया जाना चाहिये।
- वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है, जिसके लिये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation) में तीन बार संशोधन किया गया है ताकि सुलह या मध्यस्थता द्वारा मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके।

## गढ़वाल के किले

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में गढ़वाल हिमालय (Garhwal Himalayas) के उत्तर, पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र में फैले 193 स्थलों की पहचान की गई है जिनमें गढ़वाल के किलों और दुर्गों के खंडहर शामिल हैं।

- यह अपने तरह का पहला डेटाबेस है। इसमें कुल 36 प्रमुख किलों और 12 प्रमुख किलों के समूह की पहचान की गई है।

### प्रमुख बिंदु:

- गढ़वाल के किले:
  - उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में अधिकांश मध्ययुगीन किलों का निर्माण रणनीतिक रूप से समूह में किया गया था।
  - 8वीं शताब्दी से पूर्व के किलों का निर्माण घाटियों और पर्वतों के साथ कई अन्य स्थानों पर किया गया था, जो कि गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल (Mean Sea Level- MSL) से 3,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित हैं।
  - इन सुव्यवस्थित किलों का निर्माण कत्यूरी राजवंश (Katyuri Dynasty) के पतन के दौरान या बाद में हुआ था।
- महत्त्व:
  - भौगोलिक रूप से इन किलों का निर्माण एक-दूसरे से दूर किया गया था। किंतु तत्कालीन शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी बड़े किलों के चारों ओर छोटे दुर्गों का निर्माण किया जाए ताकि वे छोटे दुर्ग मुख्यत: प्रहरी दुर्ग के रूप में कार्य कर सकें।
  - इन दुर्गों का निर्माण मुख्य किले के लगभग 15 किमी. की परिधि में किया गया था।
  - उस समय कई ऐसे किले एक रणनीतिक नेटवर्क का गठन करते थे ताकि दुश्मन द्वारा हमला किया जाने पर जानकारी को प्रसारित किया जा सके।
    - संदेशों को संप्रेषित करने हेतु आग, धुआँ या इसी तरह के प्रकाश संकेत सामान्य साधन हुआ करते थे।

### गढ़वाल का इतिहास:

- कत्यूरी राजवंश:
  - इतिहासकारों के अनुसार, 700 ई. से 800 ई. के मध्य कत्यूरी राजवंश के शासकों ने प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु इस क्षेत्र को कई छोटे मंडलों या इकाइयों में विभाजित किया था।
  - हालाँकि जब राजवंश सहस्राब्दी के अंत के आसपास राजनीतिक रूप से कमज़ोर होने लगा, तो ये इकाइयाँ गढ़पतियों या सरदारों के अधीन आ गईं, जिनमें से प्रत्येक गढ़पति या सरदार द्वारा अलग-अलग किलों का निर्माण किया गया।

### विदेशी आक्रमण:

- चूँकि गढ़वाल हिमालय में कई धार्मिक स्थल स्थित है और यह अक्सर विदेशी हमलों ( मुख्य रूप से नेपाली और तिब्बतियों ) का शिकार रहा है।
- 1100–1200 ई. के दौरान दो नेपाली राजाओं अशोक चल्ल और क्राचल्ल द्वारा किये गए आक्रमण को यहाँ पर पहला विश्वव्यापी हमलों में शामिल किया जाता है।

एकीकरण:

- 15वीं शताब्दी तक परमार वंश के 37वें राजा, राजा अजयपाल ने इस क्षेत्र में कई प्रमुखों क्षेत्र को एकीकृत कर एक राज्य के रूप में स्थापित किया जो वर्तमान गढ़वाल राज्य के रूप में स्थापित है।

### कत्यूरी राजवंश ( परिचय ):

- कत्यूरी राजा वर्तमान भारत के उत्तराखंड राज्य में एक मध्यकालीन शासक कबीले थे। उन्होंने इस क्षेत्र पर 700 से 1200 शताब्दी के मध्य शासन किया जो अब कुमाऊँ के रूप में जाना जाता है।
- कत्यूरी राजवंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी (Vashudev Katyuri) द्वारा की गई थी। जिसे वासुदेव या बसुदेव के रूप में भी जाना जाता है।
- 12वीं शताब्दी तक विभिन्न रियासतों में विभाजित होने से पूर्व कुमाऊँ का कत्यूरी राजवंश अपने चरम पर था जो पूर्व में सिक्किम से पश्चिम में काबुल, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था।

## महाराजा छत्रसाल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है।

- बुंदेलखंड के राजा, महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित इस कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया है।

### खजुराहो

- यह देश के 19 चिह्नित प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक है।
  - पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास योजना की शुरुआत की है, जो कि समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर देश के 19 चिह्नित प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के विकास से संबंधित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- खजुराहो समूह के स्मारक को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - यहाँ के मंदिर अपनी नागर स्थापत्य शैली और कामुक मूर्तियों के लिये प्रसिद्ध हैं।
  - खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था।

### स्वदेश दर्शन योजना

- यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास हेतु शुरू किया गया था।

    - वर्तमान में 15 थीम आधारित सर्किट हैं - बौद्ध, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्यावरण, विरासत, हिमालयन क्षेत्र, कृष्ण, उत्तर-पूर्व, रामायण, ग्रामीण क्षेत्र, आध्यात्म, सूफी, तीर्थंकर, आदिवासी और वन्यजीव।
    - थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास पर्यटक अनुभव में वृद्धि करने, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने हेतु उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतिस्पर्द्धा और स्थिरता के एकीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।
- पर्यटन मंत्रालय इस योजना के तहत सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिये राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना को स्वच्छ भारत अभियान, कौशल भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से भी शुरू किया गया है, ताकि पर्यटन को रोज़गार सृजन और देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

## प्रमुख बिंदु

### संक्षिप्त परिचय

- जन्म: महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई, 1649 को बुंदेला राजपूत कबीले में चंपत राय और लाल कुंवर के घर हुआ था।
    - वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे।
- वे एक मध्यकालीन भारतीय योद्धा थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया।
- मृत्यु: 20 दिसंबर, 1731

### मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष

- उन्होंने वर्ष 1671 में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया और सर्वप्रथम छतरपुर ज़िले के नौगाँव क्षेत्र पर कब्ज़ा किया।
- उन्होंने मुगलों के विरुद्ध तकरीबन 50 वर्ष तक संघर्ष किया और बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया तथा पन्ना में अपना केंद्र स्थापित किया।

### बाजीराव प्रथम के साथ संबंध:

- बाजीराव प्रथम ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में छत्रसाल की मदद की थी। बाजीराव प्रथम ने 1728 में मुहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में मुगल सेना के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी।
- पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी छत्रसाल की बेटी थी।
- अपनी मृत्यु से पूर्व छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध सहायता के बदले महोबा और आसपास के क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिये थे।

### साहित्य के संरक्षक

- उनके दरबार में कई नामचीन कवि थे। कवि भूषण, लाल कवि, बख्शी हंसराज और अन्य दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई उनकी स्तुतियों ने उन्हें स्थायी प्रसिद्धि हासिल करने में काफी सहायता की।

### धार्मिक मत

- वे महामति प्राणनाथ जी के शिष्य थे।
- महामति प्राणनाथ जी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में उनका मार्गदर्शन किया।
- स्वामी प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को पन्ना में हीरे की खानों के बारे में बताया और उनकी वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने में मदद की।

### विरासत

- मध्य प्रदेश में छतरपुर शहर और इसके ज़िले का नाम छत्रसाल के नाम पर रखा गया है।
- मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल संग्रहालय और दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम का नाम भी महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है।

नोट :

# स्वास्थ्य: समवर्ती सूची में स्थानांतरण

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य (Health) को संविधान के तहत समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। वर्तमान में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची (State List) के अंतर्गत आता है।

- एन.के. सिंह ने हेल्थकेयर में निवेश के लिये एक समर्पित विकास वित्त संस्थान (Development Financial Institute-DFI) हेतु भी काम किया है।

## प्रमुख बिंदु

### 'स्वास्थ्य' को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के पक्ष में तर्क:

- केंद्र की ज़िम्मेदारी में वृद्धि: स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किये जाने से केंद्र को नियामक परिवर्तनों को लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और सभी पक्षों के दायित्वों को सुदृढ़ करने के लिये अधिक अवसर मिलेगा।
- अधिनियमों का युक्तिकरण और सरल बनाना: स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा तेज़ी से उभरने वाली संस्थानों की बहुलता है, फिर भी इस क्षेत्र का विनियमन उचित रूप से नहीं होता है।
  - स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करके कार्यप्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती है।
- केंद्र की विशेषज्ञता: केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर है क्योंकि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिये समर्पित अनेक शोध निकायों और विभागों की सहायता प्राप्त है।
  - दूसरी ओर राज्यों के पास व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

### 'स्वास्थ्य' को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के विपक्ष में तर्क:

- स्वास्थ्य का अधिकार: सभी के लिये सुलभ, सस्ती और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की गारंटी देना न तो आवश्यक है तथा न ही पर्याप्त।
  - स्वास्थ्य का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।
- संघीय संरचना को चुनौती: राज्य सूची से केंद्र सूची में अधिक विषयों को स्थानांतरित करने से भारत की संघीय प्रकृति दुर्बल होगी।
  - न्यास सहकारी संघवाद: केंद्र को अपने अधिकारों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, जिससे राज्यों को उनके संवैधानिक दायित्वों जैसे- सभी के लिये पर्याप्त, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके।
- केंद्र पर अधिक ज़िम्मेदारी: केंद्र के पास पहले से ही अधिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनसे निपटने के लिये वह संघर्ष करता रहता है। अधिक ज़िम्मेदारियाँ लेने से न तो राज्यों को और न ही केंद्र को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी।
- राज्यों को प्रोत्साहित करना: राज्य द्वारा एकत्रित किये जाने वाले करों का 41% हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, साथ ही केंद्र को भी स्वयं के संसाधन का उपयोग करके अपने दायित्व को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - स्वास्थ्य को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी इस पर केंद्र के रचनात्मक सहयोग को राज्यों को अपनाना चाहिये।
  - नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, बीमा आधारित कार्यक्रम (आयुष्मान भारत) के माध्यम से वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये बेहतर विनियामक वातावरण और चिकित्सा शिक्षा ऐसे ही उदाहरण हैं जो राज्यों को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।

### स्वास्थ्य देखभाल के लिये विकासात्मक वित्त संस्थान:

- स्वास्थ्य क्षेत्र-विशिष्ट डीएफआई की ज़रूरत वैसे ही होती है जैसे अन्य क्षेत्रों (नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि) को होती है।
- इस तरह के डीएफआई से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य सुविधा की पहुँच बढ़ेगी तथा इससे धन के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीकी सहायता भी मिलेगी।

नोट :

### एन.के. सिंह के अन्य सुझाव:

- स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना।
- विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सभी राज्यों की एक मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिये और कम-से-कम दो-तिहाई धनराशि का आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र को किया जाना चाहिये।
- केंद्र और राज्य दोनों के लिये स्वास्थ्य देखभाल कोड का मानकीकरण करना।
- अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन।
    - इस सेवा का गठन चिकित्सा हेतु डॉक्टरों की उपलब्धता में राज्यवार अंतर को देखते हुए करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2ए के तहत परिकल्पित है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बीमा के महत्त्व पर ज़ोर देना, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसकी पहुँच से दूर है।

### हेल्थ केयर बीमा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता:

- मौजूदा बीमा कवरेज़ क्षेत्र: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) नीचे के दो आय पंचमक (Quintile) और वाणिज्यिक बीमा बड़े पैमाने पर शीर्ष के आय पंचमक को कवर करती है, जिससे बीच में एक अनुपस्थित मध्य वर्ग (Missing Middle) पैदा होता है।
- अनुपस्थित मध्य वर्ग: यह वर्ग दो आय पंचमकों के बीच के लोगों को संदर्भित करता है, जहाँ वाणिज्यिक बीमा का खर्च उठाने वाली जनसंख्या और सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर किये जाने हेतु पर्याप्त गरीब जनसंख्या नहीं है।

### समवर्ती सूची

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ यथा- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं।
- इस सूची में मुख्यत: ऐसे विषय शामिल किये गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है लेकिन यह आवश्यक नहीं है।
- हालाँकि राज्य के कानून को केंद्रीय कानून का विरोधी नहीं होना चाहिये। कई बार संबंधित विषय पर केंद्रीय कानून की मौजूदगी इस पर राज्य की कानून बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं ज़हर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इन पाँच विषयों में शामिल हैं- (1) शिक्षा (2) वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण (3) वन (4) नाप-तौल (5) न्याय प्रशासन।

### विकास वित्त संस्थान

- ये विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिये विशेष रूप से स्थापित संस्थान हैं।
- ये बैंक आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों के स्वामित्व वाले होते हैं।
- इन बैंकों की पूंजी का स्रोत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि है।
- यह विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रतिस्पर्द्धी दर पर वित्त प्रदान करने की क्षमता रखता है।

नोट :

# आर्थिक घटनाक्रम

## बैंक ऋण और जमा में वृद्धि: RBI

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा जारी किये गए आँकड़ों से पता चला है कि जनवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2021 में बैंक ऋण (Credit) और जमा (Deposit) में वृद्धि हुई थी।

- फरवरी 2021 का ऋण और जमा आँकड़ा फरवरी 2020 (कोविड महामारी से पूर्व) के आँकड़े से अधिक था।

### प्रमुख बिंदु

#### RBI का बैंक से संबंधित आँकड़ा:

- फरवरी 2021 के अंत में:
  - बैंक ऋण 6.63% बढ़कर 107.75 लाख करोड़ रुपए हो गया जो फरवरी 2020 में 101.05 लाख करोड़ रुपए था।
  - बैंक जमा 12.06% बढ़कर 149.34 लाख करोड़ रुपए हो गया जो फरवरी 2020 में 133.26 लाख करोड़ रुपए था।
- ऋण वृद्धि का कारण:
  - बैंक ऋण में वृद्धि, खुदरा ऋण में वृद्धि से प्रेरित है।
  - खुदरा ऋण में विभिन्न ऋणों की एक विशाल शृंखला शामिल है। व्यक्तिगत ऋण जैसे- कार ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड आदि सभी खुदरा ऋण की श्रेणी में आते हैं, लेकिन व्यावसायिक ऋण भी खुदरा ऋण की श्रेणी में आ सकते हैं।
  - समग्र खुदरा ऋण वृद्धि जो वर्तमान में 9% है, में बंधक (खुदरा ऋणों का 51% योगदान), असुरक्षित (कार्ड/व्यक्तिगत ऋण) और वाहन ऋण के कारण तेज़ी आने की उम्मीद है।

#### बैंक ऋण:

- बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को उधार दिये गए धन से लाभ कमाते हैं।
  - इस प्रकार का धन ग्राहक के खाते में जमा धन या कुछ निवेश वाहनों जैसे कि जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) में निवेश से दिया जाता है।
    - जमा प्रमाणपत्र एक ऐसा उत्पाद है जो बैंकों और क्रेडिट यूनियनों द्वारा दिया किया जाता है, जो ग्राहक को एक पूर्व निर्धारित अवधि तक जमा राशि छोड़ने पर ब्याज प्रदान करता है।
- बैंक ऋण में वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों या व्यवसायों को दिये गए कुल राशि को शामिल किया जाता है। यह बैंकों और उधारकर्त्ताओं के बीच एक समझौता है जहाँ बैंक उधारकर्त्ताओं को ऋण देते हैं।

#### भारत में बैंक ऋण:

- भारत में बैंक ऋण का अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Bank) द्वारा दिये गए ऋण से है।
- बैंक ऋण को खाद्य ऋण (Food Credit) और गैर खाद्य ऋण (Non Food Credit) में वर्गीकृत किया जाता है।
  - यह ऋण मुख्य रूप से बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) को खाद्यान्नों की खरीद के लिये दिये गए ऋण के रूप में दर्शाता है। यह कुल बैंक ऋण का एक छोटा हिस्सा है।
  - बैंक ऋण का प्रमुख हिस्सा गैर-खाद्य ऋणों का है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग और सेवा) के ऋण और व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

- RBI द्वारा मासिक आधार पर बैंक ऋण का आँकड़ा एकत्र किया जाता है।

**बैंक जमा:**

- बैंक जमा का अर्थ सुरक्षा के लिये बैंकिंग संस्थानों में रखे गए पैसे से है। ये जमा बचत खातों, चालू खातों और मुद्रा बाज़ार जैसे खातों में किये जाते हैं।
    - खाता धारक को यह अधिकार है कि वह ज़रूरत पड़ने पर खाता समझौते को संचालित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार जमा धन को निकल सकता है।

भारत में बैंक जमा : भारत में बैंक जमा के चार प्रमुख प्रकार हैं:

- चालू खाता:
    - चालू खाता एक विशेष प्रकार का खाता है, जिसमें निकासी और लेनदेन पर बचत खाते की तुलना में कम प्रतिबंध होता है।
    - इसे मांग जमा खाता (Demand Deposit Account) के रूप में भी जाना जाता है जो व्यवसायियों हेतु व्यापार में लेन-देन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये होता है।
    - बैंक इन खातों पर ओवरड्राफ्ट (Overdraft- खाताधारकों के खातों में मौजूद धन से अधिक धन निकालने की सुविधा) की सुविधा भी प्रदान करते हैं।
- बचत खाता:
    - यह खाता उच्च तरलता वाला होता है जो आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। हालाँकि इसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये नकद निकासी और लेन-देन की सीमा निर्धारित है।
    - बैंक एक ब्याज दर प्रदान करते हैं जो मुद्रास्फीति (Inflation) से थोड़ा अधिक होती है, इसलिये बचत खाता निवेश के लिये बहुत इष्टतम नहीं है।
- आवर्ती जमा:
    - यह एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जहाँ एकमुश्त बचत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी व्यक्ति को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है।
    - इस खाते में समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जुर्माने के साथ जमा की परिपक्वता तिथि से पहले भी खाते को बंद किया जा सकता है।
- सावधि जमा:
    - यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त जमा योजना है, जिसमें एक नियत अवधि में जमा की गई धनराशि पर ब्याज दिया जाता है।
    - इस प्रकार की जमाओं पर बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, जिसमें जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है।

---

## 'राष्ट्रीय गैर-लौह धातु स्क्रैप रिसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020'

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा स्क्रैप आयात में कटौती करने के लिये एक 'राष्ट्रीय गैर-लौह धातु स्क्रैप रिसाइक्लिंग फ्रेमवर्क, 2020' जारी किया गया है।

- यह फ्रेमवर्क खनिज मूल्य शृंखला प्रसंस्करण में बेहतर दक्षता के लिये एक जीवन चक्र प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करने का प्रयास करता है।

## प्रमुख बिंदु:

### रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के उद्देश्य:

- धातु के पुनर्चक्रण/रीसाइक्लिंग के माध्यम से संपत्ति के निर्माण, रोज़गार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में वृद्धि करना।
- ऊर्जा कुशल/दक्ष प्रक्रियाओं को अपनाकर एक औपचारिक और सुव्यवस्थित पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण प्रणाली को बढ़ावा देकर लैंडफिल और पर्यावरण प्रदूषण पर 'एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट' (जब कोई उत्पाद आगे प्रयोग योग्य न रह जाए) के प्रभाव को कम करना।
- सभी हितधारकों को शामिल करके एक उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

### कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश:

- इस फ्रेमवर्क में धातु के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिये एक केंद्रीय धातु पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।
- पुनर्चक्रण के लिये उपयोग किये जाने वाले स्क्रैप की गुणवत्ता निर्धारित करने हेतु सरकार मानक स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।
- संगठित क्षेत्र में पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिये स्क्रैप अलग करने वाले सेग्रीग्रेटर, स्क्रैप तोड़ने वाले डिसमैंटलर, रिसाइक्लर, संग्रह केंद्रों आदि के पंजीकरण हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
- इसके तहत 'शहरी खानों' या 'अर्बन माइन्स' (Urban Mines) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें बड़ी मात्रा में स्क्रैप के एकत्रण और भंडारण के लिये स्थान के रूप में निर्धारित किया गया है।
- पुनर्चक्रित/माध्यमिक धातु के लिये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म/एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
  - पुनर्चक्रण से जुड़ी कंपनियाँ या रिसाइक्लर्स (Recyclers) औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ संग्रह अनुबंधों (स्क्रैप एकत्र करने हेतु) को लागू करने की संभावना तलाश सकते हैं।

### हितधारकों की भूमिका/उत्तरदायित्व:

- निर्माता के उत्तरदायित्व: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility- EPR) के दिशा-निर्देशों/विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
  - उत्पादों का डिज़ाइन इस प्रकार से तैयार करना ताकि एक कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनका पुनर्चक्रण तथा पुन: उपयोग करना आसान हो।
- जनता की भूमिका: लोगों को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए नामित स्क्रैप संग्रह केंद्रों पर स्क्रैप को रखना चाहिये जिससे उनका प्रभावी और पर्यावरणीय अनुकूल प्रसंस्करण किया जा सके।
- सरकार की भूमिका: 'केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (MoEFCC) द्वारा पुनर्चक्रण इकाइयों के लिये कई मंज़ूरियों की अनिवार्यता को हटाते (जहाँ कहीं भी संभव हो) हुए नियामक आवश्यकता को सरल तथा कारगर बनाया जाएगा।
- पुनर्चक्रण प्राधिकरण की भूमिका: MoEFCC, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) आदि के परामर्श से स्क्रैप की हैंडलिंग और प्रसंस्करण के लिये तकनीकी, सुरक्षा एवं पर्यावरण मानदंड तथा SOPs का विकास करना।

### गैर-लौह धातु पुनर्चक्रण उद्योगों की चुनौतियाँ:

- गैर-लौह धातु पुनर्चक्रण उद्योगों की एक बड़ी चुनौती धातु स्क्रैप के आयात पर इसकी भारी निर्भरता है।
- एक संगठित/व्यवस्थित स्क्रैप रिकवरी तंत्र की कमी।
- अपशिष्ट संग्रह और पुनर्चक्रण पर मौजूदा नियमों के स्थायी कार्यान्वयन का अभाव।
- पुनर्चक्रीकृत उत्पादों के मानकीकरण का अभाव इसे बाज़ार द्वारा अपनाये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- उत्तरदायी तरीकों और प्रौद्योगिकियों के मामले में विशिष्ट कौशल का अभाव।

नोट :

### पुनर्चक्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल:

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (एनआरईपी) तैयार करने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संसाधन दक्षता को मुख्यधारा में लाना है, इसमें एल्युमीनियम क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है।
- केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा 'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' (Steel Scrap Recycling Policy) जारी की गई है, जिसके तहत धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और इसे बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है।
- नीति आयोग द्वारा देश में औपचारिक एवं संगठित तरीके से सामग्रियों/उपकरणों के पुनर्चक्रण की दिशा में समन्वित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के कार्यक्रमों, योजनाओं व कार्यों के संचालन हेतु एक व्यापक "राष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण नीति" का प्रस्ताव किया गया है।

### गैर-लौह धातु (Non-Ferrous Metal):

- अलौह धातुओं को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - हीन या अपधातु (Base Metals): उदाहरण- एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, टिन।
  - बहुमूल्य धातु (Precious Metals): उदाहरण- चाँदी, सोना, पैलेडियम, अन्य प्लैटिनम समूह धातु।
  - माइनर मेटल (उच्च तापसह धातुओं सहित): जैसे- टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटलम, नाइओबियम, क्रोमियम।
  - स्पेशियलिटी मेटल (Specialty Metals): उदाहरण- कोबाल्ट, जर्मेनियम, इंडियम, टेल्यूरियम, एंटीमनीऔर गैलियम।
- लोहे के बाद एल्युमिनियम विश्व में दूसरी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है।
- मूल्य के आधार पर तांबा तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण हीन या अपधातु (Base Metals) है।
- जस्ता विश्व भर में चौथी सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है।

---

## मुद्रास्फीति डेटा: फरवरी 2021

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने फरवरी 2021 के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जारी किया।

### प्रमुख बिंदु

#### थोक मूल्य मुद्रास्फीति

- यह लगातार दूसरे माह बढ़कर 4.17 प्रतिशत पर पहुँच गई है।
  - यह नवंबर 2018 के बाद से ही अपने उच्चतम स्तर पर है, जब थोक मुद्रास्फीति 4.47 प्रतिशत पर थी।
  - जनवरी 2021 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति 2.03 प्रतिशत और फरवरी 2020 में 2.26 प्रतिशत पर थी।

#### कारण

- खाद्य उत्पादों, ईंधन और बिजली आदि की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक मूल्य मुद्रास्फीति की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - खाद्य मुद्रास्फीति: फरवरी माह में खाद्य उत्पादों के मामले में 1.36 प्रतिशत मुद्रास्फीति देखी गई, जो कि जनवरी माह में (-) 2.80 प्रतिशत थी।
  - खुदरा मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर फरवरी माह में यह 5.03 प्रतिशत पर थी।

#### थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- यह व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है।
- इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है।

नोट :

- हालाँकि कई आलोचक यह तर्क देते हैं कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है, इसलिये यह सूचकांक आम भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- वर्ष 2017 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को संशोधित कर वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 कर दिया गया था।

### उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- यह सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के तहत भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे- खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि की कीमत में परिवर्तन की गणना करता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के तहत खाद्य एवं पेय पदार्थ, ईंधन एवं प्रकाश, आवास एवं कपड़े, बिस्तर एवं जूते सहित कई उप-समूह शामिल हैं।
- CPI के निम्नलिखित चार प्रकार हैं:
  - औद्योगिक श्रमिकों (IW) के लिये CPI
  - कृषि मज़दूर (AL) के लिये CPI
  - ग्रामीण मज़दूर (RL) के लिये CPI
  - CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)
- इनमें से प्रथम तीन को श्रम और रोज़गार मंत्रालय में 'श्रम ब्यूरो' द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि CPI के चौथे प्रकार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित किया जाता है।
- वर्ष 2012 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी डेटा का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में CPI को अपनाया था।

### थोक मूल्य सूचकांक बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- WPI, उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, जबकि CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता, जबकि CPI में सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

### मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन और परिवहन इत्यादि की कीमतों में होने वाली वृद्धि से है।
- मुद्रास्फीति के तहत समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत होती है।
  - इससे अंतत: आर्थिक विकास में कमी आ सकती है।
- हालाँकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुद्रास्फीति का एक आवश्यक स्तर बनाये रखना आवश्यक होता है।
- भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों- थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है जो कि क्रमश: थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तन को मापते हैं।

## डिफॉल्टर्स की बैक-डोर एंट्री पर प्रतिबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही के परिसमापन चरण के दौरान समझौता या व्यवस्था के विशेष प्रावधान का उपयोग करके बैक-डोर एंट्री करने वाले डिफॉल्टर्स पर रोक लगा दी है।

नोट :

- न्यायालय का यह निर्णय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के मूल भाव को और स्पष्ट करता है।

## प्रमुख बिंदु

### पृष्ठभूमि

- एक लिमिटेड कंपनी के परिसमापन से जुड़े विवाद में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने वर्ष 2019 में कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29A के तहत अपनी ही कंपनी की परिसमापन में बोली लगाने के लिये अयोग्य है, वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के तहत समझौता और व्यवस्था हेतु एक योजना का प्रस्ताव देने के लिये भी अयोग्य होगा।
  - कंपनी अधिनियम 2013 एक भारतीय कंपनी कानून है जो 'कंपनी' के निगमन, दायित्व, निदेशकों और कंपनी के विघटन आदि पहलुओं को नियंत्रित करता है।
    - यहाँ कंपनी का आशय इस अधिनियम के तहत अथवा पूर्व के किसी अधिनियम के तहत निगमित कानूनी इकाई से है।
  - कंपनी अधिनियम की धारा 230 कंपनी के प्रमोटरों या लेनदारों को व्यवस्था या समझौता प्रस्ताव देने की अनुमति देती है, जिसके तहत कंपनी के ऋण का पुनर्गठन किया जा सकता है।

### सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय

- SC ने NCLAT के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 230 केवल तब लागू होगी जब कंपनी सामान्य रूप से अपना कामकाज कर रही है, न कि तब जब कंपनी IBC के तहत परिसमापन का सामना कर रही है।

### सर्वोच्च न्यायालय का तर्क

- कंपनी को उसके न्यायिक विघटन या 'कॉर्पोरेट डेथ' से बचाना आवश्यक है।
- यह एक गंभीर विसंगति उत्पन्न करेगा, जो लोग किसी भी प्रकार की रेज़ोल्यूशन योजना प्रस्तुत करने और परिसंपत्ति की बिक्री में हिस्सा लेने के लिये अयोग्य हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के तहत एक समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

### निर्णय का महत्त्व

- कंपनी की रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया में तीव्रता:
  - एक दिवालिया कंपनी के परिसमापन प्रक्रिया में प्रमोटरों की भागीदारी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्टता कॉर्पोरेट दिवाला रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया को और अधिक तीव्रता प्रदान करेगा।
- संपत्ति मूल्य में बढ़ोतरी:
  - चूँकि IBC का उद्देश्य कंपनी के लिये एक उपयुक्त खरीदार ढूँढना है और परिसमापन संबंधी आदेश केवल उन मामलों में दिया जाता है, जहाँ कोई व्यवहार्य योजनाएँ प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिये त्वरित परिसमापन संबंधी प्रक्रिया बेहद महत्त्वपूर्ण है।
- परस्पर विरोधी निर्णयों में स्पष्टता
  - सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की विभिन्न पीठों द्वारा दिये गए परस्पर विरोधी निर्णयों को स्पष्टता प्रदान करता है, जिसमें इन पीठों द्वारा संपत्ति के अधिकतम मूल्य के IBC के सिद्धांत का पालन करते हुए परिसमापन चरण के दौरान कुछ प्रमोटरों को कंपनी में फिर से बोली लगाने और कुछ को समझौता या व्यवस्था प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

### परिचय

- यह संहिता कंपनियों और आम लोगों के बीच दिवालियापन से संबंधित विषयों के समाधान के लिये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है।
- इसमें सभी व्यक्तियों, कंपनियों, सीमित देयता साझेदारी (LLP) और साझेदारी फर्म आदि शामिल हैं।

### उद्देश्य

- असफल व्यवसायों की संकल्प प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं तीव्र करना।
- दिवालिया समाधान हेतु सभी देनदारों और लेनदारों का एक सामान्य मंच स्थापित करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि एक तनावग्रस्त कंपनी की संकल्प प्रक्रिया को अधिकतम 270 दिनों में पूरा किया जाए।

### धारा 29A

- यह एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान है, यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करता है जो संकल्प आवेदक होने के योग्य नहीं हैं।
- धारा 29A न केवल प्रमोटरों को प्रतिबंधित करती है बल्कि प्रमोटरों से संबंधित/जुड़े लोगों को भी प्रतिबंधित करती है।
- यह धारा उन लोगों को अयोग्य घोषित करती है, जिन्होंने कॉरपोरेट देनदारों के पतन में भूमिका अदा की थी, या वे कंपनी के संचालन के लिये अनुपयुक्त थे।

### निर्णयन प्राधिकरण

- कंपनियों और सीमित दायित्व साझेदारी के लिये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)।
- व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिये ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT)

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत NCLAT का गठन किया गया है।
  - यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित मुद्दों का निपटान करता है।
- यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 के तहत NCLT(s) द्वारा पारित आदेशों के लिये और IBC के अनुभाग 202 और 211 के तहत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) द्वारा पारित आदेशों के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण है।
- NCLAT के किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

---

# रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूसा- FSF

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute- IARI) के वैज्ञानिकों ने गेहूँ के गीले आटे (गूँथे हुए आटे से) से ग्लूटेन (Gluten) को अलग करने तथा बाजरे और मक्का के आटे में इसके पुनर्योजन हेतु एक ऑन-फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ('पूसा फार्म सन फ्रिज'- Pusa-FSF) और तकनीक विकसित की है।

## प्रमुख बिंदु:

### 'पूसा फार्म सन फ्रिज':

- 'पूसा फार्म सन फ्रिज (Pusa Farm Sun Fridge) एक 100% सौर-संचालित बैटरी-कम कोल्ड स्टोर (Solar-Powered Battery-Less Cold Store) है जो दिन के समय 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात के समय 8-12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 2 टन ताजी कटी उपज को संरक्षित कर सकता है।
  - इसमें रूफटॉप अर्थात् छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो 5 किलोवाट (kilowatt- KW) विद्युत उत्पन्न करते हैं तथा एयर कंडीशनिंग में मदद करते हैं।
- ये पैनल 105-वाट के एक सबमर्सिबल पंप को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं जो एक ओवरहेड पीवीसी पाइप के ज़रिये एक टैंक से लगभग 1,000 लीटर जल प्रवाहित करता है।
- रात के समय इसमें केवल निष्क्रिय वाष्पीकरणीय शीतलन (Passive Evaporative Cooling) होता है क्योंकि दिन के दौरान ठंडा हुआ पानी प्राकृतिक ऊष्मा सिंक के रूप में कार्य करता है।

- सोलर पंप का प्रयोग करने वाले सभी किसान Pusa-FSF हेतु एक संभावित बाज़ार है, भारत में अनुमानित चार लाख से अधिक सौर जल पंप हैं।
  - औसतन 5-अश्वशक्ति (HP) के पंप की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है जिस पर 70-90% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- लाभ:
  - किसान अपनी उपज का भंडारण और संरक्षण कर सकते हैं। यह कम कीमत के समय किसानों को बिक्री से बचने और कीमतों में सुधार करने में मदद कर सकता है।
  - यह पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस (Post Harvest Losses) को कम करने में मदद करेगा।
  - धान और मक्का के अलावा टमाटर, फल जैसे शीघ्र खराब होने वाली उपजों हेतु अधिक स्थान उपलब्ध हो सकता है ।

### गेहूँ के आटे से ग्लूटेन निकालने हेतु तकनीक:

- तकनीक की आवश्यकता: बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाजों में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कच्चे फाइबर तथा अन्य पोषक तत्त्वों का स्तर गेहूँ की तुलना में उच्च होता है।

तकनीकी के बारे में: यह तकनीकी बाजरे और मक्के के आटे को लचीला बनाती है तथा संरचनात्मक शक्ति प्रदान करती है, जिससे उनकी चपाती गेहूँ के आटे से अधिक नरम होती है।

- पाउडर के रूप में प्राप्त किये गए प्रोटीन में गेहूँ के अलावा अन्य आटे में पुनर्नियोजन या ग्लूटेन नेटवर्क बनाने की क्षमता भी होनी चाहिये।
- पाउडर फॉर्म में प्राप्त किये गए प्रोटीन में बाजरा और मक्का या अन्य आटे में ग्लूटेन संरचना को विकसित करने की क्षमता होती है।
- वैज्ञानिकों द्वारा ग्लूटेन-आधारित 'हालुर' (Hallur) नामक नरम बाजरे के आटे का निर्माण किया गया है।

### कृषि के क्षेत्र में अन्य तकनीकी विकास:

- हैप्पी सीडर (Happy Seeder)- यह धान के भूसे के इन-सीटू प्रबंधन हेतु एक मशीन है।

परिशुद्ध कृषि तकनीकी: परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture- PA) खेत प्रबंधन हेतु एक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है कि फसलों और मिट्टी को वह सब मिल रहा है जो उनके इष्टतम स्वास्थ्य और उत्पादकता हेतु आवश्यक है।

### ग्लूटेन (Gluten):

- ग्लूटेन, स्टोरेज प्रोटीन (Storage Proteins) का एक समूह है जिसे सामान्यत: प्रोलिमिन (Prolamins) के रूप में जाना जाता है।
  - ग्लूटेन में दो मुख्य प्रोटीन ग्लूटेनिन (Glutenin) और ग्लाएडिन (Gliadin) पाए जाते हैं।
  - रसोईघर में ग्लूटेन के विभिन्न लाभ देखे जाते हैं जैसे- यह खाद्य पदार्थों को नरम बनाने तथा उनकी च्यूवी (चिपचिपा अथवा लिसलिसा) संरचना के निर्धारण हेतु ज़िम्मेदार है।
- गर्म करने पर ग्लूटेन प्रोटीन एक प्रत्यास्थ/लोचदार नेटवर्क का निर्माण करता है, जो अपना विस्तार करने और गैस को ट्रैप करने में सक्षम होता है। इससे ब्रेड, पास्ता और अन्य समान खाद्य उत्पादों में खमीर उत्पन्न होता है तथा उनमें नमी बनी रहती है।
- सीलिएक रोग (Celiac disease), जिसे कोएलियाक रोग (Coeliac Disease) के रूप में भी जाना जाता है, ग्लूटेन असहिष्णुता का सबसे गंभीर रूप है।

## भारतीय रिज़र्व बैंक का खुला बाज़ार परिचालन

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए प्रत्येक की सकल राशि के लिये खुला बाज़ार परिचालनों (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की एक सामयिक खरीद एवं बिक्री का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

## प्रमुख बिंदु

### परिचय

- खुला बाज़ार परिचालन, जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट के रूप में भी जाना जाता है, के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की एक साथ खरीद एवं बिक्री की प्रक्रिया में दीर्घावधिक प्रतिभूतियों की खरीद और समान मात्रा में अल्पावधिक प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है।

### खुला बाज़ार परिचालन

- अर्थ: खुला बाज़ार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाज़ार में जारी किये गए बॉण्ड की बिक्री एवं खरीद से है।
- मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किये जाने वाला एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने और ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिये किया जाता है।
  - मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण का आशय ऐसे उपकरणों से है, जो नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और बैंक दर आदि में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं।

### मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव:

- जब रिज़र्व बैंक मुक्त बाज़ार में सरकारी बॉण्ड खरीदता है, तो वह इसके लिये चेक के माध्यम से भुगतान करता है। यह चेक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आरक्षित मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा निजी व्यक्तियों या संस्थानों को बॉण्ड की बिक्री करने से मुद्रा की आरक्षित मात्रा में कमी आती है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जाती है।

### खुला बाज़ार परिचालन (OMO) के प्रकार: प्रत्यक्ष/एकमुश्त और रेपो

- प्रत्यक्ष/एकमुश्त
  - इसके तहत केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचने का कोई वादा किये बिना उनकी खरीद करता है। इसी तरह केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदने का कोई वादा किये बिना ही उनकी बिक्री करता है।
- रेपो
  - इसके तहत केंद्रीय बैंक जब प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो खरीद समझौते में प्रतिभूमि के पुनर्विक्रय की तारीख और कीमत विनिर्देशित की जाती है। इस प्रकार के समझौते को पुनर्खरीद समझौता/रिपर्चेज़ एग्रीमेंट या रेपो कहा जाता है।
  - इसी तरह केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की एकमुश्त बिक्री के बजाय, प्रतिभूतियों को एक समझौते के माध्यम से बेच सकता है, जिसमें उस तारीख और मूल्य के बारे में सूचना दी जाएगी, जिस पर उसकी पुनर्खरीद की जानी है। इस प्रकार के समझौते को रिवर्स रिपर्चेज़ एग्रीमेंट या रिवर्स रेपो कहा जाता है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न परिपक्वता अवधियों वाले रेपो और रिवर्स रेपो का संचालन किया जाता है: ओवरनाइट, 7 दिन, 14 दिन आदि। इस प्रकार के ऑपरेशन अब भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य हिस्सा बन गए हैं।

### सरकारी प्रतिभूतियाँ

- सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं। ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं।
- अल्पावधिक प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है, इनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से भी कम होती है।
- दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को आमतौर पर सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूति कहा जाता है, इनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक होती है।
- भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेज़री बिल तथा बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों दोनों को जारी किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ ही जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।

नोट :

- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिये इन्हें जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड उपकरण भी कहा जाता है।
  - गिल्ट-एज्ड प्रतिभूतियाँ सरकार और बड़े निगमों द्वारा उधार ली गई निधि के साधन के रूप में जारी किये जाने वाले उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं।
- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को केंद्रीय बैंक के साथ सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) में निवेश करने के लिये प्रत्यक्ष तौर पर 'गिल्ट अकाउंट' खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

# नए बैंक लाइसेंसों की स्क्रीनिंग के लिये नई समिति

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs) के आवेदनों के मूल्यांकन के लिये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (SEAC) का गठन किया है।

- स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (SEAC) में बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के अनुभवी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

## प्रमुख बिंदु

### समिति के बारे में :

- कार्यकाल: समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- समिति का सचिवालय : RBI के विनियमन विभाग द्वारा समिति को सचिवालयी स्तर की सहायता प्रदान की जाएगी।
- कार्य: सार्वभौमिक बैंक और SFBs के आवेदकों की प्राथमिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिये आवेदनों का सर्वप्रथम मूल्यांकन RBI द्वारा किया जाएगा , जिसके बाद SEAC आवेदनों का मूल्यांकन करेगा।

### लघु वित्त बैंक (SFBs):

- लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं है ।
- लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

### गतिविधियों का दायरा:

- लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से लघु व्यावसायिक इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय समावेशन जैसे- जमा करने और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करेगा।
- यह अन्य गैर-जोखिम साझाकरण सरल वित्तीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को भी अपने अंतर्गत ले सकता है, जिसमें स्वयं की निधियों जैसे - म्यूचुअल फंड इकाइयों, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों के वितरण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है।
- लघु वित्त बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिये एक अधिकृत डीलर भी बन सकता है।
- लघु वित्त बैंक के संचालन के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा ; हालाँकि, उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने प्रारंभिक चरण में बैंकों को ऐसे राज्यों/ज़िलों में खोला है, जहाँ बैंकिंग सेवाएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं या बहुत कम उपलब्ध हैं, जैसे- देश के उत्तर-पूर्व, पूर्व और मध्य क्षेत्र में।

### सार्वभौमिक बैंक:

- सार्वभौमिक बैंक न केवल ग्राहकों के लिये व्यक्तिगत खातों का प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सौदों को रेखांकित करने के साथ-साथ निवेश सेवाएँ और स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी कार्य कर सकती हैं जिन्हें वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में जाना जाता है।
- ये संस्थाएँ एक एकल ब्रांड/बैंक के नाम के अंतर्गत अपने वृहद् शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- अगस्त 2016 में जारी सार्वभौमिक बैंकों हेतु ऑन-टैप लाइसेंसिंग पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवासी व्यक्ति और बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवर भी सार्वभौमिक बैंकों को बढ़ावा देने के पात्र हैं।
  - हालाँकि बड़े औद्योगिक समूहों को पात्र संस्थाओं के रूप में बाहर रखा गया है लेकिन उन्हें बैंकों में 10% तक निवेश करने की अनुमति है।

### संबंधित विकास:

- इससे पहले वर्ष 2020 में RBI के एक आंतरिक कार्य समूह ने निजी बैंकों के लिये लाइसेंसिंग नीति की 'ओवरहॉलिंग' का प्रस्ताव रखा और यह सुझाव दिया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में उचित संशोधनों के बाद बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक समूहों को भारत में बैंकों के प्रवर्तक के रूप में अनुमति दी जाए।
  - हालाँकि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'कनेक्टेड लेंडिंग' (एक ऐसी स्थिति जिसमें बैंक पर नियंत्रण रखने वाला मालिक स्वयं या स्वयं से जुड़े पक्षों के लिये कम ब्याज दरों पर गुणवत्ताहीन ऋण को बढ़ावा देता है) की स्थिति की तरफ ले जाता है।

### नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC):

- नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) का अर्थ NBFC से गैर-जमा (Non-deposit) से है।
- बैंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति पूर्ण स्वामित्व वाली नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के माध्यम से दी जाएगी।
- इस तरह के NOHFC बैंक के साथ-साथ RBI या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा उचित विनियामक निर्देशों के आधार पर विनियमित अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

### यूनिवर्सल बैंक का ऑन-टैप लाइसेंसिंग:

- 'ऑन-टैप' सुविधा का अर्थ RBI द्वारा वर्ष भर बैंकों के लिये आवेदन स्वीकारना और लाइसेंस जारी करना है।
- यह नीति निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी भी समय उम्मीदवारों को सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिये आवेदन करने की अनुमति देती है।

---

# मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities & Exchange Board of India) ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (Market Infrastructure Institution) से व्यापार सहित अन्य महत्त्वपूर्ण प्रणालियों में व्यवधान के 45 मिनट के भीतर उनका परिचालन शुरू करने को कहा है।

- यह निर्देश 24 फरवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) में एक तकनीकी खराबी की पृष्ठभूमि के विरुद्ध आया है, जिससे लगभग चार घंटे तक कारोबार रुका रहा।

## प्रमुख बिंदु

### सेबी के नवीनतम निर्देश:

- MII के लिये नई रूपरेखा:
  - SEBI, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉज़िटरी) के बिज़नेस कॉन्टिनिटी प्लान (Business Continuity Plan) और डिज़ास्टर रिकवरी (Disaster Recovery) के लिये एक नई रूपरेखा लेकर आया है।

- व्यावसायिक निरंतरता (Business Continuity) और डिज़ास्टर रिकवरी निकट संबंधित हैं जो प्रतिकूल स्थिति में संगठन के संचालन को बनाए रखने में मदद करते हैं।

- दिशा-निर्देश:
  - MII किसी भी क्रिटिकल सिस्टम (Critical System) के विघटन की स्थिति में 30 मिनट के भीतर उसे 'आपदा' घोषित करेगा।
    - एक विनिमय या समाशोधन निगम के क्रिटिकल सिस्टम में व्यापार, जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन, समाशोधन और निपटान तथा सूचकांक गणना शामिल होंगे।
    - एक डिपॉज़िटरी के क्रिटिकल सिस्टम में निपटान प्रक्रिया और अंतर-डिपॉज़िटरी ट्रांसफर सिस्टम का समर्थन करने वाली प्रणालियाँ शामिल होंगी।
  - MII को एक घटना को 'आपदा' घोषित करने के 45 मिनट के भीतर आपदा वसूली स्थलों पर जाने के लिये निर्देशित किया गया है।
    - डिज़ास्टर रिकवरी साइट एक ऐसी जगह है जहाँ एक कंपनी सुरक्षा उल्लंघन या प्राकृतिक आपदा के बाद अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो सकती है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी तब तक संचालन जारी रख सकती है जब तक कि वह अपने सामान्य स्थान या नए स्थायी स्थान पर काम फिर से शुरू करने के लिये सुरक्षित न हो जाए।
    - मोबाइल और क्लाउड आधारित आपदा रिकवरी साइट्स तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
  - नए दिशा-निर्देशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिये।

## मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन:

- स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉज़िटरी और समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- बिमल जालान समिति, 2010 के अनुसार, ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो प्रतिभूति बाज़ार हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे के रूप में काम करते हैं।
- भारत में शेयर बाज़ार (Stock Exchange) एक ऐसे बाज़ार के रूप में कार्य करता है जहाँ स्टॉक, बॉण्ड और कमोडिटी जैसे वित्तीय दस्तावेज़ों का कारोबार होता है।
- डिपॉज़िटरी (Depository) संगठन, बैंक या संस्थाएँ हो सकती हैं जो प्रतिभूतियाँ रखती हैं और इसके व्यापार में सहायता करती हैं।
- समाशोधन निगम (Clearing Corporation) एक स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध एक संगठन/इकाई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य लेन-देन की पुष्टि, निपटान और वितरण की देख-रेख करना है।

सेबी

- यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (Securities and Exchange Board of India Act), 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।

## प्रमुख कार्य:

- प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण।
- प्रतिभूति बाज़ार (सिक्योरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना।

## नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है।
- वर्ष 1992 में निगमित NSE एक परिष्कृत और इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के रूप में विकसित हुआ, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम (Equity Trading Volume) के लिहाज़ से दुनिया में चौथे स्थान पर था।
  - यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक्सचेंज था।
  - NSE के पास भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का नेटवर्क है।

- NIFTY 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख सूचकांक है। यह सूचकांक ब्लू चिप कंपनियों, सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो व्यवहार को ट्रैक करता है। इसमें NSE पर सूचीबद्ध लगभग 1600 कंपनियों में से 50 शामिल हैं।

# कौशल प्रमाणन

## चर्चा में क्यों?

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकारी अनुबंधों के तहत संलग्न श्रमिकों के पास उनके कौशल का आधिकारिक प्रमाणपत्र होना चाहिये।

- प्रारंभ में वर्ष 2021-22 में कुल श्रमबल के 10 प्रतिशत हिस्से को प्रमाणित किया जा सकता है। वर्ष 2026-27 तक इसे उत्तरोत्तर 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

## प्रमुख बिंदु

### इस कदम की आवश्यकता

- प्रशिक्षित कर्मचारियों का निम्न स्तर: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2018-19) की मानें तो भारत के समग्र कार्यबल का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।
  - भारत के कौशल नियामक, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने 4,000 भूमिकाओं के लिये कौशल प्रमाणन प्रणाली को मानकीकृत किया है, ताकि श्रम बाज़ार की संरचना को व्यापक पैमाने पर अकुशल से कुशल कार्यबल में बदला जा सके।
- अनौपचारिक और कम वेतन: प्राय: सरकारी अनुबंधकर्त्ता अपनी श्रम आवश्यकताओं के लिये कम वेतन वाले अनौपचारिक श्रमिकों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं।
- विरोधाभासी स्थिति: इसे एक विरोधाभासी स्थिति ही माना जाएगा, जिसमें सरकार अपने स्वयं की परियोजनाओं के लिये कुशल मानव शक्ति के उपयोग पर ज़ोर दिये बिना कार्यबल में कौशल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी।

### लाभ

- कौशल मांग में वृद्धि: इस प्रकार के नियमन से स्वयं उद्योग और श्रम बल में कौशल को लेकर मांग बढ़ जाएगी, जहाँ कौशल के लिये भुगतान करना पसंद किया जाएगा, इससे फंडिंग के माध्यम से कौशल में बढ़ोतरी करने की सरकार की वर्तमान प्रणाली को समाप्त किया जा सकेगा।
- वेतन में सुधार: इसके परिणामस्वरूप नियुक्त किये जाने वाले कुशल श्रम बल के वेतन में भी सुधार होगा।
- प्रमाणित कौशल की संस्कृति का विकास: सरकार और सरकारी अनुबंध के तहत संलग्न श्रमबल की संख्या को देखते हुए यह नियम देश के युवाओं को कौशल आकांक्षी बनाएगा और प्रमाणित कौशल की संस्कृति के विस्तार में मदद करेगा।
- उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार: इससे सरकारी अनुबंध कार्यों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा।

### चुनौतियाँ

- अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता: रोज़गार-संबद्ध प्रशिक्षितों की कमी भारत में बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- उद्योगों की सीमित भूमिका: अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोज़गार एवं वेतन का स्तर निम्न बना हुआ है।
- विद्यार्थियों में कम आकर्षण: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और पॉलिटेक्निक जैसे कौशल संस्थानों में नामांकन, उनकी क्षमता की तुलना में काफी कम है। इसका मुख्य कारण कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर युवाओं में कम जागरूकता को माना जाता है।
- नियोक्ताओं का रवैया: भारत में बेरोज़गारी का विषय केवल कौशल संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि यह इनकी नियुक्ति के प्रति उद्योगपतियों और छोटे तथा मध्यम उद्यमों की अनिच्छा का भी प्रतिनिधित्व करता है।
  - बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के परिणामस्वरूप ऋण तक सीमित पहुँच के कारण निवेश की दर में गिरावट आई है और इस तरह रोज़गार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

### कौशल विकास से संबंधित कुछ योजनाएँ

- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs): वर्ष 1950 में संकल्पित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs) का उद्देश्य भारत में मौजूदा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण मार्ग प्रदान करना है।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0: इसे भारत के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल में दक्ष बनाने हेतु वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया है, जिसमें 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) कार्यक्रम: व्यक्तियों द्वारा अधिगृहीत पूर्व कौशल को मान्यता प्रदान करने के लिये इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के प्रमुख घटकों में से एक है।
  - इसके तहत एक व्यक्ति का मूल्यांकन कौशल के एक निश्चित सेट के साथ या पूर्व शिक्षण अनुभव के आधार पर किया जाता है और उसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार ग्रेड के साथ प्रमाणित किया जाता है।
- कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन (SMART): यह देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन, ग्रेडिंग, संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित एक एकल विंडो आईटी एप्लीकेशन प्रदान करता है।
- आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना: यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान): वर्ष 2016 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क की वकालत करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना और समावेशी विकास के लिये सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है।
- कौशल्याचार्य पुरस्कार: इस पुरस्कार को कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिये गए योगदान को मान्यता देने और अधिक प्रशिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल होने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- 'स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स' अथवा 'श्रेयस': इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के माध्यम से वर्ष 2019 सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी 'असीम' (ASEEM) पोर्टल: वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।

## राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development- NBFID) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

- इस विधेयक का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions- DFIs) के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NBFID) की स्थापना करना है।
- NFBID की घोषणा बजट 2021 में की गई थी।

### विकास वित्तीय संस्थान (DFI)

- DFIs का गठन अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिये किया जाता है जिनसे संबंधित जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और अन्य साधारण वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे हैं।
  - DFIs बैंकों की तरह लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते हैं।

नोट :

- वे बाज़ार, सरकार और साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों से धन जुटाते हैं तथा प्राय: सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं।

## प्रमुख बिंदु

### NBFID एक कॉर्पोरेट के रूप में:

- NBFID का गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपए होगी।

### उद्देश्य:

- वित्तीय उद्देश्य:
  - इसके वित्तीय उद्देश्यों में पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में अवस्थित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या निवेश को आकर्षित करना शामिल है।
- विकासपरक उद्देश्य:
  - विकासपरक उद्देश्यों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड, ऋण और व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) के बाज़ार के विकास में मदद करना शामिल है।

### NBFID के कार्य:

- अवसंरचना परियोजनाओं/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन तथा एडवांस देना।
- मौजूदा ऋण/लोन का अधिग्रहण कर उसका फिर से वित्तपोषण करना।
- अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिये निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना।
- अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना।
- अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिये विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/प्राधिकरणों से बातचीत को सुविधाजनक बनाना।
- अवसंरचना वित्तपोषण में परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

### धनराशि का स्रोत:

- यह लोन/ऋण के रूप में भारतीय रुपए तथा विदेशी मुद्रा दोनों में धन जुटा सकता है या बॉण्ड्स और डिबेंचर्स सहित विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करके और उन्हें बेचकर धन प्राप्त कर सकता है।
- यह केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार ले सकता है।
- प्रारंभ में इस संस्थान में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% होगी जो धीरे-धीरे कम होकर 26% तक पहुँच जाएगी।

### NBFID का प्रबंधन:

- NBFID का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा RBI की सलाह से की जाएगी।
- केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिये उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा।
- आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर बोर्ड स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा।

### केंद्र सरकार से सहयोग:

- केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में NBFID को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी।
- सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और अन्य विदेशी फंड्स से उधारियों के लिये अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी प्रदान करेगी।
- विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा में उधारियाँ लेने पर) में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से संबंधित लागत की भरपाई सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से की जा सकती है।

नोट :

- NBFID द्वारा अनुरोध किये जाने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉण्ड्स, डिबेंचर्स और लोन की गारंटी ले सकती है।

### जाँच और अभियोजन के लिये पूर्व मंज़ूरी:

- अध्यक्ष और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर की पूर्व मंज़ूरी के बिना NBFID के कर्मचारियों की जाँच शुरू नहीं की जा सकती।
- NBFID के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों का संज्ञान लेने के लिये न्यायालयों को भी पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी।

### अन्य विकास वित्तीय संस्थान (DFI):

- विधेयक में यह प्रावधान भी है कि RBI में आवेदन करके कोई भी व्यक्ति DFI बना सकता है।
- RBI केंद्र सरकार की सलाह से DFI को लाइसेंस दे सकता है।
- इन विकास वित्तीय संस्थानों के लिये विनियम RBI द्वारा निर्दिष्ट किये जाएंगे।

# बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट

## चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पेश की जाने वाली 'बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग' के लिये नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

- इस नई रिपोर्ट को 'बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' (BRSR) कहा जाएगा और यह मौजूदा बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट (BRS) का स्थान लेगी।

## प्रमुख बिंदु:

### पृष्ठभूमि:

- SEBI ने वर्ष 2012 में बाज़ार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को 'सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश' (NVGs) में अंतर्निहित आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट (BRR) दाखिल करने के लिये बाध्य किया।
    - वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने NVG को संशोधित किया और 'उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश' (NGRBC) तैयार किये।
- दिसंबर 2019 में SEBI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से बाज़ार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिये 'व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट' संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया।
    - सूचीबद्ध संस्थाएँ: एक कंपनी जिसका शेयर किसी आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जाता है।
    - बाज़ार पूंजीकरण: यह संदर्भित करता है कि स्टॉक मार्केट द्वारा किसी कंपनी की तय की गई कीमत कितनी है। इसे सभी बकाया शेयरों के कुल बाज़ार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
        - किसी कंपनी के मार्केट कैप की गणना करने के लिये बकाया शेयरों की संख्या को एक शेयर के मौजूदा बाज़ार मूल्य से गुणा किया जाता है।

### बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR):

- BRSR जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) के दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है, का उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से संलग्न करने में सक्षम बनाना है।
- यह व्यवसायों को विनियामक वित्तीय अनुपालन करने और उनके सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये स्वैच्छिक आधार पर और वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य आधार पर BRSR शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाज़ार पूंजीकरण द्वारा) पर लागू होगा।

### सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग:

- यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आधारित लक्ष्यों से संबंधित है और साथ ही कंपनी की प्रगति का सूचक भी है।
- सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लाभों में बेहतर कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा, उपभोक्ता विश्वास का निर्माण, नवाचार में वृद्धि और यहाँ तक कि जोखिम प्रबंधन में सुधार शामिल है।

### पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन आधारित लक्ष्य:

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आधारित लक्ष्य कंपनी के संचालन के लिये ज़रूरी मानकों का एक समूह है जो कंपनियों को बेहतर प्रशासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिये मज़बूर करते हैं।
- पर्यावरणीय मापदंड के माध्यम से यह जाँचा जाता है कि एक कंपनी प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाती है।
- सामाजिक मानदंड के माध्यम से यह जाँचा जाता है कि यह कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करता है जहाँ यह संचालित है।
- शासन एक कंपनी के नेतृत्त्व, कार्यकारी वेतन, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारक के अधिकारों से संबंधित है।

### उत्तरदायी व्यवसाय:

- उत्तरदायी व्यवसाय का दर्शन व्यापार के उस सिद्धांत पर आधारित है जो वैश्विक विकास के संदर्भ में अपने उन सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह होता है जो व्यवसायों को पर्यावरण और समाज के प्रति उत्तरदायी और सतत् बनाने की मांग कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय जोखिमों, बढ़ती असमानता आदि से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के संबंध में व्यवसाय जगत को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि समाज में व्यवसायों की भूमिका को फिर से परिभाषित किया जा सके और उन्हें केवल धन पैदा करने वाली आर्थिक इकाइयों के रूप में न देखा जाए।
- किसी कंपनी के प्रदर्शन को न केवल शेयरधारकों की वापसी के आधार पर मापा जाना चाहिये, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिये कि वह अपने पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है।

---

# भारत के लिये हीलियम संकट

## चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा अपनी हीलियम संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इसका आयात किया जाता है, ऐसे में वर्ष 2021 से अमेरिका द्वारा हीलियम के निर्यात में की जाने वाली कटौती के चलते भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

- फेडरल हीलियम रिज़र्व (Federal Helium Reserve) जो अमेरिका का प्रमुख हीलियम रिज़र्व है, वर्ष 2021 में उत्पादन बंद करने की तैयारी में है। वैज्ञानिकों द्वारा इस भंडार के स्थान पर नए भंडार की तलाश की जा रही है।

## प्रमुख बिंदु:

### हीलियम के बारे में:

- हीलियम एक रासयनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक (Symbol) He तथा परमाणु क्रमांक 2 है।
- यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय तथा एकल परमाण्विक नोबल गैस (Noble Gas) है जो आवर्त सारणी (Periodic Table) में नोबल गैस समूह में प्रथम गैस है।
- इसका क्वथनांक (Boiling Point) सभी तत्त्वों में सबसे कम है।

### हीलियम की खोज:

- सूर्य के चारों ओर वायुमंडल में:
  - हीलियम की खोज फ्राँसीसी खगोलशास्त्री पियरे जानसेन (Pierre Janssen) द्वारा सूर्य के आसपास के गैसीय वातावरण में की गई थी। उन्होंने वर्ष 1868 में भारत में ग्रहण के दौरान सौर क्रोमोस्फीयर के स्पेक्ट्रम में एक चमकदार पीली रेखा का पता लगाया था।
  - जोसेफ नॉर्मन लॉकर ने लंदन स्मॉग (London Smog) में सूरज के चारों ओर समान रेखा देखी और इस नए तत्त्व को एक धातु मानते हुए उन्होंने इसे हीलियम नाम दिया।
- पृथ्वी पर:
  - ब्रिटिश रसायनज्ञ सर विलियम रामसे द्वारा वर्ष 1895 में पृथ्वी पर हीलियम के अस्तित्व की खोज की गई थी।
- भारत में:
  - वर्ष 1906 में मॉरिस ट्रैवर्स नामक एक युवा अंग्रेज़ ने केरल के समुद्र तट पर बहुतायत में उपलब्ध मोनाज़ाइट रेत को गर्म करके थोड़ी मात्रा में हीलियम निकाला था।
    - मोनाज़ाइट (Monazite) मुख्य रूप से एक लाल-भूरे रंग का फॉस्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ-पृथ्वी तत्त्व मौजूद होते हैं।

### भारतीय भंडार:

- भारत के झारखंड राज्य में अवस्थित राजमहल ज्वालामुखी बेसिन (Rajmahal Volcanic Basin) में अरबों वर्षों (सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से) से हीलियम का संचित भंडार विद्यमान है।
- वर्तमान में शोधकर्त्ताओं द्वारा भविष्य में हीलियम के अन्वेषण और इसे प्रयोग में लाने हेतु राजमहल बेसिन का बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया जा रहा है।

### भारत की आवश्यकता:

- आयात बोझ को कम करना:
  - हर वर्ष भारत द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु अमेरिका से 55,000 करोड़ रुपए के हीलियम का आयात किया जाता है।
- उपयोग:
  - हीलियम का उपयोग दवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, ब्लींप इन्फ्लेशन (हवाई पोत को फुलाना), विभिन्न उत्सवों के दौरान सजावट में उपयोग किये जाने वाले गुब्बारों को फुलाने तथा वेल्डिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है।
  - चुम्बकीय अनुनाद प्रतिबिम्ब (Magnetic Resonance Imaging- MRI) को स्कैन करने तथा रॉकेट ईंधन और परमाणु रिएक्टरों आदि में भी हीलियम का उपयोग किया जाता है।

### अमेरिका का एकाधिकार:

- यह पता चलने के बाद कि अमेरिका के ग्रेट प्लेंस में बड़ी मात्रा में हीलियम संचित है, अमेरिका विश्व में हीलियम का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यातक देश बन गया।
  - मिसिसिपी नदी तथा रॉकीज़ पर्वतों के बीच उत्तर से दक्षिण तक फैला मैदान ग्रेट प्लेंस कहलाता है।
- जल्द ही यह महसूस किया गया कि अमेरिका के पास भी हीलियम का एक बड़ा भंडार है।

  अन्य विकल्प:
- कतर हीलियम का एक संभावित निर्यातक देश है लेकिन जटिल राजनीतिक और कूटनीतिक उलझनों ने हीलियम के निर्यात हेतु कतर की स्थिति को अविश्वसनीय बना दिया है।

नोट :

# उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन की सिफारिश

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 पर एक संसदीय समिति ने सरकार को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिये नियमों में संशोधन की सिफारिश की है।

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-कॉमर्स एक व्यावसायिक मॉडल है, जो फर्मों और व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है।

## प्रमुख बिंदु

### मुद्दे

- बेहद सस्ती कीमत
  - बाज़ार की कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा अपनाई गई अल्पकालिक रणनीति के रूप में बेहद कम मूल्य निर्धारण, बाज़ार से प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने का कारण बन सकता है, जो कि दीर्घकाल में उपभोक्ताओं के लिये हानिकारक होगा।
    - इस प्रकार की रणनीति में किसी कंपनी द्वारा एक उत्पाद का मूल्य इतना कम निर्धारित किया जाता है कि अन्य कंपनियाँ उसकी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाती हैं और बाज़ार छोड़ने के लिये मज़बूर हो जाती है।
- अनुचित प्रथाएँ
  - यद्यपि ई-कॉमर्स उद्यम के कई लाभ हैं, किंतु इस क्षेत्र के विकास ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, गोपनीयता के उल्लंघन और शिकायतों को दर्ज करने आदि के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
  - इसके परिणामस्वरूप फेक रिव्यू और अनुचित पक्षपात जैसी समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं।

## प्रमुख सिफारिशें

### स्पष्ट परिभाषा

- ई-कॉमर्स के संदर्भ में अनुचित व्यापार प्रथाओं को और अधिक स्पष्टता के साथ परिभाषित किया जाना चाहिये, साथ ही बड़ी संस्थाओं विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और छोटे व्यवसायों द्वारा ऐसी अनुचित प्रथाओं से निपटने के लिये व्यावहारिक कानूनी उपाय किये जाने चाहिये।
- 'ड्रिप प्राइज़िंग', जहाँ अतिरिक्त शुल्क के कारण उत्पाद का अंतिम मूल्य काफी अधिक हो जाता है, को भी स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिये और इस प्रकार की अनुचित प्रथा के विरुद्ध उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिये यथासंभव प्रावधान किये जाने चाहिये।

### वितरण शुल्क का निर्धारण

- उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले वितरण शुल्क के निर्धारण हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिये।

### व्यक्तिगत डेटा का वर्गीकरण

- उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता की रक्षा और उनके डेटा की सुरक्षा के लिये समिति ने सिफारिश की है कि उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशीलता के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक स्तर के लिये उपयुक्त सुरक्षा निर्धारित की जा सकती है।

### भुगतान सुरक्षा

- भुगतान गेटवे की एक सुरक्षित और मज़बूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये, ताकि उपयोगकर्त्ताओं के लेन-देन संबंधी डेटा से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जा सके।

### स्थानीय डेटा केंद्र

- सभी प्रमुख ई-मार्केटप्लेस संस्थाओं को भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित करना चाहिये, ताकि उपभोक्ता डेटा को देश की सीमाओं के बाहर किसी सर्वर पर होस्ट न किया जाए और उस डेटा का दुरुपयोग न हो।

### कस्टमर केयर

- ई-कॉमर्स संस्थाओं को ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिये एक समर्पित कस्टमर केयर तंत्र स्थापित करना चाहिये, जिसमें कस्टमर केयर नंबर और एक समर्पित कस्टमर केयर अधिकारी होगा।

### छोटे/स्थानीय विक्रेताओं को संरक्षण

- छोटे/स्थानीय विक्रेताओं की सुरक्षा के लिये नियामक तंत्र स्थापित करना काफी महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में छोटे/स्थानीय विक्रेताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और छोटे खुदरा विक्रेताओं को भी ई-कॉमर्स परिवेश में शामिल करने के लिये सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिये।

### भ्रामक तकनीक को हतोत्साहित करना

- एल्गोरिदम में परिवर्तन, नकली उत्पाद समीक्षा और रेटिंग सहित सभी भ्रामक रणनीतियों को हतोत्साहित करने के लिये कुछ सुधारात्मक तंत्र बनाए जाने चाहिये, ताकि किसी भी तरह से उपभोक्ता हित को नुकसान पहुँचने से रोका जा सके।

## उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

### परिचय

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं।

### प्रयोज्यता

- ये नियम सभी ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं पर लागू होते हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएँ प्रदान करते हैं, चाहे वे भारत में पंजीकृत हों अथवा विदेश में।

### नोडल अधिकारी

- ई-कॉमर्स संस्थाओं को अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

### कीमत और एक्सपायरी तिथि

- ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बिक्री के लिये दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी, जिसमें अन्य शुल्कों के साथ कुल शुल्क का ब्रेकअप भी शामिल होगा।
- इसके अलावा वस्तु की एक्सपायरी तिथि का भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिये।

### आयात संबंधी प्रासंगिक निर्णय

- उपभोक्ताओं को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिये खरीद से पूर्व सूचित वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समग्र आवश्यक विवरण देना आवश्यक है, जिसमें 'उद्गम देश' से संबंधित सूचना और आयात की स्थिति में आयातक का नाम तथा विवरण और आयातित उत्पादों की प्रामाणिकता से संबंधित गारंटी आदि शामिल हैं।

### शिकायत निवारण तंत्र:

- मार्केटप्लेस तथा विक्रेताओं के लिये एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है।
  - ई-कॉमर्स का मार्केटप्लेस मॉडल: इसका अर्थ खरीदार एवं विक्रेता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने हेतु ई-कॉमर्स इकाइयों को एक डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्रदान करना है।

### अनुचित व्यापार प्रथाओं, हेर-फेर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाना

- कोई भी ई-कॉमर्स इकाई अनुचित लाभ प्राप्त करने या एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने के उद्देश्य से कीमतों में फेरबदल नहीं करेगी और न ही उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई मनमाना वर्गीकरण करेगी।

### फेक या गुमराह करने वाली पोस्ट

- कोई भी विक्रेता या ई-कॉमर्स इकाई स्वयं को एक उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगी और वस्तुओं या सेवाओं के बारे में नकली समीक्षा नहीं करेगी, इसके अलावा किसी वस्तु अथवा सेवा की गुणवत्ता या विशेषताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

### कोई निरसन शुल्क नहीं

- कोई भी ई-कॉमर्स इकाई उपभोक्ताओं पर निरसन शुल्क अधिरोपित नहीं करेगी।
- वस्तुओं और सेवाओं के दोषपूर्ण, अपूर्ण और नकली होने की स्थिति में विक्रेताओं को उन्हें वापस लेने से इनकार नहीं करना चाहिये।

### नकली उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं का रिकॉर्ड

- ई-कॉमर्स संस्थाओं को उन सभी विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखना होगा, जो बार-बार उन वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते हैं जिन्हें कॉपीराइट अधिनियम (1957), ट्रेडमार्क अधिनियम (1999) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

### दंड

- नियमों के उल्लंघन के मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दृष्टि The Vision

# अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

## भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (DoNER) ने कहा कि कनेक्टिविटी, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

### प्रमुख बिंदु:

- नवंबर 2014 में घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का ही उन्नत रूप है।
- यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक राजनयिक पहल है।
- इस पॉलिसी के तहत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा और लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन और निरंतर संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है।

### लक्ष्य:

- आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा एक सक्रिय व व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार करना जो कि दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है।

### लुक ईस्ट पॉलिसी:

- रणनीतिक साझेदार सोवियत संघ के विघटन (शीत युद्ध, 1991 के अंत में) के प्रभाव से उबरने के लिये भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने का प्रयास किया।
- इन प्रयासों में वर्ष 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की ताकि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को रणनीतिक रूप दिया जा सके और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' के रणनीतिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जा सके।

### लुक ईस्ट पॉलिसी एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंतर:

- लुक ईस्ट पॉलिसी:
  - लुक ईस्ट पॉलिसी में 'दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ' (आसियान) तथा उनके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - भारत वर्ष 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार और वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना।
    - वर्ष 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल गया।
    - वर्ष 1992 में जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, उस समय आसियान के साथ भारत का व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2010 में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापार बढ़कर 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2017-18) हो गया है।
    - भारत 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन' (EAS), 'आसियान क्षेत्रीय मंच' (ARF) आदि जैसे कई क्षेत्रीय मंचों में भी सक्रिय भागीदार है।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी:
  - 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।
    - भारत के प्रधानमंत्री ने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत 4C पर प्रकाश डाला है।

- संस्कृति (Culture)
- वाणिज्य (Commerce)
- कनेक्टिविटी (Connectivity)
- क्षमता निर्माण (Capacity Building)

◆ सुरक्षा भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

- दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत द्वारा नौपरिवहन की स्वतंत्रता हासिल करना और हिंद महासागर में अपनी भूमिका स्पष्ट करना 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की एक प्रमुख विशेषता है।
- भारत 'क्वाड' नामक भारत-प्रशांत क्षेत्र आधारित अनौपचारिक समूह के माध्यम से भी ऐसे प्रयास कर रहा है।

### कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल:

- भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखौरा रेल लिंक।
- इंटर-मॉडल परिवहन संपर्क और बांग्लादेश के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग।
- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना एवं म्याँमार और थाईलैंड के साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना।
- 'भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम' के तहत विभिन्न सड़क एवं पुल परियोजनाओं तथा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण का काम किया गया है।

◆ 'भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम' वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक रणनीति" के तहत भारत-जापान सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करना है।

◆ यह फोरम भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिये विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करेगा, जिनमें कनेक्टिविटी, विकास संबंधी बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक संपर्क और पर्यटन, संस्कृति एवं खेल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क जैसे कारक शामिल हैं।

### अन्य पहलें:

- महामारी के दौरान आसियान देशों को दवा/चिकित्सा आपूर्ति के रूप में विस्तारित सहायता।
- आसियान देशों के प्रतिभागियों के लिये IIT में 1000 पीएचडी फेलोशिप की पेशकश के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- भारत शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर के समुदायों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिये कंबोडिया, लाओस, म्याँमार और वियतनाम में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

◆ 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (QIPs) कम लागत वाली छोटे पैमाने की परियोजनाएँ हैं, जिन्हें कम समय-सीमा के भीतर योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया जाता है।

---

# भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) महिला फोरम की बैठक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में छठे भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (India-Brazil-South Africa- IBSA) महिला फोरम की बैठक का आयोजन किया गया।

- वर्तमान में भारत IBSA संवाद मंच का अध्यक्ष है।

## प्रमुख बिंदु

### बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- वर्ष 2020 को निम्नलिखित के संदर्भ में याद किया गया:

◆ बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BDFA) की 25वीं वर्षगाँठ: बीजिंग में आयोजित वर्ष 1995 का चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था तथा विश्व में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

- सतत् विकास 2030 एजेंडा को अपनाने की 5वीं वर्षगाँठ: सतत् विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव तथा हिंसा को खत्म करना है।
- महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर UNSC संकल्प 1325 की 20वीं वर्षगाँठ।
- UN WOMEN की स्थापना का एक दशक: UN WOMEN जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये समर्पित संयुक्त राष्ट्र (United Nation) का एक संगठन है, ने वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किये।

- दूसरे देशों को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिये टीके, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट आदि देने के लिये भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई।

## महिला सशक्तीकरण के लिये भारत का प्रयास:

- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं।
- भारत ने वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिये कन्वेंशन (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women -CEDAW) पर हस्ताक्षर किये और वर्ष 1993 में कुछ आरक्षणों के साथ इसकी पुष्टि की।
- दहेज़ और घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिये ऐसी घटनाओं को दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के माध्यम से आपराधिक घोषित किया गया है।
- सरकार ने वर्ष 2017 में निजी क्षेत्र में मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 सभी महिलाओं को सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया।
- महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का प्रयास, इससे भारतीय राजनीति में सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण मिल जाएगा।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना) आदि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ हैं।
  - भारत ने जहाँ मानव विकास हेतु कुछ उपाय किये हैं, वहीं लैंगिक समानता को लेकर तुलनात्मक रूप से कम प्रयास किये गए हैं। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 में 108वें स्थान से घटकर वर्ष 2020 में 112वें स्थान पर आ गई।

## भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच

- IBSA के विषय में: IBSA संवाद मंच भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक त्रिपक्षीय समूह है।
- गठन: इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया में हुई बैठक में इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम IBSA वार्ता मंच (IBSA Dialogue Forum) रखा गया और ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) की गई।
- मुख्यालय: IBSA का मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
  - अब तक पाँच IBSA लीडरशिप समिट आयोजित किये जा चुके हैं। 5वाँ IBSA शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2011 में प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) में किया गया था। छठे IBSA शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी।
- IBSA का एक नवाचारी कार्य गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिये वर्ष 2004 में IBSA सुविधा निधि की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से सहयोगी विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है।

- अब तक IBSA ने 20 भागीदार विकासशील देशों में SDG (पहले MDG) की उपलब्धि में योगदान देने के उद्देश्य से सुरक्षित पेयजल, कृषि और पशुधन, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में 31 परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- IBSA सुविधा निधि को वर्ष 2010 में न्यूयॉर्क में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये एमडीजी पुरस्कार दिया गया जो विश्व के दूसरे भागों में विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने हेतु नवाचारी दृष्टिकोण का प्रयोग करने में IBSA के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है।

- IBSAMAR नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग IBSA का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। IBSAMAR के अब तक छह संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं, जिनमें से नवीनतम संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2018 में दक्षिण अफ्रीका के तट के निकट किया गया था।

# गांधी शांति पुरस्कार

## चर्चा में क्यों?

बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान, काबूस बिन सईद अल सैद को क्रमशः वर्ष 2020 और वर्ष 2019 के लिये गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

## प्रमुख बिंदु

### गांधी शांति पुरस्कार:

- इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था।
- पुरस्कार: इसमें एक करोड़ रुपए नकद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा उत्पाद शामिल होता है।
- यह पुरस्कार किसी व्यक्ति, संघ, संस्थान अथवा संगठन को दिया जा सकता है
  - इस पुरस्कार को दो व्यक्तियों/संस्थानों के बीच विभाजित भी किया जा सकता है, यदि चयनकर्त्ता यह मानते हैं कि वे दोनों समान रूप से पुरस्कार के योग्य है।
  - यह राष्ट्रीयता, पंथ, नस्ल या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्रदान किया जा सकता है।
- चयन समिति: विजेताओं का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, देश का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

### शेख मुजीबुर रहमान

- उन्हें 'बंगबंधु' के नाम से जाना जाता था। वे बांग्लादेश के 'जतिर पिता अर्थात् 'राष्ट्रपिता' के रूप में भी जाने जाते हैं।
- शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित भारत के गोपालगंज ज़िले के तुंगीपारा गाँव (अब बांग्लादेश) में 17 मार्च, 1920 को हुआ था और उनका निधन 15 अगस्त, 1975 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ।
  - वर्ष 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई गई थी।
- वह एक बंगाली नेता थे, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री (1972-75) बने और वर्ष 1975 में वहाँ के राष्ट्रपति बने।
- उन्होंने अपने औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1949 में अवामी लीग के सह-संस्थापक के रूप में की थी।
- उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के लिये राजनीतिक स्वायत्तता की वकालत की और यही हिस्सा आगे चलकर बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया।
- उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिये चुना गया है, क्योंकि उन्होंने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान दिया था।
- वे मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के पक्षधर थे और न केवल बांग्लादेश के लोगों बल्कि भारतीयों के लिये भी वे एक नायक हैं।

- शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और प्रेरणा ने दोनों देशों के संबंधों को अधिक व्यापक और गहन किया है तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की वजह से पिछले एक दशक में दोनों देशों ने साझेदारी, प्रगति और समृद्धि की मज़बूत नींव रखी है।

### काबूस बिन सईद अल सैद

- वे अरब जगत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं। उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक ओमान पर शासन किया।
- वर्ष 1970 में उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद से ओमान में तख्तापलट किया और 29 वर्ष की उम्र में वे ओमान के सुल्तान बने।
- वे एक दूरदर्शी नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम और मध्यस्थता की नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा और सम्मान दिलाया।
- उन्हें भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों का वास्तुकार भी माना जाता है।
  - उन्होंने भारत में अध्ययन किया था और सदैव भारत के साथ विशेष संबंध बनाए रखने पर ज़ोर दिया।
- गांधी शांति पुरस्कार 2019 भारत और ओमान के बीच संबंधों को मज़बूत करने और खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है।

---

# स्थायी सिंधु आयोग

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission- PIC) की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।

- पहले दिन की बैठक पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस (23 मार्च, 1940 के लाहौर संकल्प की स्मृति में ) के साथ संपन्न की गई।

## प्रमुख बिंदु:

### हाल में संपन्न बैठक के बारे में:

- यह बैठक ढाई साल से अधिक अंतराल के बाद आयोजित की गई है, इस अंतराल के निम्नलिखित कारण हैं:
  - पुलवामा हमला (14 फरवरी, 2019), बालाकोट हवाई हमला (26 फरवरी, 2019)।
  - अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधानों का निरसन जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था।
  - सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के अनुसार, भारत की पाकल दुल और लोअर कलनई परियोजनाओं के तकनीकी पक्ष अर्थात् डिज़ाइन पर चर्चा की गई।
  - भारत चेनाब की सहायक नदी मरुसुदर पर 1,000 मेगावाट की पाकल डल जल-विद्युत परियोजना (Pakal Dul Hydro Electric Project) का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित है।
  - दूसरी परियोजना लोअर कलनई (Lower Kalnai Project) है जिसे चिनाब नदी पर विकसित किया जा रहा है।
  - दोनों देशों के मध्य संपन्न इस बैठक को पिछले महीने "नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों से संबंधित सभी समझौतों और युद्धविराम के सख्त पालन" पर सहमति के बाद एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

### स्थायी सिंधु आयोग के बारे में:

- यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि (वर्ष 1960 ) के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था।
- सिंधु जल संधि के अनुसार, आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा।
- आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं:
  - नदियों के जल के विकास से संबंधित दोनों देशों की सरकारों की किसी भी समस्या का अध्ययन करना और रिपोर्ट देना।
  - जल बँटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों का समाधान करना।

- प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार नदियों का निरीक्षण करने हेतु एक सामान्य दौरा करना।
- संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

- PIC की 115वीं बैठक का आयोजन अगस्त 2018 में लाहौर में किया गया था।

## सिंधु जल संधि, 1960:

- 19 सितंबर, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस संधि में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग दोनों देशों में किस प्रकार किया जाना है, इस बात का निर्धारण किया है।
- संधि के अनुसार, पूर्वी नदियों (रावी, व्यास, सतलज) का जल भारत के लिये तथा पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का जल पाकिस्तान के लिये निर्धारित किया गया।
- संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर 'रन ऑफ द रिवर' (Run of the River- RoR) प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। इनके डिज़ाइन और संचालन हेतु भारत को विशिष्ट मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।
- भारत ने लद्दाख में कई जल-विद्युत परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है जो इस प्रकार हैं:
    - दुरबुक श्योक (19 मेगावाट)
    - शंकू (18.5 मेगावाट),
    - निमू चिलिंग (24 मेगावाट)
    - रोंगडो (12 मेगावाट)
    - लेह में रतन नाग (10.5 मेगावाट)
    - कारगिल में मैंगडुम सांगरा (19 मेगावाट), कारगिल हुंडरमैन (25 मेगावाट) और तमाशा (12 मेगावाट)।
- यह पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय पनबिजली परियोजनाओं के डिज़ाइन को लेकर चिंता व्यक्त करने का अधिकार भी देता है।
- यह संधि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने हेतु एक मध्यस्थता तंत्र भी प्रदान करती है।
- बाँधों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद रहे हैं। उदाहरण के लिये वर्ष 2010 में पाकिस्तान द्वारा सिंधु की एक छोटी सहायक नदी किशनगंगा (पाकिस्तान में नीलम के रूप में जाना जाता है) पर स्थापित भारत की 330 मेगावाट जल-विद्युत परियोजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही (International Arbitration Proceedings) शुरू की गई थी।
- हालाँकि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, लेकिन चीन को इस संधि से बाहर रखा गया है। अगर चीन नदी के प्रवाह को रोकने या बदलने का फैसला करता है, तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करेगा।
- जलवायु परिवर्तन तिब्बत के पठार पर बर्फ पिघलने का कारण बन रहा है, अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य में नदी को प्रभावित करेगा।

## लाहौर संकल्प:

- मार्च 1940 में लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक ऐतिहासिक सत्र का आयोजन किया गया।
    - मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था कि हिंदू और मुसलमान किस प्रकार एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति के साथ नहीं रह सकते हैं।
- 23 मार्च को उस सत्र में एक युगांतरकारी संकल्प लाया गया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की मांग की गई थी और कहा गया कि उत्तर-पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का गठन किया जाना चाहिये।
- इन स्वतंत्र राज्यों को गोद लेने के स्थान के संबंध में संकल्प को मूल रूप से लाहौर संकल्प के रूप में संदर्भित किया गया था। हालाँकि हिंदू प्रेस ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में परिभाषित किया।
- लाहौर संकल्प पूरे उप महाद्वीप की प्रशासनिक एकता के अंत की शुरुआत थी, जिसे मुस्लिम शासकों ने बनाया था और अंग्रेज़ों द्वारा जारी रखा गया था; इन क्षेत्रों को गोद लेने के आठ साल के भीतर उपमहाद्वीप का विभाजन हो गया और भारतीय नक्शे पर पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में दिखाई दिया।

नोट :

# भारत-दक्षिण कोरिया: मैत्री पार्क

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत-दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

- बाद में दोनों मंत्रियों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने हेतु द्विपक्षीय बैठक की।
- इससे पूर्व फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया ( कोरिया गणराज्य) का दौरा किया था।

## प्रमुख बिंदु:

### परिचय:

- छह एकड़ के हरित क्षेत्र में फैले इस पार्क में कोरियाई शैली का एक प्रवेश द्वार, जॉगिंग ट्रैक, प्राकृतिक उद्यान और रंगभूमि (Amphitheatre) मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं।
- इस पार्क के प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथ मिलाती हुई एक बड़ी कलाकृति है, जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया के ध्वज बने हैं।
- पार्क में प्रतिष्ठित सैनिक जनरल के.एस. थिमैया की भी एक विशाल प्रतिमा लगी है, उन्होंने कोरिया में भारत की अध्यक्षता वाले तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (NNRC) के चेयरमैन के रूप में भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व किया था।
- तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (NNRC)
  - कोरियाई युद्ध में युद्धविराम समझौते की अनुवर्ती कार्रवाई को अपनाते हुए एक NNRC की स्थापना की गई थी, जिसे दोनों पक्षों के युद्ध में शामिल 20,000 से अधिक कैदियों के बारे में फैसला करना था।
  - भारत को NNRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसमें पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते थे तथा स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड ने पश्चिमी दुनिया का प्रतिनिधित्व किया ।
- जनरल थिमैया की प्रतिमा के पीछे स्थापित पाँच स्तंभों पर कोरियाई युद्ध के दौरान 60 पैराशूट फील्ड एंबुलेंस (भारत द्वारा तैनात) द्वारा चलाए गए उन अभियानों का विवरण है जिसमें 1,95,000 घायलों का इलाज किया था और 2,300 घायलों की फील्ड सर्जरी की गई थी।
  - एक स्तंभ को नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के कोरिया पर कहे गए कथन 'द लैंप ऑफ द ईस्ट' के रूप में शामिल किया गया है, जो 1929 में कोरियाई दैनिक समाचार पत्र "डोंग-ए-इल्बो" में प्रकाशित हुआ था।

### विकास रणनीति :

- इस पार्क का विकास भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास और भारत के कोरियन वॉर वेटेरन्स एसोसिएशन के संयुक्त परामर्श से किया गया है।

### महत्व:

- दिल्ली छावनी में स्थित इस पार्क की महत्ता केवल भारत-दक्षिण कोरिया के मज़बूत मित्रता संबंधों के प्रतीक के रूप में ही नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में 1950-53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध में हिस्सा लेने वाले 21 देशों में से एक भारत के योगदान को दर्शाना भी है।

### बैठक के चर्चित मुद्दे:

- भारत-प्रशांत रणनीति के हिस्से के रूप में समुद्री सहयोग और रक्षा उद्योग एवं भविष्य की प्रौद्योगिकियों में सहयोग हेतु चर्चा की गई।
  - दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में काम करते हुए भारतीय नौसेना की मदद के लिये एक रसद समझौते (Logistics Agreement) पर हस्ताक्षर किये।

## भारत-दक्षिण कोरिया संबंध:

### राजनीतिक:

- कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान युद्धरत दोनों पक्षों (उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया) के मध्य भारत ने युद्धविराम समझौता कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत द्वारा प्रायोजित इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया और 27 जुलाई, 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी।
- मई 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष सामरिक भागीदारी' हेतु उन्नत किया गया।
- भारत ने दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत कोरिया अपने प्रभावी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार करना चाहता है।
- भारत जहाँ एक ओर अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया नई दक्षिणी नीति (New Sauthern Policy) के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी( Act East Policy) का एक प्रमुख सहयोगी है जिसके अंतर्गत भारत का उद्देश्यों आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।

### आर्थिक:

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA), 2010 पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता व्यापार संबंधों के विकास को सुविधाजनक बनाता है।
- कोरिया से निवेश सुविधा के लिये भारत ने 'इन्वेस्ट इंडिया' के अंतर्गत एक 'कोरिया प्लस' पहल को शुरू किया है जो निवेशकों का मार्गदर्शन, सहायता करने और संवर्द्धित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- कोरिया के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 1.72% थी तथा कोरिया के वैश्विक आयात में भारत का योगदान वर्ष 2001 में 0.78% से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.05% हो गया है।

### सांस्कृतिक:

- कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंग जिआओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने 'भारत के पाँच साम्राज्यों की तीर्थयात्रा' नामक यात्रा वृतांत लिखा। यह यात्रा वृतांत भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का ज्वलंत वर्णन करता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता 'लैंप ऑफ द ईस्ट' की रचना की थी।
- भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) का गठन किया गया।

### दोनों देशों द्वारा साझा किये गए बहुपक्षीय मंच:

- संयुक्त राष्ट्र
- विश्व व्यापार संगठन
- आसियान प्लस
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
- जी-20

### आगे की राह

- भारत-कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) संबंधों ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध बहुआयामी हो गए हैं, जो हितों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान से प्रोत्साहित हुए हैं।

- हालाँकि इससे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों के विस्तार के साथ-साथ एशिया में एक अद्वितीय संबंध बनाने की काफी संभावनाएँ व्यक्त की गई हैं। इसके लिये एक ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो विविध क्षेत्रों (जैसे- सांस्कृतिक संबंधों, लोगों के मध्य संपर्क बनाने, लोकतंत्र और उदार मूल्यों का उपयोग करने तथा सभ्यतागत संबंधों) को मजबूत करने की कल्पना करता हो।

# भारतीय परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा जापान

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने भारत में कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिये लगभग 233 बिलियन येन के ऋण और अनुदान को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें अंडमान और निकोबार के लिये एक परियोजना भी शामिल है।

## प्रमुख बिंदु

### अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये अनुदान

- अनुदान के बारे में
  - रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति में सुधार करने हेतु एक परियोजना के लिये 4.01 बिलियन येन के अनुदान को अंतिम रूप दिया गया है।
    - इस अनुदान का उपयोग 15MW बैटरी के साथ-साथ बिजली प्रणाली स्टेबलाइज़र्स की खरीद हेतु किया जाएगा ताकि दक्षिण अंडमान में सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
  - यह अनुदान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित किसी परियोजना के लिये जापान की पहली आधिकारिक विकास सहायता (ODA) है।
- आधिकारिक विकास सहायता (ODA)
  - आधिकारिक विकास सहायता (ODA) को किसी ऐसी सरकारी सहायता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किया गया हो।
    - हालाँकि इसमें सैन्य उद्देश्यों के लिये ऋण या क्रेडिट को शामिल नहीं किया जाता है।
  - भारत आधिकारिक विकास सहायता के तहत जापान सरकार की वित्तीय सहायता का शीर्ष प्राप्तकर्त्ता रहा है।

अन्य परियोजनाओं के लिये जापान द्वारा दी गई सहायता

### दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण हेतु।

- बंगलूरू में नम्मा मेट्रो के दूसरे चरण के तहत मेट्रो लाइनों हेतु।
- हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण हेतु।
- राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर ज़िलों में फ्लोरोसिस की रोकथाम हेतु।

### भारत और जापान के बीच अन्य हालिया घटनाक्रम

- हाल ही में 'क्वाड' के प्रतिनिधियों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
  - 'क्वाड' चार देशों- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का गठबंधन है।
- भारत और जापान ने वर्ष 2020 में एक लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंत:सक्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समझौते को अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते' (Acquisition and Cross-Servicing Agreement) के रूप में जाना जाता है।
- भारत और जापान ने वर्ष 2019 में पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता आयोजित की, जिसमें दोनों पक्षों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल थे। इस वार्ता को भारत तथा जापान के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है।

- अक्तूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान "भारत-जापान डिजिटल साझेदारी" (India-Japan Digital Partnership- I-JDP) की शुरुआत की गई थी, जिसमें सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ S&T/ICT में सहयोग के दायरे में नई पहल को आगे बढ़ाते हुए "डिजिटल आईसीटी टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था।
- भारत और जापान ने वर्ष 2014 में अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' के लिये उन्नत किया।
- अगस्त 2011 में लागू भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement) माल, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि से संबंधित व्यापार मुद्दों को कवर करता है।
- भारत और जापान की रक्षा सेनाओं के बीच जिमेक्स (नौसेना), शिन्यु मैत्री (वायु सेना) और धर्म गार्जियन (सेना) नामक द्विपक्षीय अभ्यासों की एक शृंखला आयोजित की जाती है। दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) में भी भाग लेते हैं।

## अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्त्व

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Island) बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संधि-स्थल पर स्थित है।
- यह 572 द्वीपों का एक समूह है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों पर फैला हुआ है।
- यह द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार से सटे लगभग उत्तर-दक्षिण विन्यास में 450 समुद्री मील की दूरी पर फैला हुआ है, जो कि हिंद महासागर का एक प्रमुख चेकपॉइंट है।
- भौगोलिक दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है। इस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु म्याँमार से केवल 22 समुद्री मील दूर पर स्थित है, जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।
- यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री और 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच फैला हुआ है, जहाँ से प्रत्येक वर्ष साठ हज़ार से अधिक वाणिज्यिक जहाज़ गुजरते हैं।
- भारत के कुल भू-भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा केवल 0.2% है, देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) का लगभग 30% भाग इसके अंतर्गत आता है।
- बंगाल की खाड़ी में इस द्वीप समूह की उपस्थिति के कारण भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है।
- हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "समुद्री और स्टार्टअप हब" के रूप में विकसित किया जाएगा।

## फ्लोरोसिस

- फ्लोरोसिस (Fluorosis) एक कॉस्मेटिक (Cosmetic) स्थिति है जो दाँतों को प्रभावित करती है।
- यह स्थिति जीवन के प्रारंभिक आठ वर्षों के दौरान फ्लोराइड के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होती है और इस समय स्थायी दाँत आ रहे होते हैं।
- दाँत आने के बाद फ्लोरोसिस से प्रभावित लोगों के दाँतों में हल्की विवर्णता देखी जा सकती है।

## आगे की राह

- भारत को जापान से अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता है, इसलिये अधिक सहभागिता और सहयोग दोनों देशों के लिये फायदेमंद साबित हो सकता है।
- मेक इन इंडिया (Make in India) के संबंध में अत्यधिक संभावनाएँ हैं। भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ जापानी डिजिटल प्रौद्योगिकी का विलय करके संयुक्त उद्यम लगाए जा सकते हैं।
- नज़दीकी सहयोग एशिया और इंडो-पैसिफिक के साथ-साथ भौतिक तथा डिजिटल स्पेस में चीन की बढ़ती भूमिका से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है।

नोट :

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## पावर ट्रांसमिशन केबल्स की निगरानी हेतु नई तकनीक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया है कि फाइबर ऑप्टिक केबल (Fibre Optic Cable) पर रमन थर्मोमेट्री (Raman Thermometry) का उपयोग करके बिजली ट्रांसमिशन केबल की निगरानी की जा सकती है।

- शोधकर्ताओं द्वारा इसके लिये ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया गया जो ऑप्टिकल संचार स्थापित करने हेतु पहले से ही बिजली के केबल्स में (Embedded) अंत:स्थापित है।

### प्रमुख बिंदु:

#### रमन थर्मोमेट्री:

- यह एक थर्मल तकनीक है जिसमें माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (Microelectronics Systems) में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने हेतु रमन प्रकीर्णन घटना का उपयोग किया जाता है।
- जब प्रकाश किसी वस्तु पर फैलता है, तो उसे एक अणु कहते हैं, मूल प्रकाश में उच्च और निम्न आवृत्ति के साथ क्रमश: दो बैंड- स्टोक्स (Stokes) और एंटी स्टोक्स बैंड (anti-Stokes bands) देखे जाते हैं।
- दो बैंडों की सापेक्ष तीव्रता का अध्ययन करने से प्रकाश को बिखेरने वाली वस्तु के तापमान का अनुमान लगाना संभव है।
  - रमन स्कैटरिंग (Raman Scattering) के एंटी-स्टोक्स बैंड का तापमान वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है, इस प्रकार एंटी स्टोक्स की बिखरी हुई रोशनी की तीव्रता को मापकर हम तापमान का अनुमान लगा सकते हैं।
- कंडक्टर (Conductor) के माध्यम से बहने वाली कोई भी धारा जूल हीटिंग प्रभाव (Joule Heating Effect) के कारण तापमान वृद्धि का कारण होगी। इसलिये विद्युत केबलों के माध्यम से धारा का प्रवाह होने पर विद्युत केबलों के ताप में परिवर्तन होता है।
  - जूल हीटिंग (इसे प्रतिरोधक या ओमिक ताप के रूप में भी जाना जाता है) उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जहाँ एक विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और एक प्रतिरोध के माध्यम से बहती है।

#### ऑप्टिकल फाइबर तकनीक:

- ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके तारों के तापमान की माप न केवल एक स्थान पर बल्कि वितरित तरीके से भी की सकती है। इसे प्राप्त करने हेतु प्रकाश की एक पल्स को ऑप्टिकल फाइबर में अंतर्निहित किया जाता है और बैकसकैटर्ड विकिरण (Backscattered Radiation) का निरीक्षण किया जाता है।
- ऑप्टिकल फाइबर उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रित काँच/ क्वाट्र्ज़ फाइबर से बने होते हैं।
  - प्रत्येक फाइबर में एक कोर और क्लैडिंग मौजूद होता है।
- जब प्रकाश के रूप में एक संकेत को एक उपयुक्त कोण पर फाइबर के एक छोर पर निर्देशित किया जाता है, तो यह फाइबर की लंबाई के कुल आंतरिक प्रतिबिंब के साथ दूसरे छोर पर बाहर निकलता है।
  - एक माध्यम के भीतर (जैसे पानी या काँच की सतहों के चारों तरफ ) कुल आंतरिक परावर्तन प्रकाश की किरण का पूर्ण परावर्तन है।
  - चूँकि प्रकाश प्रत्येक चरण में आंतरिक प्रतिबिंब के माध्यम से गुज़रता है, इसलिये प्रकाश संकेत की तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है।
- बैकसकैटर्ड विकिरण (Backscattered Radiation) का समय उस दूरी का अनुमान प्रदान करता है जितनी दूरी पर प्रकाश बैकसकैटर्ड पर होता है।
  - बैकसकैटर्ड (Backscatter) तरंगों, कणों, या संकेतों का प्रतिबिंब है, जिस दिशा से वे आते हैं।

नोट :

- यह वितरित माप प्रदान करता है क्योंकि यह पल्स फाइबर की लंबाई के साथ प्रसार करता है।
- यह 10 किलोमीटर तक जा सकता है।

**महत्त्व:**

- वास्तविक तापमान माप:
  - रमन थर्मामीटर तकनीक के उपयोग से ऑपरेटरों को 10 किलोमीटर से अधिक तक वास्तविक तापमान माप के परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
- आर्थिक और वास्तविक समय:
  - बिजली के तारों के तापमान को मापने हेतु वैकल्पिक तरीकों में एक अत्यधिक बोझिल थर्मल कैमरा उपयोग किया जाता है। टीम द्वारा तैयार की गई वर्तमान विधि किफायती है जो वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।
    - थर्मल कैमरे (Thermal Cameras) अवरक्त प्रकाश के विभिन्न स्तरों को पहचानने तथा उन्हें कैप्चर कर तापमान का पता लगाते हैं।

**रमन प्रभाव:**

- वर्ष 1928 में रमन प्रभाव या रमन स्कैटरिंग को प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) घटना के रूप में खोजा गया।
  - वर्ष 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस उल्लेखनीय खोज हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था।
- रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं के विक्षेपित होने पर उत्पन्न होता है। जब प्रकाश की किरण एक रासायनिक यौगिक के धूल रहित, पारदर्शी नमूने से गुज़रती है तो प्रकाश की यह किरण अन्य दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है।
- विक्षेपित प्रकाश का अधिकांश हिस्सा अपरिवर्तित तरंगदैर्ध्य (Unchanged Wavelength) होती है। हालाँकि तरंगदैर्ध्य का एक छोटा सा हिस्सा विक्षेपित प्रकाश से अलग होता है, जो रमन प्रभाव की उपस्थिति का परिणाम है।

---

# गतिशील ब्लैकहोल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहले गतिशील सुपरमैसिव ब्लैकहोल (Supermassive Black Hole) की खोज की है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग तीन मिलियन गुना अधिक है।

- यह ब्लैकहोल अपनी आकाशगंगा (J0437 + 2456) के भीतर घूम रहा था जो पृथ्वी से लगभग 228 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।

## प्रमुख बिंदु

**वैज्ञानिकों द्वारा संचालित अध्ययन:**

- वैज्ञानिकों ने केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैकहोल वाले दूर स्थित 10 आकाशगंगाओं का अध्ययन किया, उन्हें उम्मीद थी कि इन ब्लैकहोल का वेग उनकी आवासीय आकाशगंगाओं के वेग के समान होगा।
- उनके अध्ययन का मुख्य केंद्र अभिवृद्धि डिस्क (Accretion Disk-एक सुपरमैसिव ब्लैकहोल के चारों ओर सर्पिल द्रव्यमान जो कि ब्लैकहोल द्वारा अंतत: अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है) के अंदर पानी पर था।
  - जब अभिवृद्धि डिस्क (जल युक्त) ब्लैकहोल के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो यह लेज़र प्रकाश जैसी किरण का उत्पादन करता है, जिसे मेसर (Maser) कहा जाता है। ये मेसर ब्लैकहोल के वेग को बहुत सटीक रूप से बता सकते हैं।

### गतिमान सुपरमैसिव ब्लैकहोल के विषय में:

- वैज्ञानिकों ने जिन 10 ब्लैकहोल का अध्ययन किया, उनमें से J0437 + 2456 आकाशगंगा के केंद्र में केवल एक ब्लैकहोल असामान्य वेग से गति कर रहा था, जो कि अपनी आकाशगंगा के समान वेग से नहीं चल रहा था।
    - इन ब्लैकहोल के विशाल आकार ने इन्हें अंतरिक्ष में इधर-उधर तैरती वस्तुओं के विपरीत आकाशगंगाओं के मध्य में स्थिर वस्तुओं के रूप में कल्पना करने के लिये लोगों को प्रेरित किया।
- यह अपनी आकाशगंगा के अंदर लगभग 1,10,000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रहा है।
- गति के संभावित कारण:
    - दो सुपरमैसिव ब्लैकहोल का विलय: वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है जिस ब्लैकहोल को देखा गया है वह दो ब्लैकहोल के विलय के बाद इस स्थिति में गतिशील हुआ हो।
    - दूसरा, अधिक रोमांचक सिद्धांत एक बाइनरी ब्लैकहोल सिस्टम का है जहाँ एक नहीं बल्कि दो सुपरमैसिव ब्लैकहोल मौजूद हो सकते हैं, जो एक साझा गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाली आकाशगंगाओं के भीतर मौजूद होते हैं।
        - नव अन्वेषित गतिशील ब्लैकहोल की वजह से मेसर का उत्सर्जन नहीं हो सकता है, इसे रेडियो एंटीना नेटवर्क द्वारा पता लगाया जा सकता है।

### ब्लैकहोल

- ब्लैकहोल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
- इस अवधारणा को वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रमाणित किया गया था लेकिन ब्लैकहोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने वर्ष 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- आमतौर पर ब्लैकहोल की दो श्रेणियाँ होती है:
    - पहली श्रेणी- ऐसे ब्लैकहोल जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान (एक सौर द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है) से दस सौर द्रव्यमान के बीच होता है। बड़े पैमाने पर तारों की समाप्ति से इनका निर्माण होता है।
    - अन्य श्रेणी सुपरमैसिव ब्लैकहोल की है। ये जिस सौरमंडल में पृथ्वी है उसके सूर्य से भी अरबों गुना बड़े होते हैं।
- ईवेंट होरिज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2019 में ब्लैकहोल की पहली छवि (अधिक सटीक रूप से) जारी की।
    - ईवेंट होरिज़न टेलीस्कोप विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप (अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला टेलीस्कोप) का समूह है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) का निर्माण तब होता है जब दो ब्लैकहोल एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलय करते हैं।

---

# डबल म्यूटेंट' कोरोना वायरस वेरिएंट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेंट' (Double Mutant) वेरिएंट का पता चला है जो भारत के अलावा विश्व के किसी अन्य देश में नहीं देखा गया है।

## प्रमुख बिंदु:

### उत्परिवर्तन का अर्थ:

- उत्परिवर्तन (Mutation) का आशय एक जीवित जीव या किसी वायरस की कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ (जीनोम) में परिवर्तन से है जो अधिकांशत: स्थायी होता है तथा कोशिका या वायरस के वंशजों में प्रसारित/संचारित होता है।

नोट :

- जीवों के सभी जीनोम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) से बने होते हैं, जबकि वायरस के जीनोम DNA या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड ( Ribo Nucleic Acid- RNA) से निर्मित हो सकते हैं।

## डबल म्यूटेंट:

- भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics- INSACOG) द्वारा महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात राज्यों में वायरस के नमूनों के जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing) के दौरान एक साथ दो म्यूटेंट- E484Q और L452R की उपस्थिति का पता चला है।
- INSACOG द्वारा इन वेरिएंट का विवरण ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लूएंज़ा डेटा (GISAID) नामक एक वैश्विक कोष हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और यदि यह प्रभावित करता है, तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न (Variant of Concern- VOC) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
    - अब तक केवल तीन वैश्विक VOCs की पहचान की गई है जिनमें यू.के. वेरिएंट (B.1.1.7), दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट (B.1.351) और ब्राज़ील वेरिएंट (P.1) शामिल हैं।

## वेरिएंट ऑफ कंसर्न:

- ये ऐसे वेरिएंट हैं जो संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी, पिछले संक्रमण या टीकाकरण में कम एंटीबॉडी के निर्माण, उपचार या टीके की कम प्रभावशीलता या लक्षणों का सही से पता लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

## डबल म्यूटेंट की चुनौतियाँ:

- डबल म्यूटेंट वायरस के स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) वाले क्षेत्रों में जोखिम को बढ़ा सकता है।
    - स्पाइक प्रोटीन वायरस का वह हिस्सा है जिसका उपयोग वह मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने हेतु करता है।
- एक VOC या संदिग्ध VOC की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि वह वायरस के प्रकोप का कारण है, बल्कि यह रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है।
- जबकि डबल म्यूटेंट को टीके की प्रभावकारिता में कमी के साथ-साथ संक्रामकता के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इनके संयुक्त प्रभाव और जैविक निहितार्थ को अभी तक नहीं समझा गया है।

## अन्य वेरिएंट:

- केरल में किये गए जीनोम वेरिएशन ( Genome Variation ) अध्ययन में अन्य प्रकार के उत्परिवर्तनों की उपस्थिति का पता चला है।
    - यह कोरोनावायरस से बचने में मदद करने वाली एंटीबॉडी से संबंधित है।
- N440K वेरिएंट्स जो प्रतिरक्षा से संबंधित है यूके, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 अन्य देशों में पाया गया है।

## समाधान:

- अधिकाधिक परीक्षणों हेतु एक समान महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता होगी। निकट संपर्क की व्यापक स्तर पर ट्रेकिंग, कोविड पॉज़िटिव के मामलों को अतिशीघ्र अलग करने के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल' (National Treatment Protocol) के अनुसार उपचार किया जाना चाहिये।

भारतीय सार्स सीओवी-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG):

- INSACOG प्रयोगशालाओं, एजेंसियों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो SARS-CoV-2 में जीनोमिक विभिन्नताओं का निरीक्षण करता है।
- यह वायरस के विकसित होने और उसके प्रसार के कारणों का पता लगाने में सहायक है।
- जीनोमिक निगरानी (Genomic Surveillance) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर रोगज़नक संचरण और विकास पर नज़र रखने हेतु जानकारी का एक समृद्ध स्रोत प्रदान कर सकती है।

### जीनोमिक अनुक्रमण:

- वायरस के केस में यह एक जीव के पूरे आनुवंशिक कोड की मैपिंग करने हेतु परीक्षण प्रक्रिया है।
- वायरस का आनुवंशिक कोड निर्देश पुस्तिका की तरह कार्य करता है।
- वायरस में उत्परिवर्तन का होना एक सामान्य घटना है लेकिन उनमें से अधिकांश महत्त्वहीन होते हैं जो किसी भी प्रकार के खतरनाक संक्रमण फैलाने या पैदा करने की क्षमता में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- लेकिन ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वायरस वेरिएंट में उत्परिवर्तन, वायरस को अधिक संक्रामक और कुछ मामलों में घातक भी बना सकते हैं।

### एवियन इन्फ्लूएंज़ा का डेटा साझा करने हेतु वैश्विक पहल:

- ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लूएंज़ा डेटा (GISAID) पहल सभी इन्फ्लूएंज़ा वायरस और कोरोना वायरस के डेटा के तीव्र साझाकरण को बढ़ावा देती है।
- आनुवंशिकी अनुक्रमों के तीव्र साझाकरण ने शोधकर्त्ताओं को वायरस के प्रसार का तीव्रता से पता लगाने में मदद की है।
- GISAID ने नैदानिक किट के विकास, अनुसंधान हेतु प्रोटोटाइप वायर, टीके और एंटीबॉडी जैसे सुरक्षात्मक चिकित्सा उपचारों के विकास को भी बढ़ावा दिया है।
- मई 2008 में 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर GISAID प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था।
  - अपने लॉन्च के बाद से GISAID ने डब्लूएचओ ग्लोबल इन्फ्लूएंज़ा सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (GISRS) द्वारा द्वि-वार्षिक इन्फ्लूएंज़ा वैक्सीन वायरस की सिफारिशों हेतु  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग केंद्रों और राष्ट्रीय इन्फ्लूएंज़ा केंद्रों के बीच डेटा साझा करने में एक अहम भूमिका निभाई है।

---

## निसार : नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन

### चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) संयुक्त रूप से NISAR नामक SUV के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। यह उपग्रह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन करने में सक्षम होगा।

- इस उपग्रह को वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु:

- निसार: यह नासा-इसरो-एसएआर (NASA-ISRO-SAR) का संक्षिप्त नाम है।
  - SAR, सिंथेटिक एपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radar) को संदर्भित करता है जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापने में किया जाएगा।
    - यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को प्राप्त करने वाली एक तकनीक को संदर्भित करता है। अपनी सटीकता के कारण यह बादलों और अंधेरे को भी भेदने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात, किसी भी समय डेटा एकत्र करने में सक्षम है।
- कार्य: यह अपने तीन-वर्षीय मिशन के दौरान हर 12 दिनों में पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाकर पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ के दृश्यों का चित्रण करेगा।

### नासा की भूमिका:

- नासा, उपग्रह में प्रयोग किये जाने हेतु एक रडार, विज्ञान डेटा, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सब-सिस्टम के लिये उच्च दर संचार उपतंत्र प्रदान करेगा।

- निसार, नासा द्वारा लॉन्च किये गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना (Reflector Antenna) से लैस होगा।

## इसरो की भूमिका:

- इसरो द्वारा स्पेसक्रॉफ्ट बस (अंतरिक्षयान बस), दूसरे प्रकार के रडार (जिसे S- बैंड रडार कहा जाता है), लॉन्च वाहन और संबद्ध लॉन्च सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

## प्राथमिक लक्ष्य:

- पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी करना।
- संभावित ज्वालामुखी विस्फोटक के बारे में चेतावनी देना।
- भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना।
- बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना।

## अपेक्षित लाभ:

- निसार से प्राप्त डेटा वैश्विक स्तर पर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनका बेहतर ढंग से समाधान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
  - स्थानीय स्तर पर हुए परिवर्तन को दर्शाने हेतु निसार द्वारा लिये गए चित्र पर्याप्त होंगे, साथ ही ये व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय रुझानों को मापने में भी सहायक होंगे।
- आने वाले वर्षों में इस मिशन से प्राप्त डेटा क्रस्ट के बारे में तथा भूमि की सतह पर होने वाले परिवर्तन के परिणामों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होंगे।
- यह हमारे ग्रह की कठोर बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है, के बारे में हमारी समझ को और बेहतर रूप से विकसित करने में सहायक होगा।

## एस-बैंड रडार:

- एस बैंड रडार 8-15 सेमी. की तरंगदैर्ध्य और 2-4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर कार्य करते हैं।
- तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के कारण एस-बैंड रडार को आसानी से नहीं देखा जा सकता है जो इसे निकट और दूर के मौसम के अवलोकन हेतु उपयोगी बनाता है।
- एस-बैंड की खामी यह है कि इसमें विद्युत आपूर्ति हेतु एक बड़ी एंटीना डिश और मोटर की आवश्यकता होती है। एस-बैंड डिश का आकार 25 फीट से अधिक होना असामान्य बात नहीं है।

नोट :

# पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

## सीबकथॉर्न प्लांटेशन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न (Seabuckthorn) के पौधों को लगाने का फैसला किया है।

### प्रमुख बिंदु:

#### सीबकथॉर्न प्लांटेशन के बारे में:

- यह एक झाड़ी (Shrub) होती है जो नारंगी-पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है।
- भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों और स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में।
- हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से छरमा (Chharma) कहा जाता है जो लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर के कुछ हिस्सों में उगता है।
- हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा इससे आच्छादित है।
- सीबकथॉर्न प्लांटेशन (Seabuckthorn Plantation) के कई पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ हैं।

#### पारिस्थितिक लाभ:

- सीबकथॉर्न का पौधा मिट्टी को बाँधे रखने में मदद करता है जो मिट्टी के क्षरण को रोकता है, नदियों में गाद की जाँच करता है और पुष्प जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण में मदद करता है।
- लाहौल घाटी में जहाँ बड़ी संख्या में विलो वृक्ष (Willow Trees) कीटों के हमले के कारण नष्ट हो रहे हैं, यह कठोर झाड़ी स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु एक अच्छा विकल्प है।
- यह झाड़ी शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है, विशेष रूप से हिमालय के ग्लेशियरों में जहाँ पानी का प्रवाह कम तथा प्रकाश की अधिक मात्रा पहुँचती है, ऐसे में इसका महत्त्व और अधिकबढ़ जाता है।

#### औषधीय लाभ:

- स्थानीय चिकित्सा के रूप में सीबकथॉर्न का उपयोग व्यापक रूप से पेट, हृदय और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है
- इसके फल और पत्तियाँ विटामिन, कैरोटीनोइड (Carotenoids ) तथा ओमेगा फैटी एसिड (Omega Fatty Acids) से भरपूर होती हैं। यह उच्च ऊँचाई तक पहुँचने में सैनिकों की मदद कर सकती है।
- पिछले कुछ दशकों में वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा इसके कई पारंपरिक उपयोगों का समर्थन किया गया है।

#### आर्थिक लाभ:

- सीबकथॉर्न का वाणिज्यिक महत्त्व भी है, क्योंकि इसका उपयोग रस, जेम, पोषण कैप्सूल आदि बनाने में किया जाता है।
- यह ईंधन और चारे का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- हालाँकि उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जंगली सीबकथॉर्न की लगातार आपूर्ति करना संभव नहीं है, अत: इसकी लगातार आपूर्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जानी चाहिये, जैसा चीन में किया जाता है।

नोट :

### भारत में शीत मरुस्थल:

- भारत का शीत मरुस्थल हिमालय में स्थित है जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर (हिमाचल प्रदेश राज्य) तक फैला है।
- इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और बहुत अधिक ऊँचाई (समुद्र तल से 3000-5000 मीटर अधिक) जैसी कठोर जलवायु स्थितियाँ विद्यमान हैं, जो इसके वातावरण में ठंड बढ़ाती है।
- इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान, हिमपात और हिमस्खलन की घटनाएँ आम हैं।
- यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है और जलवायु की स्थिति बहुत कम मौसमों में भू- परिदृश्यों का निर्माण करती है।
- इस क्षेत्र में जल संसाधन न्यूनतम हैं ।

ट्री लाइन:

- ट्री लाइन निवास की वह सीमा है जिस पर पेड़ वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। यह उच्च ऊँचाई और उच्च अक्षांश पर पाई जाती है।
- ट्री लाइन से आगे पेड़ पर्यावरणीय परिस्थितियों (आमतौर पर ठंडे तापमान, अत्यधिक स्नोपैक, या नमी की कमी) को सहन नहीं कर सकते हैं।

---

## जल से भारी धातुओं का निष्कासन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( Indian Institute of Technology- IIT), मंडी के शोधकर्त्ताओं के एक समूह द्वारा जल से भारी धातुओं (Heavy Metals) को निकालने हेतु एक नई विधि विकसित की गई है।

### प्रमुख बिंदु:

#### पृष्ठभूमि:

- दूषित जल से भारी धातुओं को हटाने हेतु रासायनिक अवक्षेपण (Chemical Precipitation), आयन विनिमय (Ion exchange), अधिशोषण (Absorption), झिल्ली निस्पंदन (Membrane Filtration), रिवर्स ऑस्मोसिस ( Reverse Osmosis), सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन (Solvent Extraction) और विद्युत रासायनिक उपचार (Electrochemical Treatment) जैसे कई तरीकों का उपयोग किया गया है।
- इनमें से कई विधियाँ उच्च पूंजी और परिचालन लागत वाली हैं।
- कम खर्चीली होने के कारण अधिशोषण (Adsorption) सबसे उपयुक्त विधियों में से एक है।

#### शोध के बारे में:

- शोध दल द्वारा एक बायोपॉलीमर आधारित सामग्री का उपयोग कर रेशेदार झिल्ली युक्त फिल्टर (Fibrous Membrane Filter) विकसित किया गया है जो जल के नमूनों से भारी धातुओं को अलग करने में मदद करता है।
  - इन झिल्लियों में अवशोषक (Adsorbents) सामग्री का उपयोग किया गया है जो जल से मिश्रित धातुओं को अलग करती है।
  - इन अवशोषकों में बड़े पैमाने पर चिटोसन नामक एक बायोपॉलीमर का प्रयोग किया गया है, जो केकड़े के खोल (Crab Shells ) से प्राप्त होता है और इसे बहुलक (नायलॉन) के साथ मिश्रित किया जाता है।
- वित्तपोषण: इस अध्ययन का वित्तपोषण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

#### अध्ययन में शामिल प्रक्रिया:

- इस अध्ययन में शोधकर्ताओं द्वारा 'सॉल्यूशन ब्लोइंग' (Solution Blowing) नामक एक प्रक्रिया का उपयोग किया गया है, जबकि नियमित फाइबर आधारित अवशोषक का उत्पादन 'मेल्ट ब्लोइंग' (Melt Blowing) विधि द्वारा किया जाता है।

- मेल्ट ब्लोइंग:
  - यह 0.5 माइक्रोन से पतले (माइक्रोमीटर की सीमा में) तंतुओं द्वारा सामग्री के निर्माण हेतु एक विशेष तकनीक है।
  - तंतुओं/फाइबर पर तीव्रता के साथ गर्म हवा को प्रवाहित किया जाता है जिससे इनकी लंबाई में वृद्धि होती है।
- सॉल्यूशन ब्लोइंग:
  - यह विलायक में बहुलक को मिश्रित करता है, जैसे- आयनिक तरल में सेल्यूलोज़।
  - विलयन को एक स्पिन नोज़ल (Spin Nozzle) के माध्यम से पंप किया जाता है जिसमें हवा को उच्च गति के साथ प्रवाहित किया जाता है।
  - सॉल्यूशन ब्लोइंग द्वारा ऐसे फाइबर का निर्माण किया जाता है जो व्यास में नैनोमीटर जितने होते हैं तथा एक मानव बाल की तुलना में सौ हज़ार गुना पतले होते हैं। ये मेल्ट ब्लोइंग से प्राप्त उत्पादों की तुलना में अधिक महीन होते हैं। इनके तंतुओं की सतह का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, परिणामस्वरूप भारी जल से धातुओं को बेहतर तरीके से सोखा जा सकता है।
  - यह विधि नायलॉन जैसे सिंथेटिक पॉलीमर के साथ चिटोसन और लिग्निन जैसे प्राकृतिक पॉलीमर की उच्च सांद्रता के सम्मिश्रण में सक्षम है।
- लाभ:
  - उच्च धातु निष्कासन क्षमता: सामान्य अवशोषक तंतु, नैनोफाइबर झिल्लियों की सतह पर ही धातुओं को रोकने का कार्य करते हैं।
    - जबकि बायोपॉलीमर आधारित सामग्री जल की सतह के ऊपर ही भारी धातुओं को सोखने का कार्य करती है ।
  - झिल्ली का पुन: उपयोग: धातुओं को सोखने की क्षमता में कमी आने से पहले झिल्ली को कम-से-कम आठ बार पुन: उपयोग किया जा सकता है।
  - अवशोषित तत्त्वों की प्राप्ति : मेटल-हाइड्रॉक्सिल नाइट्रेट फॉर्म (Metal-Hydroxyl Nitrat) में अवशोषक धातु को आसानी से अलग किया जा सकता है।
  - औद्योगिक उत्पादन: शोधकर्त्ताओं ने धातु-दूषित जल के उच्च संस्करणों को साफ करने हेतु बड़े पैमाने पर फाइबर-आधारित अवशोषकों का उत्पादन करने के लिये एक विधि प्रदान की है।
  - पर्यावरण अनुकूल: सॉल्यूशन ब्लोइंग तकनीक सिंथेटिक पॉलीमर को प्राकृतिक पॉलीमर में परिवर्तित करने में सक्षम है।
    - जो वर्तमान समय में पर्यावरण जागरूकता के इस युग में एक स्वागत योग्य कदम होगा।

## भारी धातुएँ

### भारी धातुओं के बारे में:

- भारी धातु शब्द किसी भी धात्विक रासायनिक तत्त्व (metallic chemical element) को संदर्भित करता है जिसका अपेक्षाकृत उच्च घनत्व (> 5 ग्राम / सेमी. 3) होता है तथा यह कम सांद्रता के साथ विषाक्त या ज़हरीली होती है।
- भारी धातुओं के उदाहरणों में पारा (Hg), कैडमियम (Cd), आर्सेनिक (As), क्रोमियम (Cr), थैलियम (Tl), और सीसा (Pb) शामिल हैं।

### भारी धातुओं का स्रोत:

- भारी धातुएँ पर्यावरण में प्राकृतिक तरीकों से या मानवीय गतिविधियों द्वारा शामिल होती हैं।
- प्राकृतिक स्रोत
  - इसमें भौगोलिक घटनाएँ जैसे- ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों का अपक्षय आदि शामिल हैं और नदियों के प्रवाह के कारण ये झीलों एवं महासागरों के जल में मिल जाती हैं।
  - मानवजनित स्रोत:
    - धातुओं का खनन, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और उर्वरक उत्पादन जैसी मानव गतिविधियों के माध्यम से इन्हें जल में प्रवाहित किया जाता है।

नोट :

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, भारत की कई प्रमुख नदियों में स्थित जल गुणवत्ता केंद्रों से एकत्रित किये गए दो-तिहाई जल के नमूनों में भारी धातुओं की उपस्थिति मिली है, जिनकी मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक है।
- पश्चिम बंगाल के कई ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी में आर्सेनिक विषाक्तता (Arsenic Poisoning ) के कारण लोग अल्सर (Ulcers) की समस्या से पीड़ित हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में पिछले पाँच वर्षों (वर्ष 2015 से वर्ष 2020) में 145% तक की वृद्धि हुई है।

### मानव पर भारी धातुओं का प्रभाव:

- कुछ आवश्यक भारी धातुएँ कोबाल्ट, तांबा, जस्ता और मैंगनीज़ मानव शरीर के लिये आवश्यक होती हैं, लेकिन इनकी अधिकता स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकती है।
- पीने के पानी में पाई जाने वाली भारी धातु जैसे- सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम का हमारे शरीर पर कोई लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि शरीर में इन धातुओं का संचय गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

| धातु | रोग |
|---|---|
| पारा | मिनीमाता |
| कैडमियम | इटाई-इटाई |
| लेड | रक्ताल्पता |
| आर्सेनिक | ब्लैक फुट |
| नाइट्रेट | ब्लू बेरी सिंड्रोम |

## विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2020

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्विस संगठन IQAir द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (World Air Quality Report) में उल्लेख किया गया है कि विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में हैं।

- इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये 106 देशों से PM2.5 डेटा एकत्र किया।

### PM2.5

- PM2.5, 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जो कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है।
- यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और हमारे देखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह डायबिटीज़ का भी एक कारण होता है।
- यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है।
- यह कण निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत आदि जैसे कुछ स्रोतों से सीधे उत्सर्जित होते हैं।
- अधिकांश कण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की जटिल प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं, जो बिजली संयंत्रों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक हैं।

### प्रमुख बिंदु

#### देशों की राजधानियों की रैंकिंग:

- दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, इसके बाद क्रमश: ढाका (बांग्लादेश), उलानबटार, (मंगोलिया), काबुल (अफगानिस्तान) और दोहा (कतर) का स्थान है।

### देशों की रैंकिंग:

- बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है।
- सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, उसके बाद क्रमश: न्यू कैलेडोनिया और अमेरिकी वर्जिन आइलैंड हैं।

### विश्व के शहरों की रैंकिंग:

- चीन का होटन (Hotan) शहर विश्व का सबसे प्रदूषित (110.2 $\mu g/m^3$) शहर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ज़िला (106 $\mu g/m^3$) है।

### भारतीय परिदृश्य:

- दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019-2020 के दौरान लगभग 15% की वृद्धि हुई है।
  - दिल्ली को 10वें सबसे प्रदूषित शहर और विश्व के शीर्ष प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है, इसके बाद बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ का स्थान है।
- वर्ष 2020 के अधिकांश दिनों में उत्तर भारतीय शहरों की तुलना में दक्कन के शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दैनिक सीमा 25 $\mu g/m3$ से अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है।
  - हालाँकि भारत के प्रत्येक शहर में वर्ष 2018 और इसके पहले की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जबकि 63% शहरों में वर्ष 2019 की तुलना में प्रत्यक्ष सुधार देखा गया।
- भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिये बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, कृषि अपशिष्ट जलाना आदि शामिल हैं।
  - वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर कृषि अपशिष्ट जलाए गए, इसके अंतर्गत किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों में आग लगा दी जाती है। पंजाब में इस प्रकार की घटना वर्ष 2019 में 46.5% तक बढ़ गई।

### कोविड और इसका प्रभाव:

- वर्ष 2020 में कण-प्रदूषण के संपर्क में आने से कोविड-19 के प्रसार ने नई चिंताओं को जन्म दिया, जो वायरस के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को बढ़ाता है।
- प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि कोविड-19 से और वायु प्रदूषण जोखिम के कारण मृत्यु का अनुपात 7% से 33% तक है।

### दिल्ली में वायु प्रदूषण

- दिल्ली-एनसीआर और गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण एक जटिल घटना है जो कई कारकों पर निर्भर है।
- पवन की दिशा में परिवर्तन:
  - उत्तर-पश्चिम भारत में अक्तूबर माह में मानसून (Monsoon) की वापसी शुरू हो जाती है और हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्व की तरफ होती है।
  - ये हवाएँ अपने साथ उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लेकर आती हैं।
- हवा की गति में कमी:
  - उच्च गति वाली हवाएँ प्रदूषकों को हटाने में बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन सर्दियों में ग्रीष्मकाल की तुलना में हवा की गति में गिरावट आ जाती है जिससे यह क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है।
  - दिल्ली चारों तरफ से भू-भाग से घिरा है और इसे देश के पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी हिस्से के खुले मौसम का लाभ नहीं मिल पाता है।
- पराली दहन:
  - पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जलने वाले कृषि अपशिष्ट को सर्दियों के दौरान दिल्ली में धुंध का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
    - इससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ज़हरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिनमें मीथेन ($CH_4$), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें शामिल हैं।

नोट :

- वर्षों से धान के ठूँठ/कृषि अपशिष्ट को खेत से हटाने या साफ करने के लिये उसमें आग लगाने की विधि को अन्य निपटान के तरीकों से आसान और सस्ता माना जाता रहा है।

- वाहन प्रदूषण:
  - वाहन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सर्दियों में खराब करने वाला सबसे बड़े कारण हैं, ये इस क्षेत्र में कुल PM2.5 कणों के लगभग 20% उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- धूल के तूफान:
  - खाड़ी देशों से आने वाले धूल के तूफान यहाँ की पहले से ही खराब स्थिति को और बढ़ा देते हैं। बारिश के दिनों में विशेषकर अक्तूबर और जून के बीच नहीं दिखने वाला धूल का प्रकोप शुष्क ठंडे मौसम में प्रभावी हो जाता है।
  - धूल प्रदूषण, PM10 और PM2.5 कणों के लिये लगभग 56% तक ज़िम्मेदार है।
- तापमान में कमी:
  - वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ-साथ तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक प्रमुख कारक है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, प्रतिलोम ऊँचाई (वह परत जिसके ऊपर प्रदूषक वायुमंडल में फैल नहीं सकते) कम हो जाती है और ऐसा होने पर हवा में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है।
- पटाखे:
  - पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद इनका इस्तेमाल दिवाली पर होना एक आम बात है। हालाँकि यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान करता है।
- निर्माण गतिविधियाँ और खुले में अपशिष्ट को जलाना:
  - दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हवा में धूल और प्रदूषण बढ़ने का एक अन्य प्रमुख कारण है। दिल्ली में कचरे के लैंडफिल साइटों में कचरे को जलाना भी वायु प्रदूषण को बढ़ता है।

## उठाए गए प्रमुख कदम

- टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder- यह ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है) खरीदने के लिये किसानों को सब्सिडी दी गई।
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिये BS-VI वाहनों की शुरुआत करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड-ईवन का प्रयोग, पूर्वी एवं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस-वे का निर्माण आदि।
- राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का कार्यान्वयन। इसमें थर्मल पावर प्लांट बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय शामिल हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के तत्त्वावधान में सार्वजनिक सूचना के लिये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) का विकास। इस सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों (PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड) को शामिल किया गया है।

## आगे की राह

- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये उचित राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोगों में जागरूकता और अधिक-से-अधिक पारदर्शिता का होना एक प्रमुख शर्त है, अन्यथा सभी उपाय केवल कागज़ पर ही रह जाएंगे।
- सक्रिय नागरिकों की तुलना में कोई बेहतर प्रहरी नहीं हो सकता है, इसलिये प्रदूषण के लक्ष्य को हर साल सार्वजनिक किया जाना चाहिये ताकि वर्ष के अंत में इसका मूल्यांकन किया जा सके।
- स्वच्छ हवा में साँस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिये मानव स्वास्थ्य के लिये वायु प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

# जलवायु वित्त

## चर्चा में क्यों?

भारत के वित्त मंत्री ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का आग्रह किया, जो जलवायु से संबंधित प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- वित्त मंत्री ने यह वक्तव्य 'आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (ICDRI) को संबोधित करने के दौरान दिया।

## प्रमुख बिंदु:

### जलवायु वित्त:

- जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है - जो कि सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।
- यह ऐसे शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करता है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता के तहत अधिक वित्तीय संसाधनों वाले देशों से ऐसे देशों के लिये वित्तीय सहायता की मांग की जाती है, जिनके पास कम वित्तीय संसाधन हैं और जो अधिक असुरक्षित हैं।

- यह 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC) के सिद्धांत के अनुसार है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न मुद्दों से निपटने और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण है।

### उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिबद्धता:

- वर्ष 2010 में कानकुन समझौते के माध्यम से विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विकसित देशों ने वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई और वर्ष 2011 में इसे वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई के रूप में नामित किया गया।
- वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने इस लक्ष्य की पुष्टि की और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि वर्ष 2025 से पहले प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आधार स्तर का एक नया सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

### चुनौतियाँ:

- जलवायु वित्तपोषण के लिये विकसित देशों द्वारा दिये गए लगभग 75% धन का उपयोग घरेलू स्तर पर किया जाता है, जबकि विकसित देशों में औद्योगीकरण अभियान के परिणामस्वरूप प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में उत्सर्जन और उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का महत्त्वपूर्ण बोझ वहन करने वाले विकासशील देश हैं।
- जुलाई 2019 तक GCF के तहत एकत्रित राशि केवल 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि विकासशील देशों के लिये उनके 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) को लागू करने हेतु अनुमानित 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अत्यधिक अपर्याप्त है।
- अधिकांश जलवायु निधियों को अनुकूलन के बजाय शमन के अंतर्गत शामिल किया गया है (शमन नए समाधानों को तैयार करने और नई रणनीतियों को पूर्ण करने के तरीके को स्पष्ट करता है, जबकि अनुकूलन वर्तमान मुद्दों को प्रबंधित करता है)।
- जलवायु वित्त ने ज़्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित भवनों और शहरी परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उनके संबंध में नकदी प्रवाह चक्र का अनुमान लगाना आसान है एवं अन्य क्षेत्र जो हमारे प्राकृतिक और सामाजिक पारिस्थितिक तंत्रों के बराबर परिमाण रखते हैं, जैसे- कृषि, भूमि, जल का क्षरण आदि में कम रुचि देखी गई है।

### भारत में जलवायु वित्तपोषण:

- भारत में जलवायु वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत सार्वजनिक धन है, जिसे बजटीय आवंटन और भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई निधियों और योजनाओं जैसे- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (NCEF) और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAF) के माध्यम से पारित किया जाता है।

नोट :

- भारत सरकार जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत स्थापित आठ मिशनों के माध्यम से भी धन मुहैया कराती है।
- सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत एक 'जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई' (CCFU) की स्थापना की है, जो सभी जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण मामलों के लिये एक नोडल एजेंसी है।
    - हालाँकि भारत में सार्वजनिक धन अपर्याप्त होने के साथ-साथ इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिये NCEF फंड का उपयोग नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MoNRE) में बजटीय कमी को पूरा करने के लिये किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त भारत में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं की जलवायु संबंधी प्रासंगिकता का कोई आकलन नहीं किया जाता है, जिससे जलवायु कार्रवाई के लिये वित्तीय आवंटन का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है।

### आगे की राह:

- भारत में जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये विभिन्न नीतिगत और उद्योग संबंधी कार्यवाहियों को परिवर्तित करना होगा। यह जलवायु संबंधी मुद्दों पर वैकल्पिक समाधान की मांग को आगे बढ़ाएगा, जिससे जलवायु वित्त प्रयासों को और गति मिलेगी।
- जलवायु वित्तपोषण को इस तरह से संबोधित करने की आवश्यकता है जो बेहतर रूप से विकासशील देशों के लिये इसके वास्तविक मूल्य और विकसित देशों द्वारा किये गए वास्तविक प्रयास को दर्शाता है।

## आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिये गठबंधन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Disaster Resilient Infrastructure- ICDRI) के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।

- ICDRI आपदा और जलवायु अनुकूलन के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे पर वैश्विक पहल को मज़बूती प्रदान करने हेतु सदस्य देशों, संगठनों तथा संस्थानों के साथ आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (International Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) हेतु वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।

### प्रमुख बिंदु

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन के विषय में:

- यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक बहु-हितधारक वैश्विक भागीदारी है।
    - भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था।
- इसका उद्देश्य सतत् विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये नई और मौजूदा बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है।
- सदस्य: 22 देश और 7 संगठन।
- विषयगत क्षेत्र: शासन और नीति, जोखिम पहचान तथा आकलन, मानक एवं प्रमाणन, क्षमता निर्माण, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी, रिकवरी तथा पुनर्निर्माण, वित्त एवं समुदाय आधारित दृष्टिकोण।
- CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

### आवश्यकता:

- आपदा न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Reduction) सतत् विकास के लिये आपदाओं के कारण महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालता है।

- SFDRR में नुकसान को कम करने से संबंधित चार विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं:
  - वैश्विक आपदा से होने वाली मौतों को कम करना;
  - प्रभावित लोगों की संख्या कम करना;
  - आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना; तथा
  - आपदा के कारण महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में होने वाली क्षति को कम करना।
- लक्ष्य-4 बुनियादी ढाँचे पर फ्रेमवर्क में निर्धारित अन्य नुकसान में कमी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण शर्त है।
- वैश्विक वार्षिक अवसंरचना निवेश आवश्यकता का अनुमान वर्ष 2016-2040 के बीच प्रतिवर्ष 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अत: हमारे निवेश की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि भविष्य की सभी बुनियादी ढाँचा प्रणालियाँ आपदाओं का सामना करने में सक्षम हों।

### भारत के लिये महत्त्व:

- यह भारत को जलवायु कार्रवाई और आपदा न्यूनीकरण पर एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने का एक मंच प्रदान करेगा।
  - CDRI भारत की सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाता है, लेकिन इसका अर्थ अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि यह आपदा जोखिम में कमी, सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) और जलवायु समझौते के बीच तालमेल और स्थायी तथा समावेशी विकास प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूरक।
- अफ्रीका, एशिया आदि में लचीले बुनियादी ढाँचे के प्रति भारत के समर्थन को सुगम बनाना।
- इन्फ्रा डेवलपर के लिये ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकास तक पहुँच प्रदान करना।
- भारतीय बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी फर्मों को विदेशों में सेवाओं का विस्तार करने हेतु अवसर प्रदान करना।

---

# एक-सींग वाला गैंडा

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक-सींग वाले गैंडे (Greater One-Horned Rhino) के अवैध शिकार पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दावा असम विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है।

- असम वन विभाग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में अवैध शिकार में 86% की कमी आई है।

## प्रमुख बिंदु

### एक-सींग वाले गैंडे के विषय में:

- यह गैंडा की पाँच विभिन्न प्रजातियों में से एक है। अन्य चार हैं:
  - ब्लैक राइनो: अफ्रीका की दो छोटी प्रजातियों
  - व्हाइट राइनो: हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In vitro Fertilization) प्रक्रिया का उपयोग करके इस राइनो का एक भ्रूण बनाया है।
  - जावा राइनो: यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically endangered) की श्रेणी में शामिल है।
  - सुमात्रन राइनो: यह हाल ही में मलेशिया से विलुप्त हो गई।
- एशिया में राइनो की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं - एक-सींग वाला गैंडा, जावा और सुमात्रन।
- भारत में केवल एक-सींग वाला गैंडा पाया जाता है।
- एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा) राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है।
- इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे-भूरे रंग से होती है।
- ये मुख्य रूप से घास, पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधे की चराई (Graze) करते हैं।

नोट :

### आवास:

- यह प्रजाति इंडो-नेपाल तराई क्षेत्र , उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है।
- भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
- असम में चार संरक्षित क्षेत्रों (पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान) में 2,640 गैंडे हैं।
  - इनमें से लगभग 2,400 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व (Kaziranga National Park and Tiger Reserve) में हैं।

### संरक्षण की स्थिति:

- IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)।
- CITES: परिशिष्ट I (इसमें 'लुप्तप्राय' प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार किये जाने के कारण और अधिक खतरा हो सकता है।)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

### खतरा:

- सींगों के लिये अवैध शिकार
- पर्यावास की हानि
- जनसंख्या घनत्व
- घटती जेनेटिक विविधता

### भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास:

- राइनो रेंज के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज़ (The New Delhi Declaration on Asian Rhinos), 2019 पर हस्ताक्षर किये हैं।
- हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment Forest and Climate Change) ने देश में सभी गैंडों के डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिये एक परियोजना शुरू की है।
- राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति: इस रणनीति को वर्ष 2019 में बड़े सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिये शुरू किया गया था।
- भारतीय राइनो विज़न 2020: इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों की आबादी को वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के सात संरक्षित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक करना था।

## काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

### अवस्थिति:

- यह असम राज्य में स्थित है जो लगभग 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के प्रमुख बाढ़ क्षेत्र में स्थित है।

### कानूनी दर्जा:

- इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- इसे वर्ष 2007 से बाघ आरक्षित घोषित किया गया है। इसमें 430 वर्ग किमी. के कोर के साथ 1,030 वर्ग किमी. का कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र है।

### अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:

- इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

### प्रमुख प्रजातियाँ:

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाँच बड़े जीवधारियों के लिये प्रसिद्ध है, जिनमें गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंस तथा पूर्वी बारहसिंघा शामिल हैं।
- वर्ष 2014 में हुई बाघ जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, काजीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे, जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (215) और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क (120) के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।
- काजीरंगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स (Primates) की 14 प्रजातियों में से 9 का घर है।

### असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान:

- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान,
- मानस नेशनल पार्क,
- नमेरी नेशनल पार्क,
- राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क,
- देहिंग पटकाई नेशनल पार्क

## नेट ज़ीरो उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) और शेल (Shell) ने भारत: ट्रांसफॉर्मिंग टू ए नेट ज़ीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

यह भारत की घरेलू ऊर्जा प्रणाली को सतत आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

### प्रमुख बिंदु :

- संभावित चुनौतियाँ: भारत को नवाचार-संचालन के संदर्भ में एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में सहायक हो।
- नवीनीकरण को बढ़ावा: भारत को अपने विद्युत मिश्रण या इस क्षेत्र में नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 90% (2019-2020 में यह लगभग 11% है) तक बढ़ानी होगी।
- कोयला आधारित बिजली संयंत्र: भारत को अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से हटाते हुए इन्हें 2050 तक पूरी तरह से हटाना होगा।
- प्रौद्योगिकी पहुँच: भारत की ऊर्जा प्रणालियों का आकार कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) की उपलब्धता या अनुपस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि CCS प्रौद्योगिकी व्यावसायिक रूप से अलाभकारी हो:
    - भारत के पेट्रोलियम उत्पादों में वर्तमान में जैव ईंधन की नगण्य हिस्सेदारी की तुलना में 98% योगदान होना चाहिये।
    - भारत के औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली दो-तिहाई से अधिक ऊर्जा के विद्युतीकरण के साथ-साथ अब तक परिवहन क्षेत्र के उपयोग में विद्युत की नगण्य हिस्सेदारी की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत उपयोग में 20% की कमी की जानी चाहिये।

### TERI द्वारा सुझाव:

- ऊर्जा दक्षता पर बल :
    - नेट ज़ीरो लक्ष्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये ऊर्जा कुशल संरचनाओं जैसे- इमारतों, प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों और औद्योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी।

नोट :

- जैव ईंधन का उपयोग:
  - कृषि कार्य में उपयोग किये जाने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टरों से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
  - विमानन क्षेत्र में जैव ईंधन का अधिक उपयोग हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के मानक पैमाने तक उत्सर्जन को कम करने का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है।
- कार्बन पृथक्करण/सीक्वेस्ट्रेशन:
  - 2050 तक भारत के उत्सर्जन की स्थिति 1.3 बिलियन टन होगी। इस उत्सर्जन के अवशोषण के लिये प्राकृतिक और मानव निर्मित कार्बन सिंक पर निर्भर रहना होगा।
  - जबकि पेड़ 0.9 बिलियन टन उत्सर्जन को ग्रहण करने या अवशोषण में अपनी भूमिका निभाते है, देश के बाकी हिस्सों को फिर से व्यवस्थित करने के लिये कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी।
- कार्बन मूल्य निर्धारण:
  - भारत में कोयला और पेट्रोलियम ईंधन पर कर लगाए जाने की प्रक्रिया विद्यमान है, जिसके संचालन परिवर्तन के लिये उत्सर्जन पर कर लगाने हेतु विचार करना चाहिये।
- निम्न-कार्बन ऊर्जा की तैनाती:
  - निम्न कार्बन ऊर्जा के चार मुख्य प्रकार हैं: पवन, सौर, हाइड्रो या परमाणु ऊर्जा। इनमें प्रथम तीन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जिसका अर्थ है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, इनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिये प्राकृतिक संसाधनों (जैसे हवा या सूर्य) के रूप में किया जाता है।
  - निम्न कार्बन ऊर्जा को परिनियोजित करने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जलवायु चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, साथ ही भारत के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

## नेट ज़ीरो उत्सर्जन:

### परिचय:

- 'नेट ज़ीरो उत्सर्जन' से तात्पर्य है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs) उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना।
- सर्वप्रथम मानवजनित उत्सर्जन (जैसे जीवाश्म-ईंधन वाले वाहनों और कारखानों से) को यथासंभव शून्य के करीब लाया जाना चाहिये। दूसरा, किसी भी शेष GHGs को कार्बन को अवशोषित कर (जैसे- जंगलों की पुनर्स्थापना द्वारा) संतुलित किया जाना चाहिये।

### समय-सीमा:

- यदि कोई एक $CO_2$ या सभी प्रमुख GHGs (मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और एचएफसी सहित) को शामिल किया जाता है, तो नेट ज़ीरो उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने की समय-सीमा काफी अलग होगी।
  - गैर-$CO_2$ उत्सर्जन के लिये नेट ज़ीरो के लिये निर्धारित तिथि के बाद भी कुछ उत्सर्जनों (जैसे-कृषि स्रोतों से मीथेन) को चरणबद्ध करना मुश्किल होगा।
  - वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के दृष्टिकोण से 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) नेट ज़ीरो के औसत तक पहुँचने की संभावना है। वर्ष 2063 और 2068 के मध्य कुल GHG उत्सर्जन नेट ज़ीरो तक पहुँच जाएगा।

### वैश्विक परिदृश्य:

- जून 2020 तक बीस देशों और क्षेत्रों ने नेट ज़ीरो लक्ष्यों को अपनाया है। इस सूची में केवल वे देश शामिल हैं, जिन्होंने कानून या किसी अन्य नीति दस्तावेज़ में नेट ज़ीरो लक्ष्य को अपनाया है।
- भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है अर्थात् यह $CO_2$ के उत्सर्जन की तुलना में अधिक अवशोषण करता है।

### भारतीय परिदृश्य

- उत्सर्जन: भारत का प्रति व्यक्ति $CO_2$ उत्सर्जन, जो कि वर्ष 2015 में 1.8 टन के स्तर पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका के नौवें हिस्से के बराबर और वैश्विक औसत (4.8 टन प्रति व्यक्ति) के लगभग एक-तिहाई है।
  - हालाँकि समग्र तौर पर भारत अब चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद $CO_2$ का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- प्रतिबद्धता को लेकर विवाद: भारत पर वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का वैश्विक दबाव है।
  - एक ओर कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत को वर्ष 2050 तक जलवायु समर्थित कानून के माध्यम से अपने 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन को कम करने का संकल्प करना चाहिये। यह भारत को प्रतिस्पर्द्धी बनाएगा, निवेश आकर्षित करने तथा रोज़गार सृजित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई एक महत्त्वाकांक्षी नीति, ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग तथा बिजली एवं निर्माण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में मददगार साबित हो सकती है।
  - वहीं, दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों' के पक्ष में तर्क देते हैं, जो सभी अमीर और विकसित देशों को किसी भी ऐसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध नेतृत्त्व करने और वकालत करने के लिये उत्तरदायी बनाता है, यह भारत जैसे विकासशील देशों के विकास हेतु आवश्यक ऊर्जा आवश्यकताओं के उपयोग को सीमित करता है।
- सबसे अधिक उत्सर्जक क्षेत्र:
  - ऊर्जा> उद्योग> वानिकी> परिवहन> कृषि> भवन

### ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI):

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) नई दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान है, जो ऊर्जा, पर्यावरण और सतत् विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है।
- वर्ष 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था तथा वर्ष 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया।
- ग्रीन बिल्डिंग्स के लिये डिज़ाइन तैयार करना तथा हरित इमारतों के मूल्यांकन करने में मदद करना।
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों के वैश्विक समाधान के लिये स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तैयार करना है।
- इसका मुख्य फोकस स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, प्रदूषण प्रबंधन, स्थायी कृषि और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

### आगे की राह:

- सरकार के बजट में ऊर्जा, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ जलवायु शमन नीतियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान होना चाहिये। विशेष रूप से विकास लक्ष्यों में स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की समय-सीमा शामिल होनी चाहिये।
- जलवायु हेतु वित्त जुटाने के लिये एक अभियान शुरू करने की भी आवश्यकता है और ऊर्जा दक्षता, जैव ईंधन के उपयोग, कार्बन अनुक्रम, कार्बन मूल्य निर्धारण पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- मज़बूत पर्यावरण नीतियाँ समृद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। कल्पनाशील नीतियों, मज़बूत संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के साथ भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन से स्वतंत्रता की घोषणा करने में सक्षम होगा।

## अफ्रीकी हाथी

### चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना (या बुश) हाथियों को क्रमशः गंभीर संकटग्रस्त'(Critically Endangered) और 'संकटग्रस्त' (Endangered) घोषित किया गया है।

- इससे पहले अफ्रीकी हाथियों को एक ही प्रजाति के रूप में माना जाता था, जिसे सुभेद्य (Vulnerable) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह पहली बार है जब IUCN की रेड लिस्ट में इनका दो अलग-अलग प्रजातियों के रूप में मूल्यांकन किया गया है।

### अफ्रीकी हाथी के बारे में:

- अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े भू-जानवर (Land Animals ) हैं। ये एशियाई हाथियों से थोड़े बड़े आकार के होते हैं।
- अफ्रीकी हाथियों की सूँड़ के अंत में दो अंगुलीनुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं, जबकि एशियाई हाथियों की सूँड़ में यह सिर्फ एक ही उभार के रूप में होता है।
- हाथी मातृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात् समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है।
- अफ्रीकी हाथी एक कीस्टोन प्रजाति (keystone Species) है, जिसका अर्थ है कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसे "पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर" (Ecosystem Engineers) के रूप में भी जाना जाता है। हाथियों द्वारा कई तरीकों से अपने निवास स्थान को आकार दिया जाता है।
- हाथियों की गर्भावस्था (लगभग 22 महीने) किसी भी अन्य स्तनपायी की तुलना में अधिक लंबी होती है। यह हाथियों के संरक्षण को और चुनौतीपूर्ण बना देता है, क्योंकि अवैध शिकार के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये जन्म लेने वाले हाथियों की संख्या काफी कम होती है।
- अफ्रीकी हाथियों की दो उप-प्रजातियाँ हैं, सवाना (या झाड़ी) हाथी और वन हाथी। इन दोनों में सवाना हाथी बड़े हैं।

### अफ्रीकी सवाना हाथी:

- वैज्ञानिक नाम: लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना (Loxodonta Africana)
- आबादी में कमी: पिछले 50 वर्षों में 60% की गिरावट ।
- IUCN स्थिति: संकटग्रस्त।
- निवास स्थान: उप-सहारा अफ्रीका के मैदान।

### अफ्रीकी वन हाथी:

- वैज्ञानिक नाम: लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस (Loxodonta Cyclotis)
- आबादी में कमी: पिछले 31 वर्षों में 86% की गिरावट।
- IUCN स्थिति: अति संकटग्रस्त।
- निवास स्थान: मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वन। इनके द्वारा शायद ही कभी सवाना हाथी की सीमा का उल्लंघन किया जाता है।
  - वन हाथी का प्राकृतिक वितरण अत्यधिक सीमित है। इसलिये इसकी आबादी में गिरावट विशेष रूप से चिंता का विषय है।
  - यदि सवाना हाथी की आबादी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए तो उनकी आबादी में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि वन हाथी के मामले में यह बढ़ोतरी काफी धीमी है।
  - मध्य अफ्रीका के कई देश जिन्हें वन हाथियों का घर माना जाता है, वहाँ कानून लागू करने में कई प्रकार की समस्याएँ विद्यमान हैं।

खतरा:

- हाथी दाँत के व्यापार हेतु अवैध शिकार।
  - ऐसा क्षेत्र जहाँ गरीबी और भ्रष्टाचार का उच्च स्तर पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में अवैध शिकार की दर अधिक होने की संभावना है। इससे पता चलता है कि समुदायों के लिये स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने से अवैध शिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- आवास की क्षति: मानव आबादी में वृद्धि और कृषि एवं विकास हेतु भूमि का रूपांतरण होने से आवास की समस्या उत्पन्न हुई है।

### एशियाई हाथी:

- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं: भारतीय, सुमात्रन तथा श्रीलंकन।
- वैश्विक आबादी:
  - कुल आबादी लगभग 20,000 से 40,000
- भारतीय उप-प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है, जो कि महाद्वीप पर शेष हाथियों की संख्या अधिक होने का भी एक मुख्य कारण है।

- भारत में हाथियों की कुल संख्या लगभग 28,000 है, इनमें से लगभग 25% हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं।
- IUCN की लाल सूची में स्थिति:
  - लुप्तप्राय।
- CITES:
- परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:
  - अनुसूची-1

# दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है।

- भारत का तटीय क्षेत्र 7,500 किमी. से अधिक है।

## प्रमुख बिंदु :

### परिचय :

- वे तट के अंतर्विभाजक क्षेत्रों में विकसित होते हैं, अर्थात् उच्च ज्वार के जलमग्न क्षेत्रों और निम्न ज्वार के उथले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- हाइपिना प्रजाति के कैल्केरियस, इरेक्ट, ब्रांकेड लाल समुद्री शैवाल होते हैं।
  - शैवाल की 61 प्रजातियाँ में से 10 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। इन दो नई प्रजातियों के साथ अब प्रजातियों की कुल संख्या 63 हो गई है।

### अवस्थिति:

- हाइपिना इंडिका की खोज कन्याकुमारी (तमिलनाडु), सोमनाथ पठान और शिवराजपुर (गुजरात ) में की गई।
- हाइपिना बुलाटा की खोज कन्याकुमारी और दमन और दीव द्वीप में की गई थी।

### महत्त्व:

- यदि हाइपिना प्रजाति के समुद्री शैवाल की खेती वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये की जाए तो उच्च मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। हाइपिना में कैरेगिनन (Carrageenan) होता है, जो आमतौर पर खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाने वाला एक बायो मॉलिक्यूल है।

## समुद्री शैवाल:

### समुद्री शैवाल के विषय में:

- ये समुद्री शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फारेस्ट (Kelp Forest) कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिये नर्सरी का कार्य करते हैं।
- समुद्री शैवाल की अनेक प्रजातियाँ हैं जैसे-गेलिडिएला एकेरोसा,ग्रेसिलिरिया एडुलिस, ग्रेसिलिरिया क्रैसा, ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा, सरगस्सुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि।

### अवस्थिति:

- समुद्री शैवाल ज़्यादातर अंतर-ज्वारीय क्षेत्र (Intertidal Zone) और उथले तथा गहरे समुद्री पानी में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये ज्वारनदमुख (Estuary) एवं पश्चजल (Backwater) में भी पाए जाते हैं।

नोट :

- दक्षिण मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) में चट्टानी अंतर-ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी है।

## पारिस्थितिक महत्त्व:

- जैव संकेतक:
    - जब कृषि, जलीय कृषि (Aquaculture), उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है, तो यह पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom) होता है। समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।
- आयरन सीक्वेस्टर:
    - समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिये लौह खनिज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। समुद्री शैवालों द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है।
- ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का पूर्तिकर्त्ता:
    - समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्त्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्त्वों की आपूर्ति करते हैं।

## जलवायु परिवर्तन के शमन में भूमिका:

- समुद्री शैवालों की भूमिका जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण होती है। कुल समुद्र के सिर्फ 9% हिस्से में मौजूद शैवाल से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। इसलिये समुद्री शैवाल की खेती कार्बन के अवशोषण के लिये 'समुद्री वनीकरण' के रूप में की जा सकती है।

## अन्य उपयोगिताएँ:

- इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में और जलीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।
- समुद्री शैवाल को मवेशियों को खिलाकर इनसे होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- इन्हें तटबंधों के रूप में समुद्र तट के कटाव को रोकने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इनका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट आदि तैयार करने में एक घटक के रूप में किया जाता है।

## संबंधित पहलें:

- हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने दो नई प्रौद्योगिकी पहलों- सक्षम (Saksham) नाम से एक जॉब पोर्टल तथा समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती एवं इसके प्रसंस्करण के लिये समुद्री शैवाल मिशन (Seaweed Mission) का शुभारंभ किया है।

# भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

## मुल्लापेरियार बाँध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मुल्लापेरियार बाँध पर्यवेक्षक समिति (Mullaperiyar Dam Supervisory Committee) को बाँध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में मुल्लापेरियार बाँध से संबंधित सभी मुद्दों की देख-रेख के लिये एक स्थायी पर्यवेक्षी समिति का गठन किया था। यह बाँध तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का एक स्रोत है।

### प्रमुख बिंदु

**पृष्ठभूमि:**

- केरल के इडुक्की ज़िले के निवासियों ने मुल्लापेरियार बाँध के जल स्तर को 130 फीट तक कम करने के लिये एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मानसूनी अवधि में वृद्धि के कारण राज्य के इस क्षेत्र में भूकंप (Earthquake) और बाढ़ (Flood) का खतरा है।
- याचिकाकर्त्ता ने कहा कि बाँध के सुरक्षा निरीक्षण और सर्वेक्षण के मामले में पर्यवेक्षी समिति की गतिविधि "सुस्त" पड़ गई थी।
  - इसने अपनी ज़िम्मेदारी को स्थानीय अधिकारियों की एक उप-समिति पर डाल दिया था।
  - पिछले छह वर्षों से इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम (Instrumentation Scheme), सुरक्षा तंत्र आदि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**तमिलनाडु का पक्ष:**

- तमिलनाडु ने बाँध के नियम वक्र (Rule Curve) को अंतिम रूप देने में देरी के लिये केरल को दोषी ठहराया।
  - नियम वक्र एक बाँध में उसके जल के भंडारण स्तर में उतार-चढ़ाव को तय करता है। बाँध का गेट खोलने का कार्यक्रम नियम वक्र पर आधारित होता है।
  - यह एक बाँध के "मुख्य सुरक्षा" तंत्र का हिस्सा है।
  - बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में डैम शटर को खोलने से बचने के लिये नियम वक्र स्तर निर्धारित किया जाता है। यह मानसून के दौरान बाँध में जल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- केरल ने इस बाँध के माध्यम से तमिलनाडु के विकास कार्यों को लगातार बाधित करने का कार्य किया है।
- तमिलनाडु, केरल से उन इलाकों का डेटा प्राप्त नहीं कर पा रहा जो इस बाँध के जल प्रवाह के अंतअंतर्गत आते हैं, इसकी वजह से इन क्षेत्रों में न तो कोई सड़क बनी है और न ही बिजली की आपूर्ति बहाल हुई है, जबकि तमिलनाडु ने इसके लिये भुगतान किया है।

केरल का पक्ष:

- केरल ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु ने वर्ष 1939 में "अप्रचलित" गेट ऑपरेशन शेड्यूल (Gate Operation Schedule ) को अपनाया।

**सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**

- मुल्लापेरियार बाँध पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षी समिति को वक्र नियम की जानकारी देने में विफल रहने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव "व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार" होंगे और इस संबंध में "उचित कार्रवाई" की जाएगी।
- पर्यवेक्षक समिति को तीन मुख्य सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिये कदम उठाने तथा चार सप्ताह में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

नोट :

- मुख्य मुद्दे:
  - निगरानी और बाँध उपकरणों का रख-रखाव।
  - नियम वक्र को अंतिम रूप देना।
  - गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल को ठीक करना।
- कारण:
  - तीन मुख्य मुद्दे सीधे तौर पर बाँध की सुरक्षा से संबंधित हैं और इनका प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा।

### मुल्लापेरियार बाँध

- लगभग 123 साल पुराना मुल्लापेरियार बाँध केरल के इडुक्की ज़िले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है।
  - इस बाँध की लंबाई 365.85 मीटर और ऊँचाई 53.66 मीटर है।
- इसके माध्यम से तमिलनाडु राज्य अपने पाँच दक्षिणी ज़िलों के लिये पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान 999 साल के लिये किये गए एक समझौते के अनुसार, इसके परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंपा गया था।
- इस बाँध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी (Periyar River) के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना है।

### पेरियार नदी

- पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है।
- इसे 'केरल की जीवनरेखा' (Lifeline of Kerala) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह केरल राज्य की बारहमासी नदियों में से एक है।
  - यह बारहमासी नदी प्रणाली है जो पूरे वर्ष अपने प्रवाह के कुछ हिस्सों में निरंतर बहती रहती है।
- पेरियार नदी पश्चिमी घाट (Western Ghat) की शिवगिरी पहाड़ियों (Sivagiri Hill) से निकलती है और 'पेरियार राष्ट्रीय उद्यान' (Periyar National Park) से होकर बहती है।
- पेरियार की मुख्य सहायक नदियाँ- मुथिरपूझा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिनजंकुट्टी हैं।

# पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project- ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की गई है।

- इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ यह होगा कि परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- ERCP की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है।

## प्रमुख बिंदु:

### पृष्ठभूमि:

- राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश में उपलब्ध कुल सतही जल की 1.16% और भूजल की 1.72% मात्रा यहाँ पाई जाती है।

- राज्य जल निकायों में केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष जल की उपलब्धता है परंतु इसके जल का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोटा बैराज के आस-पास का क्षेत्र मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में संरक्षित है।
- ERCP का उद्देश्य मोड़दार संरचनाओं की सहायता से अंतर-बेसिन जल अंतरण चैनलों को जोड़ने तथा मुख्य फीडर चैनलों को जल आपूर्ति हेतु वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करना है जो राज्य की 41.13% आबादी के साथ राजस्थान के 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा।

### पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में:

- ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों (कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध) में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है जहाँ पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है।
    - ERCP को वर्ष 2051 तक पूरा किये जाने की योजना है जिसमें दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।
- इसमें राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
    - 13 ज़िलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं।

### लाभ:

- महत्त्वपूर्ण भू-क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
- इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल तालिका (Ground Water Table) में सुधार होगा।
    - यह लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा।
- यह परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (Delhi Mumbai Industrial Corridor- DMIC) पर ज़ोर देते हुए इस बात की परिकल्पना करती है कि इससे स्थायी जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा जो क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने में मदद करेंगे।
    - इसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और राजस्व में वृद्धि होगी।

### चंबल नदी

- यह भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है।
- इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत (इंदौर, मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलान पर स्थित सिंगार चौरी (Singar Chouri) चोटी है। यहाँ से यह लगभग 346 किमी. तक मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई 225 किमी. है जो इस राज्य के उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है।
- उत्तर प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई लगभग 32 किमी. है जो इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है।
- यह एक वर्षा आधारित नदी है, जिसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती हैं।
- राजस्थान में हाडौती/हाड़ौती का पठार (Hadauti Plateau) चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र मेवाड़ मैदान के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती आदि।
- चंबल नदी की मुख्य बिजली परियोजनाएँ/बाँध: गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (National Chambal Sanctuary) उत्तर भारत में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' घड़ियाल, रेड क्राउन्ड रूफ कछुए (Red-Crowned Roof Turtle) और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (राष्ट्रीय जलीय पशु) के संरक्षण के लिये चंबल नदी बेसिन के क्षेत्र में 5,400 वर्ग किमी. में फैला त्रिकोणीय राज्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) संरक्षित क्षेत्र है।

# केन-बेतवा लिंक परियोजना

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project- KBLP) को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) की पहली परियोजना है।

- इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिये दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

## प्रमुख बिंदु:

### केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP):

- केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project- KBLP) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है।
  - यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झाँसी, बांदा, ललितपुर और महोबा ज़िलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर ज़िलों में फैला हुआ है।
- इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किमी. चौड़ा दौधन बाँध (Dhaudhan Dam) एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है।
- केन-बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं (River Interlinking Projects ) में से एक है।
- राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई है।

### नदियों को जोड़ने का लाभ:

- सूखे की घटनाओं में कमी लाना: नदियों को आपस में जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति का समाधान होगा।
- किसानों को लाभ: इससे किसानों की आत्महत्या की दर पर अंकुश लगेगा और सिंचाई के स्थायी साधन प्रदान करके तथा भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके उनके लिये स्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा।
- विद्युत उत्पादन: बहुउद्देशीय बाँध के निर्माण से न केवल जल संरक्षण में तेज़ी आएगी, बल्कि 103 मेगावाट जल-विद्युत का उत्पादन भी होगा और 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।
- जैव विविधता का जीर्णोद्धार: कुछ विचारकों का मानना है कि पन्ना टाइगर रिज़र्व (Panna Tiger Reserve) के जल संकट वाले क्षेत्रों में बाँधों का निर्माण होने से इस रिज़र्व के जंगलों का जीर्णोद्धार होगा जो इस क्षेत्र में जैव विविधता को समृद्ध करेगा।

### मुद्दे:

- पर्यावरण: कुछ पर्यावरणीय और वन्यजीव संरक्षण संबंधी चिंताओं जैसे- पन्ना बाघ अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र का हिस्सा इस परियोजना में आता है, के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) और अन्य उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में हो रही देरी के कारण यह परियोजना अटकी हुई है।
- आर्थिक: परियोजना के कार्यान्वयन और रखरखाव के साथ एक बड़ी आर्थिक लागत जुड़ी हुई है, जो परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण बढ़ रही है।
- सामाजिक: परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विस्थापन के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास के साथ-साथ इसमें सामाजिक लागत भी शामिल होगी।

### केन और बेतवा नदी:

- केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
- केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यमुना नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मिलती है।
- राजघाट, पारीछा और माताटीला बाँध बेतवा नदी पर निर्मित हैं।
- केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुज़रती है।

### नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना:

- नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) जिसे औपचारिक रूप से 'नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान' के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल 'अधिशेष' बेसिन, जहाँ जल की मात्रा अधिक है, से जल की कमी वाले 'बेसिन' में जल का हस्तांतरण करना है, ताकि सूखे आदि की समस्या से निपटा जा सके।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (National Water Development Agency- NWDA) द्वारा सुसंगत या औचित्यपूर्ण रिपोर्ट ( feasibility reports- FRs) तैयार करने हेतु 30 लिंक्स (प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 16 और हिमालयी क्षेत्र में 14) की पहचान की है।
- NPP को अगस्त 1980 में जल-अधिशेष बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल को स्थानांतरित करने हेतु तैयार किया गया था।

दृष्टि The Vision

नोट :

# सामाजिक न्याय

## NCC अधिनियम में संशोधन संबंधी केरल उच्च न्यायालय का आदेश

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, (NCC अधिनियम) 1948 में संशोधन करने का आदेश दिया, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है।

### प्रमुख बिंदुः

**पृष्ठभूमिः**

- वर्ष 2020 में एक छात्र द्वारा उसके कॉलेज में लिंग (ट्रांसजेंडर) के आधार पर NCC यूनिट से बहिष्कार के विरोध में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
- याचिका में NCC अधिनियम, 1948 की धारा 6 को चुनौती दी गई जो केवल पुरुष 'या' महिला 'कैडेट को NCC में शामिल होने की अनुमति देती है।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को NCC में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।

**उच्च न्यायालय का आदेशः**

- न्यायालय ने इस स्थिति को अपवाद माना और ज़ोर देते हुए कहा कि यह अधिनियम केरल की ट्रांसजेंडर नीति और अन्य कानूनों के विपरीत है।
  - NCC अधिनियम, 1948 के प्रावधान ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं।
  - ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को प्रभाव में लाना था।
- एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी अपनी नैसर्गिक समानता के अनुसार NCC में शामिल होने का हकदार है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर NCC अधिनियम, 1948 की धारा 6 में संशोधन करने का आदेश दिया ताकि कानून सभी को समान अवसर प्रदान करे।

**केरल की ट्रांसजेंडर नीतिः**

- केरल वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।
  - इस कदम को वर्ष 2014 के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए उठाया गया, जिसमें अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये समानता और समान सुरक्षा का अधिकार बरकरार रखा गया था तथा ट्रांसजेंडर को 'थर्ड जेंडर' शीर्षक आवंटित किया।
- न्यायिक बोर्डः
  - एक ट्रांसजेंडर जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य उन नीतियों की निगरानी करना और पता लगाना है, जिन्हें इनके उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक समझा गया है।
- भेदभाव रहितः
  - इस नीति में सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ट्रांसजेंडर के लिये गैर-भेदभावपूर्ण निवारक सुविधाओं का विस्तार करें और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा तक आसान पहुँच प्रदान करें।

नोट :

- सामाजिक लाभ:
  - इसके तहत भेदभाव से लड़ने वालों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिये स्थानीय पुलिस स्टेशन स्तर पर रिकॉर्डिंग, एक 24 × 7 हेल्पलाइन और संकट प्रबंधन केंद्र, बेसहारा लोगों और 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये मासिक पेंशन योजना तथा आश्रय घरों की स्थापना करने जैसे कुछ नीतिगत आश्वासन दिये गए।
- शैक्षिक कार्यक्रम:
  - वर्ष 2018 में सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा कला और विज्ञान महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के लिये सभी ट्रांसजेंडर आवेदकों हेतु दो अतिरिक्त सीटें निर्धारित करने का निर्णय लिया।
  - ट्रांसजेंडर के लिये एक साक्षरता सहायता कार्यक्रम भी चलाया गया है, जिसके तहत 1,250 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति और आश्रयगृह प्रदान किया जाता है।

## राष्ट्रीय कैडेट कोर:

### राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948

- यह राष्ट्रीय कैडेट कोर को संविधान प्रदान करने हेतु एक अधिनियम है।
  - इसका प्रभाव पूरे भारत में है और यह इस अधिनियम के तहत नामांकित या नियुक्त सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।
- धारा 6:
  - किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र (पुरुष) सीनियर डिवीज़न में कैडेट के रूप में नामांकन के लिये खुद को प्रस्तुत कर सकता है और किसी भी स्कूल का कोई पुरुष छात्र खुद को जूनियर डिवीजन में कैडेट के रूप में नामांकन के लिये प्रस्तुत कर सकता है ।
  - महिला डिवीज़न में कैडेट के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय या स्कूल की छात्रा खुद को नामांकन के लिये प्रस्तुत कर सकती है:
    - बशर्ते कि बाद के मामले में वह निर्धारित उम्र या उससे अधिक की हो।

### NCC

- NCC का गठन वर्ष 1948 (हृदयनाथ कूंज़रू समिति, 1946 की सिफारिश पर) में किया गया था और इसकी जड़ें ब्रिटिश युग की 'यूनिवर्सिटेड कॉरपोरेट्स' या 'यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स' जैसी वर्दीधारी युवा संस्थाओं में छिपी हुई हैं।
  - वर्तमान में इसकी क्षमता सेना, नौसेना और वायु सेना के विंग से लगभग 14 लाख कैडेट्स की है।
- NCC रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व 'थ्री स्टार' सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा की जाती है।
- यह हाईस्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है।
  - NCC कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों एवं उनके कामकाज से संबंधित मूल बातें भी होती हैं।
  - विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियाँ और सैन्य प्रशिक्षण शिविर NCC प्रशिक्षण के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

### महत्त्व:

- NCC कैडेटों द्वारा विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान राहत प्रयासों में कई वर्षों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रही है।
- वर्तमान महामारी के दौरान देश भर में ज़िला और राज्य अधिकारियों के समन्वय में स्वैच्छिक राहत कार्य के लिये 60,000 से अधिक NCC कैडेटों को तैनात किया गया।

# गर्भ का चिकित्सकीय समापन ( संशोधन ) विधेयक, 2021

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill], 2021 पारित किया। इस विधेयक को मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था।

- विधेयक का उद्देश्य गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना है।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

### गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता:

- अधिनियम के तहत गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।

### गर्भ की समाप्ति के लिये चिकित्सकों से राय लेना आवश्यक:

- गर्भधारण से 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता होगी।
  - गर्भावधि/गर्भकाल का आशय गर्भधारण के समय से जन्म तक भ्रूण के विकास काल से है।
- गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी।
- भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिये राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक होगा।

### मेडिकल बोर्ड:

- प्रत्येक राज्य सरकार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना आवश्यक होगा।
- इस मेडिकल बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
  - स्त्री रोग विशेषज्ञ
  - बाल रोग विशेषज्ञ
  - रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और
  - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई सदस्य।

### विशेष श्रेणियों के लिये अधिकतम गर्भावधि सीमा

- इस विधेयक में महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिये गर्भकाल/गर्भावधि की सीमा को 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है, विशेष श्रेणी को MTP नियमों में संशोधन के तहत परिभाषित किया जाएगा और इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर महिलाओं (जैसे दिव्यांग महिलाएँ और नाबालिग) आदि को शामिल किया जाएगा।

### गोपनीयता:

- गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण, कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर, किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।

### नोट

- वर्ष 1971 से पूर्व भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को अपराध के रूप में जाना जाता था, इसे जान-बूझकर किये जाने वाले 'गर्भपात' के रूप में परिभाषित किया गया था।

## लाभ

### विसंगति के मामले में गर्भावस्था की समाप्ति:

- प्राय: कई मामलों में भ्रूण की असामान्यताओं का पता 20वें सप्ताह के बाद लगता है, जिसके कारण वांछित गर्भावस्था, अवांछित गर्भावस्था में बदल जाती है।

### विशेष श्रेणी की महिलाओं की सहायता:

- यह विधेयक दुष्कर्म पीड़ितों, बीमार एवं कम आयु की महिलाओं के अवांछित गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद करेगा।

नोट :

### अविवाहित महिलाओं के लिये सहायक:

- यह विधेयक अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होता है और इस प्रकार 1971 के अधिनियम की प्रतिगामी धाराओं में से एक के संबंध में राहत प्रदान करता है। इसमें कहा गया था कि "एकल महिला गर्भपात के लिये गर्भनिरोधक की विफलता का हवाला नहीं दे सकती है"।
- अविवाहित महिलाओं को गर्भ के चिकित्सकीय समापन की अनुमति देने और गर्भपात की मांग करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान महिलाओं को प्रजनन अधिकार (Reproductive Rights) प्रदान करेगा।

## चुनौतियाँ

### भ्रूण की व्यवहार्यता:

- भ्रूण की 'व्यवहार्यता' (Viability of the Foetus) हमेशा से गर्भपात को नियंत्रित करने वाली वैधता का एक प्रमुख पहलू रही है।
  - व्यवहार्यता का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें भ्रूण, गर्भाशय से बाहर जीवित रहने में सक्षम होता है।
  - जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार होगा अवसंरचना के अपग्रेडेशन और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले कुशल पेशेवरों की मदद से इस व्यवहार्यता में प्राकृतिक रूप से सुधार होगा।
  - वर्तमान में व्यवहार्यता की स्थिति आमतौर पर लगभग सात महीने (28 सप्ताह) पर शुरू होती है, लेकिन यह इससे पूर्व यहाँ तक कि 24 सप्ताह में भी शुरू हो सकती है।
  - इस प्रकार गर्भ के देर से समापन के समय ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि भ्रूण ने व्यवहार्यता की स्थिति प्राप्त कर ली हो।

### बालकों को वरीयता:

- परिवार में पुत्र को वरीयता दिये जाने के कारण लिंग निर्धारण केंद्रों का व्यापार अवैध होने के बावजूद चलता रहता है। ऐसे में गर्भपात कानून को और अधिक उदार बनाए जाने से इस प्रकार के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

### विकल्पों में परिवर्तन

- वर्तमान विधेयक में व्यक्तिगत पसंद, परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन (साथी से अलग होने या मृत्यु के कारण) तथा घरेलू हिंसा जैसे घटकों पर विचार नहीं किया गया है।

### चिकित्सा बोर्ड

- वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल हेतु आवंटित बजट में देश भर में एक बोर्ड का गठन करना आर्थिक और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- राज्य के दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिये बोर्ड तक पहुँच पाना भी चिंता का विषय है।
- अनुरोधों/याचिकाओं का जवाब देने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- बोर्ड महिला को गर्भ के समापन की अनुमति देने से पहले विभिन्न प्रकार के परीक्षण कराएगा जो कि निजता के अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

### आगे की राह

- यद्यपि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 सही दिशा में उठाया गया एक कदम है फिर भी गर्भपात को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश भर के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में नैदानिक प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मानदंडों और मानकीकृत प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
- इसके साथ ही मानव अधिकारों, ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी में उन्नति के अनुरूप गर्भपात के मामले पर फैसला लिया जाना चाहिये।

# स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

## चर्चा में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड' (Stop TB Partnership Board) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- वह जुलाई 2021 से आगामी तीन वर्ष के कार्यकाल तक 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड' के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

## प्रमुख बिंदुः

### स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के विषय में:

- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को समाप्त करने हेतु आज्ञापित है।
- मार्च 1998 में लंदन में आयोजित 'तपेदिक महामारी पर तदर्थ समिति' (Ad Hoc Committee on the Tuberculosis Epidemic) के प्रथम सत्र की बैठक के बाद इस संगठन की परिकल्पना की गई थी।
- अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही एम्स्टर्डम घोषणा (Amsterdam Declaration) के माध्यम से स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने टीबी से सर्वाधिक प्रभावित 20 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों से सहयोगात्मक कार्रवाई का आह्वान किया।
- वर्ष 2019 में इसने टीबी समाप्ति के लिये अद्यतन वैश्विक योजना "Global Plan to End TB 2018-2022" लॉन्च की।
- 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों और/या संगठनों को कोचोन पुरस्कार (Kochon Prize) प्रदान किया जाता है, जिन्होंने टीबी का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - कोरिया गणराज्य में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन, कोचोन फाउंडेशन द्वारा दिये जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 65,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है।
- इसका सचिवालय स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में स्थित है।

### टीबी से अत्यधिक प्रभावित देश:

- वर्ष 2019 में टीबी के कुल नए मामलों में से 87% मामले उन 30 देशों से थे जो टीबी से उच्च रूप से प्रभावित हैं।
- टीबी के कुल नए मामलों में से दो-तिहाई मामलों के लिये केवल आठ देश उत्तरदायी हैं। WHO की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट (Global Tuberculosis Report) के अनुसार, टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में पाए गए हैं, इसके बाद क्रमशः इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है।

### भारतीय परिदृश्य:

- अनुमानित 2.64 मिलियन टीबी रोगियों के साथ भारत विश्व स्तर पर टीबी से सर्वाधिक प्रभावित देश है।
- हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स/डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (MSF) की 'स्टेप अप फॉर टीबी' रिपोर्ट ने दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार हेतु नई दवाओं के बारे में भारत के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को उजागर किया है, जो रोगियों (जिसमें बच्चे भी शामिल हैं) के जीवन को खतरे में डालते हैं।

### भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत ने वर्ष 2025 तक देश में टीबी के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - जो कि वैश्विक समय-सीमा वर्ष 2030 से पाँच वर्ष पूर्व है।
- टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-2025:
  - यह योजना वर्ष 2025 तक भारत में टीबी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिये शुरू की गई है, जो चार रणनीतिक स्तंभों (DTPB) पर आधारित है। ये चार स्तंभ हैं:
    - पता लगाना (Detect),

- उपचार करना (Treat),
- रोकथाम (Prevent) और
- निर्माण (Build)

- टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, निक्षय पोषण योजना इत्यादि।

### वैश्विक प्रयास:

- WHO की एंड टीबी स्ट्रेटेजी।
- प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस/विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था टीबी के प्रभाव को रेखांकित करना है।

### क्षय रोग/तपेदिक

- टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- संचार: टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाँसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है।
- लक्षण: इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खाँसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना तथा बुखार इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं।

# कोविड के कारण गरीबी में वृद्धि: प्यू रिपोर्ट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) द्वारा किये गए एक नए शोध में पाया गया है कि कोविड महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते लगभग 32 मिलियन भारतीय मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में पहुँच गए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में गरीबी में वृद्धि हुई है।

- यह रिपोर्ट विश्व बैंक (World Bank) के आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।
- प्यू रिसर्च सेंटर विश्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों, दृष्टिकोणों और रुझानों पर उपलब्ध आँकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है।

## प्रमुख बिंदु

### भारतीय परिदृश्य:

- गरीबी दर:
  - भारत में गरीबी दर वर्ष 2020 में बढ़कर 9.7% हो गई, जो कि जनवरी 2020 में 4.3% अनुमानित थी।
- बढ़ी हुई गरीबी:
  - भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक गरीबों की संख्या 340 मिलियन से घटकर 78 मिलियन हो गई थी।
  - इस संख्या में वर्ष 2020 में 75 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है।
    - गरीब वर्ग: भारत के संदर्भ में एक दिन में 2 अमेरिकी डॉलर या उससे कम कमाने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है।
    - गरीबी में वैश्विक वृद्धि का लगभग 60% वृद्धि अकेले भारत में हुई।
  - कोविड महामारी के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- MGNREGS) के तहत नामाँकन में अत्यधिक वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि गरीब लोग काम पाने के लिये प्रयास कर रहे थे।

- मध्यम वर्ग की संख्या में कमी:
  - भारत में वर्ष 2020 में मध्यम वर्ग की संख्या लगभग 3.2 करोड़ तक कम हुई है।
    - मध्यम वर्ग: लगभग 10-20 अमेरिकी डॉलर (700-1,500 रुपए) प्रतिदिन कमाने वाले लोग इस वर्ग में आते हैं।
  - मध्य आय समूह की संख्या 10 करोड़ से घटकर 6.6 करोड़ हो गई है।
- निम्न आय वर्ग में कमी:
  - भारत की अधिकांश आबादी निम्न आय वर्ग में आती है।
  - इस समूह के लगभग 3.5 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे आ जाने के बाद अब यह जनसंख्या 119.7 करोड़ से घटकर 116.2 करोड़ हो गई है।
    - निम्न आय समूह: इस समूह में प्रतिदिन 50 से 700 रुपए तक कमाने वाले लोग आते हैं।
- समृद्ध जनसंख्या:
  - अमीर लोगों की आबादी भी लगभग 30% गिरकर 1.8 करोड़ हो गई।
    - अमीर वर्ग: इसमें वे लोग शामिल हैं जो प्रतिदिन 1500 रुपए से अधिक कमाते हैं।

## चीन के साथ तुलना:

- चीन में भारत से भी बड़ी आबादी रहती है लेकिन यहाँ गरीबी पर महामारी का प्रभाव बहुत कम देखा गया।
- यह वर्ष 2020 में वृद्धि करने वाली एकमात्र ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था थी जहाँ गरीबी का स्तर लगभग अपरिवर्तित रहा।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने 2021 में अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020 में 8% का संकुचन हुआ है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था इसी दौरान 2.3% की रफ्तार से बढ़ने में सफल रही।
- चीन के लोगों के जीवन स्तर में मामूली गिरावट आई क्योंकि यहाँ के मध्यम वर्ग की संख्या में सिर्फ एक करोड़ की कमी आई, जबकि गरीबी का स्तर लगभग अपरिवर्तित रहा।

## वैश्विक परिदृश्य:

- गरीबी दर:
  - पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक गरीबी दर में एक स्थिर गिरावट देखने के बाद पिछले वर्ष यह दर 10.4% हो गई।
  - पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि वर्ष 2020 में गरीबी दर घटकर 8.7% हो जाएगी।
- गरीब वर्ग:
  - वैश्विक गरीबों की संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 803 मिलियन हो गई है जो कि महामारी-पूर्व 672 मिलियन थी।
- मध्यम वर्ग:
  - वैश्विक स्तर पर वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक मध्यम वर्ग की आबादी 899 मिलियन से बढ़कर 1.34 बिलियन हो गई थी, जिसके सालाना लगभग 54 मिलियन बढ़ने की उम्मीद थी।
- दक्षिण एशिया:
  - दक्षिण एशिया में वर्ष 2020 में मध्यम वर्ग की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी और गरीबी में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है।
    - महामारी के दौरान दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में तेज़ी से कमी प्रमुख विशेषता रही।

## कारण:

- महामारी के कारण लगने वाले लॉकडाउन से व्यापार बंदी, नौकरियों में कमी और आय में गिरावट देखी गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में पहुँच गई।
- वैश्विक गरीबी में तीव्र वृद्धि इस कारण हुई क्योंकि कोविड-19 महामारी से पूर्व कम आय स्तर की सीमा पर अधिकांश लोग थे।

### प्रभाव:

- वैश्विक आबादी के लगभग एक-तिहाई से अधिक लोग भारत और चीन में रहते हैं। अत: इन दोनों देशों में महामारी के स्वरूप और उससे निपटने के लिये किये गए प्रयास वैश्विक स्तर पर आय के वितरण से होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करेंगे।
- इसने आर्थिक मोर्चे पर हुई प्रगति को भी कई वर्ष पीछे धकेल दिया है।
    - सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal- SDG) की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review) के अनुसार, वर्ष 2005-06 और वर्ष 2016-17 के बीच भारत ने कम-से-कम 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था।

### कोविड के प्रभाव को कम करने हेतु भारत की पहलें:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत)।

## वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस से एक दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में 'सतत् विकास समाधान नेटवर्क' (Sustainable Development Solutions Network for the United Nations) द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है।

- इस वर्ष यह रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभावों पर केंद्रित है।

### अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस:

- प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनुष्य के जीवन में खुशहाली के महत्त्व को इंगित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का आयोजन किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी लेकिन जुलाई, 2012 में इसके लिये एक प्रस्ताव पारित किया गया।
    - पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्प भूटान द्वारा लाया गया था, जिसमें 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product- GNP) पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness- GNH) को अपनाया गया।
    - सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक: इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया गया था।
        - इस अवधारणा का अर्थ है कि प्रगति के लिये सतत् विकास का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और भलाई को बढ़ावा देने हेतु गैर-आर्थिक पहलुओं को समान महत्त्व देना।
        - जीएनपी किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वे किसी भी स्थान पर मौजूद हों।
- वर्ष 2021 के लिये अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की थीम 'हैप्पीनेस फॉर आल, फॉरएवर' (Happiness For All, Forever) है।

## प्रमुख बिंदु:

### वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के बारे में:

- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं।
- रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान ( गैलप वर्ल्ड पोल) पर आधारित है, जो छः कारकों को शामिल करती है:
  - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समानता)।
  - सामाजिक सहयोग।
  - जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
  - जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता।
  - उदारता।
  - भ्रष्टाचार की धारणा।
- सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को अपनी वर्तमान जीवन स्थिति का मूल्यांकन 0-10 के पैमाने पर करने के लिये कहा गया था।

### शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:

- रिपोर्ट के तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है।
- फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान है।

### निम्न प्रदर्शनकर्त्ता:

- रिपोर्ट में अफगानिस्तान (149) को सबसे नाखुश देश बताया गया है।
- अफगानिस्तान का स्थान जिम्बाब्वे (148), रवांडा (147), बोत्सवाना (146) और लेसोथो (145) के बाद है।

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति:

- पाकिस्तान- 105वाँ स्थान
- बांग्लादेश- 101वाँ
- चीन- 84वाँ

### भारत

- रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2020 में भारत को 156 देशों में 144वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

### सतत् विकास समाधान नेटवर्क

- वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) और पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित व्यावहारिक समस्या को हल करने हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्त्वावधान में स्थापित किया गया था।
- सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टेल्समन स्टिफ्टंग द्वारा वर्ष 2016 से वार्षिक SDG सूचकांक और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।

# स्वास्थ्य का अधिकार

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के 'पब्लिक हेल्थ मॉडल' के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसमें 'स्वास्थ्य के अधिकार' के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए निवारक, प्राथमिक एवं उपचारात्मक देखभाल के उपाय शामिल होंगे।

नोट :

## प्रमुख बिंदु

### राजस्थान का 'पब्लिक हेल्थ मॉडल'

- राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना' की शुरुआत की गई है।
    - यह योजना राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी।
- भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (IIHMR) ने मरीज़ों के अधिकारों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के लिये राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मानकों की स्थापना की सिफारिश की है।
    - केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) को मौजूदा कार्यक्रमों के बदलते प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

### भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS)

- IPHS देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये परिकल्पित समान मानकों का एक समूह है।
- IPHS संबंधी दस्तावेज़ों को मौजूदा कार्यक्रमों के बदलते प्रोटोकॉल और विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों हेतु नए कार्यक्रमों की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।
- इसमें राज्यों और क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन लाया गया है।
- IPHS दिशा-निर्देश, गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिये मुख्य चालक के रूप में और स्वास्थ्य सुविधाओं की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करने हेतु बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को मज़बूत बनाने के लिये इन IPHS दिशा-निर्देशों को अपनाया।
- स्वास्थ्य का अधिकार: अन्य अधिकारों के साथ स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रता और इसे प्राप्त करने का हक दोनों शामिल हैं।
    - स्वतंत्रता में किसी को भी अपने स्वास्थ्य और शरीर (उदाहरण के लिये-यौन और प्रजनन अधिकारों) को नियंत्रित करना और हस्तक्षेप से मुक्त होना (उदाहरण के लिये यातना और गैर-सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्त) शामिल है।
    - तथा इसे प्राप्त करने के हक के अंतर्गत सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का आनंद लेने का समान अवसर प्रदान करना शामिल है।

### भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित प्रावधान:

- अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय: भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा (1948) के अनुच्छेद-25 का हस्ताक्षरकर्त्ता है जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है।
- मूल अधिकार: भारत के संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमायुक्त जीवन के अधिकार में निहित है।
- राज्य नीति के निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्यों का मार्गदर्शन किया है।
- न्यायिक उद्घोषणा: पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति मामले (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।
    - परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले (1989) में अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर डॉक्टर चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, को जीवन रक्षा के लिये उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ देना उसका पेशेवर दायित्व है।

नोट :

### भारत के लिये स्वास्थ्य के अधिकार का महत्त्व:

- स्वास्थ्य सेवा आधारित अधिकार: लोग स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं और सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना उसका उत्तरदायित्व है।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच: यह सभी को सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त है, जो उन्हें प्राप्त करते हैं।
- व्यय कम करना: लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है और उन्हें गरीबी में धकेलने जैसे जोखिम को कम करता है।

### चुनौतियाँ:

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी: देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दायरा सीमित है।
  - यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से कार्यरत सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमित चाइल्ड केयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- अपर्याप्त धन: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि पर व्यय लगातार कम रहा है (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3%)।
  - OECD के अनुसार, भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च जीडीपी का लगभग 2.3% है

आगे की राह:

- अधिक धन आवंटित करना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गई परिकल्पना के अनुसार, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक वित्त को जीडीपी के कम-से-कम 2.5% तक बढ़ाया जाना चाहिये।
- इस संबंध में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने वाला एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
- एक नोडल स्वास्थ्य एजेंसी का निर्माण: रोग निगरानी संबंधी कार्यों को करने के लिये एक नामित और स्वायत्त एजेंसी बनाने की आवश्यकता है, जो प्रमुख गैर-स्वास्थ्य संबंधी विभागों की नीतियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी एकत्र करे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आँकड़ों का रखरखाव करे ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का प्रवर्तन और इससे संबंधित सूचनाओं का प्रसार जनता तक हो।

---

# वैश्विक जल संकट : यूनिसेफ

## चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में हर पाँच में से एक बच्चा उच्च या अत्यंत उच्च जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहता है।

- यह रिपोर्ट विश्व जल दिवस (22 मार्च) से पहले जारी की गई थी।

## प्रमुख बिंदु

### रिपोर्ट के विषय में

- यह नई रिपोर्ट यूनिसेफ की पहल "सर्वजन के लिये जल सुरक्षा" (Water security for All) का हिस्सा है जो उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहाँ भौतिक रूप से उपलब्ध जल की कमी का जोखिम जल की व्यवस्था के खराब स्तर के साथ अतिव्याप्त है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय सतही जल, अपरिष्कृत स्रोतों या जल पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें जल एकत्रित करने में 30 मिनट से अधिक समय लग सकता है।
- इस पहल का उद्देश्य चिह्नित हॉटस्पॉटों में संसाधनों, साझेदारी, नवाचार और वैश्विक प्रतिक्रिया का संयोजन करना है।
  - यूनिसेफ ने 37 ऐसे देशों की पहचान की है जिन्हें बच्चों के लिये जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है। इसमें भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया और यमन आदि देश शामिल हैं।

### निष्कर्ष :

- 80 से अधिक देशों में बच्चे उच्च या अत्यंत उच्च जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहते हैं।
- पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का अनुपात सबसे अधिक था जहाँ आधे से अधिक (58%) बच्चे प्रतिदिन पानी की समस्या का सामना करते हैं।
- अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पश्चिम और मध्य अफ्रीका (31%), दक्षिण एशिया (25%) और मध्य पूर्व (23%) शामिल हैं।
- बच्चों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक 155 मिलियन से अधिक बच्चे उच्च अथवा अति उच्च जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहते हैं।

### भारत में जल संकट:

- विश्व भर में उपलब्ध कुल ताज़े जल का 4% हिस्सा भारत में पाया जाता है जो विश्व की 17% आबादी की आवश्यकता को पूरा करता है।
- जून 2018 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। भारत में लगभग 600 मिलियन लोग या लगभग 45% आबादी उच्च व गंभीर जल तनाव का सामना कर रही है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी की पीने के पानी तक पहुँच नहीं होगी और वर्ष 2050 तक जल संकट के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 6% नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

### भारत में जल संकट के कारण:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमान है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल के अतिदोहन के कारण भूजल के स्तर में प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज की जा रही है।
  - यदि भूजल में निरंतर गिरावट जारी रहती है तो देश की कृषि और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी।
  - 85% ग्रामीण जलापूर्ति, 45% शहरी जलापूर्ति और 64% से अधिक सिंचाई अब भूजल पर निर्भर है।
- वर्तमान में प्रमुख और मध्यम सिंचाई बाँधों के जल भंडारण क्षेत्रों में तलछट के संचय के कारण उनकी कुल भंडारण क्षमता में काफी गिरावट आई है।
  - केंद्रीय जल आयोग द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट 'भारत में जलाशयों में गाद अवसादन का संग्रह '(Compendium on Silting of Reservoirs in India) में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के स्तर में भी काफी परिवर्तन देखा गया है।

### केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपाय:

- "जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' (Catch the Rain) अभियान
  - इस अभियान को देश में 22 मार्च, 2021 से 30 नवंबर, 2021 (मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान) तक लागू किया जाएगा।
  - इस अभियान का उद्देश्य राज्य और अन्य सभी हितधारकों को जलवायु परिस्थितियों तथा अवमृदा स्तर के अनुकूल वर्षा जल को संग्रहीत करने के लिये वर्षा जल संचयन संरचनाओं (Rain Water Harvesting Structures- RWHS) का निर्माण करना है।
    - देश के अधिकांश हिस्सों में जल का एकमात्र स्रोत चार/पाँच महीनों के दौरान होने वाली वर्षा है।
- जल जीवन मिशन (JJM):
  - वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी वैधानिक शहरों में कार्यशील नल के माध्यम से घरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई है।
  - यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में दैनिक रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

- जल शक्ति मंत्रालय:
  - भारत सरकार ने जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों को समेकित करने के लिये वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की ।
  - मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये जल शक्ति अभियान शुरू किया।

## राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपाय:

- उत्तर प्रदेश - जाखनी गाँव (जल गाँव), बुंदेलखंड
- पंजाब - पानी बचाओ पैसे कमाओ
- मध्य प्रदेश - कपिल धारा योजना
- गुजरात - सुजलाम सुफलाम योजना
- तेलंगाना - मिशन काकतीय कार्यक्रम
- महाराष्ट्र - जलयुक्त शिवहर अभियान
- आंध्र प्रदेश - नीरू चेट्टू कार्यक्रम
- राजस्थान- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA)

## विश्व जल दिवस

- विश्व जल दिवस 22 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल के महत्त्व को उजागर करना और भविष्य के जल संकट के बारे में दुनिया को जागरूक करना है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य-6 (वर्ष 2030 तक सभी के लिये पानी और स्वच्छता) को प्राप्त करने के लिये समर्थन प्रदान करना है।

## इतिहास

- विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर, 1992 को अपनाया गया था।
- इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया और वर्ष 1993 से इसे दुनिया भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- विश्व जल दिवस, 2021 की थीम
  - वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस की थीम "वैल्यूइंग वाटर" (Valuing Water) है जिसे हमारे दैनिक जीवन में पानी के महत्त्व को दर्शाने के लिये चुना गया है।
- विश्व जल दिवस पर या उसके आस-पास हर वर्ष एक नई 'विश्व जल विकास रिपोर्ट' जारी की जाती है, ताकि निर्णय लेने वालों को स्थायी जल नीतियाँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपकरण प्रदान किये जा सकें। यह रिपोर्ट 'यूएन वाटर' की ओर से UNESCO के विश्व जल विकास कार्यक्रम (WWAP) द्वारा समन्वित की जाती है।

## यूनिसेफ:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार हेतु राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिये समर्पित है।
- यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (ICEF) के रूप में की गई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद की जा सके।
- वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंग बन गया।
  - वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है किंतु इसके मूल संक्षिप्त नाम 'यूनिसेफ' को बरकरार रखा गया है।
- यूनिसेफ को 'बाल अधिकारों पर अभिसमय,1989' द्वारा निर्देशित किया जाता है।
  - यह बच्चों के प्रति नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्थायीकरण के रूप में बच्चों के अधिकारों को स्थापित करने का प्रयास करता है।

नोट :

- "राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने" के लिये वर्ष 1965 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
  मुख्यालय: न्यूयॉर्क सिटी।
- यह 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है।

# राज्यों की आरक्षण कोटा सीमा

## चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ को बताया कि आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों की "व्यक्तिपरक या विषयगत संतुष्टि" पर छोड़ देना चाहिये।

- विषयगत संतुष्टि राज्य के विवेक को संदर्भित करती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिह्नित करे और राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेशों में उनके लिये आरक्षण का प्रतिशत तय करे।
- इंद्रा साहनी केस (जिसे मंडल कमीशन केस के नाम भी जाना जाता है) में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कुल आरक्षण में 50% सीमा का प्रस्ताव रखा गया।

## प्रमुख बिंदु :

### इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:

- सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिये 27% आरक्षण बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु 10% सरकारी नौकरियों के लिये सरकारी अधिसूचना को लागू किया।
- इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी बरक़रार रखा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों को भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।
- इस निर्णय में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को भी महत्त्व दिया गया और प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होना चाहिये और पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिये।

### राज्यों द्वारा सीमा का उल्लंघन:

- हालाँकि शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था।
- इंदिरा साहनी केस 1992 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद कई राज्यों जैसे- महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ने 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करते हुए कानून पारित किये हैं।
- तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 69% आरक्षण का प्रावधान है।
- जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षकों के पदों पर अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिये 100% आरक्षण की घोषणा की।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (SEBC) अधिनियम, 2018 मराठा समुदाय के लिये 12-13% आरक्षण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कारण 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ।

### राज्यों की चिंता :

- तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र की इस बात से सहमत थे कि इंदिरा साहनी मामले में दिये गए निर्णय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पत्थर की लकीर (स्थायी रूप से या दृढ़ता से स्थापित) नहीं थी अर्थात् ऐसा नहीं था कि इसमें परिवर्तन न किया जा सके।
- वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी फैसले की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता थी क्योंकि 1992 में इस फैसले के बाद से ज़मीनी हालात बहुत बदल गए थे।
- इसके अलावा 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, के बारे में विवाद है कि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों (SEBCs) को लाभ प्रदान करने के लिये राज्य विधायिकाओं के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है।

- हालाँकि एक शपथ पत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि SEBCs की पहचान करने की शक्ति केवल केंद्रीय सूची के संदर्भ में संसद के पास है और राज्यों के पास आरक्षण के लिये SEBCs की एक अलग सूची हो सकती है।

## संविधान एवं आरक्षण

- 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995: इंद्रा साहनी मामले में निर्णय दिया गया कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण लागू होगा, पदोन्नति में नहीं।
- हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, राज्य को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में उस स्थिति में आरक्षण के लिये प्रावधान करने का अधिकार है, यदि राज्य को लगता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- 81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000: इसने अनुच्छेद 16 (4B) पेश किया जिसके अनुसार, किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिये पृथक रखा जाएगा और उसे उस वर्ष की नियमित रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा।
- 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001: यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण के लिये 'परिणामिक वरिष्ठता' का प्रावधान करता है, इसे वर्ष 1995 से पूर्व प्रभाव के साथ लागू किया गया था।
- 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (Economically Weaker Section-EWS) के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 335: संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से ध्यान रखा जाएगा।

## आगे की राह

- वर्ष 1992 के निर्णय की समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से विभिन्न निर्णयों के कारण उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिये 50% आरक्षण कोटे की सीमा पर विचार करना चाहिये।
- संघीय संरचना को बनाए रखना: आरक्षण तय करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या विभिन्न समुदायों के लिये आरक्षण का प्रावधान करने वाली राज्य सरकारें संघीय ढाँचे का पालन कर रही हैं या इसे नष्ट कर रही हैं।
- आरक्षण एवं योग्यता के बीच संतुलन: विभिन्न समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को भी ध्यान में रखना होगा।
- सीमा से अधिक आरक्षण के कारण योग्यता की अनदेखी होगी जिससे संपूर्ण प्रशासन की दक्षता प्रभावित होगी।

# असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020: ऑक्सफैम

## चर्चा में क्यों:

हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि ऑक्सफैम द्वारा जारी किये जाने वाले 'असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020' (Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index 2020) में स्पष्टता का अभाव था और उन्होंने चार नए श्रम कोड के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा था।

## प्रमुख बिंदु:

- इस सूचकांक के अंतर्गत देशों की रैंक को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में उनकी नीतियों और कार्यों के मापन के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा यह माना जाता है कि ये असमानता को कम करने से सीधे संबंधित हैं:
  - सार्वजनिक सेवाएँ
  - कराधान
  - श्रमिक अधिकार

- नाइजीरिया, बहरीन और भारत, कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल थे, साथ ही महामारी के कारण उत्पन्न असमानता से निपटने में ये दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश थे।

## सूचकांक में भारत की स्थिति:

- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कराधान और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन के आधार पर CRI सूचकांक में शामिल कुल 158 देशों में भारत की समग्र रैंकिंग 129 है।
- कमज़ोर श्रम अधिकारों और संवेदनशील रोज़गार की उच्च घटनाओं के चलते वर्ष 2020 में भारत लेबर रैंकिंग में 151वें स्थान पर पहुँच गया है जबकि वर्ष 2018 में यह 141वें स्थान पर था।
  - अनौपचारिक क्षेत्र में सर्वाधिक पुरुषों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में 86.9% और महिलाओं की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में 73.6% थी।
- सार्वजनिक सेवाओं के मामले में यह 141वें स्थान पर है।
- कराधान मानदंड पर भारत को 19वाँ स्थान दिया गया है।

## भारत के खराब प्रदर्शन के कारण:

- कोविड में मज़दूरों का शोषण:
  - भारत में कई राज्य सरकारों ने दैनिक कार्य के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने और न्यूनतम वेतन कानून को स्थगित करने के लिये कोविड-19 महामारी का सहारा लिया है, जिससे लाखों गरीब श्रमिकों की आजीविका बर्बाद हो रही है, और अब वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य बजट में कमी:
  - भारत का स्वास्थ्य बजट को चौथा सबसे कम बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है एवं इसकी आधी आबादी की पहुँच प्रमुख आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं थी। 70% से अधिक स्वास्थ्य व्यय लोगों द्वारा स्वयं ही वहन किया जा रहा था।
- अनौपचारिक रोज़गार:
  - अधिकांश श्रमिकों की आय न्यूनतम मज़दूरी के आधे से भी कम हैं। 71% मज़दूरों का कोई भी लिखित अनुबंध नहीं है, जबकि 54% को वैतनिक अवकाश की सुविधा नहीं प्राप्त है।
  - भारत में कुल कार्यबल का लगभग 10% ही औपचारिक क्षेत्र से संबंधित है।

अनुशंसाएँ:

- कोरोनावायरस महामारी के संकट को देखते हुए सरकारों को सतत् विकास लक्ष्य-10 (SDG-10) के तहत राष्ट्रीय असमानता निवारण योजनाओं के हिस्से के रूप में प्रगतिशील व्यय, कराधान और श्रमिकों के वेतन एवं संरक्षण के प्रयासों में सुधार करना चाहिये।
- SDG-10:
  - यह आय के साथ-साथ एक देश के भीतर उम्र, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म, आर्थिक या अन्य स्थिति के आधार पर आय में असमानताओं को कम करने का आह्वान करता है।
  - यह देशों के बीच ऐसी असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करता है, जो प्रतिनिधित्व, प्रवास और विकास सहायता से संबंधित हैं।

## असमानता को कम करने हेतु कुछ वर्तमान भारतीय पहलें:

- बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिये आवंटन में 137% की वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लंबित कर विवादों का समाधान करना।
- 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' प्लेटफॉर्म के तहत देश के ईमानदार करदाताओं का सम्मान करना।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थिति संहिता, 2020।
- E-PG पाठशाला: पढ़ाई हेतु ई-सामग्री प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल।
- स्वयम: यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।

### ऑक्सफैम इंटरनेशनल:

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों का एक समूह है।
  - 'ऑक्सफैम' नाम 'ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ' से लिया गया है, इसकी स्थापना 1942 में ब्रिटेन में की गई थी
    - इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में भूख से मर रही महिलाओं और बच्चों को भोजन की आपूर्ति हेतु एक अभियान चलाया।
  - इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिये दक्षता में वृद्धि करना और उसे अधिक-से-अधिक प्रभावी बनाना है।
  - 'ऑक्सफैम इंटरनेशनल' का सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।

### अन्य रिपोर्ट:

- जनवरी 2021 में ऑक्सफैम द्वारा जारी वैश्विक असमानता रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत की सबसे अमीर 1% आबादी के पास निचले स्तर के 70% लोगों की संपत्ति से चार गुना से अधिक संपत्ति है।
- जनवरी 2021 में वायरस असमानता रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कोविड महामारी ने भारत एवं दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं को और अधिक बढ़ाया है।

---

# किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021] पारित किया गया है जो बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत करने और कारगर बनाने का प्रयास करता है।

- यह विधेयक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) में संशोधन करता है। इस विधेयक में उन बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो। विधेयक में बाल संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने के उपाय किये गए हैं।

## प्रमुख बिंदु:

### संशोधन की आवश्यकता:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) द्वारा वर्ष 2020 में बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions- CCIs) का ऑडिट किया गया जिसमें पाया गया कि वर्ष 2015 के संशोधन के बाद भी 90% बाल देखभाल संस्थानों का संचालन NGOs द्वारा किया जा रहा है तथा 39% CCI पंजीकृत नहीं थे।
- ऑडिट में पाया गया कि लड़कियों हेतु CCI की संख्या 20% से भी कम है जिनमें , 26% बाल कल्याण अधिकारियों की अनुपस्थित है तथा कुछ राज्यों में लड़कियों हेतु CCI स्थापित ही नहीं किये गए हैं।
  - इसके अलावा ⅗ में शौचालय, 1/10 में पीने का पानी तथा 15% में अलग बिस्तर और डाइट प्लान (Diet Plans) का अभाव पाया गया।
- कुछ बाल देखभाल संस्थानों का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों का पुनर्वास न होकर धन प्राप्त करना है क्योंकि इस प्रकार के संस्थानों में बच्चों को अनुदान प्राप्त करने हेतु रखा जाता है।

### प्रस्तावित विधेयक में प्रमुख संशोधन:

- गंभीर अपराध: गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिये सात वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं की गई है ।

- गंभीर अपराध वे हैं जिनके लिये भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत सज़ा तथा तीन से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है।

- गैर-संज्ञेय अपराध:
  - एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा हो, वह संज्ञेय (जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर जमानती होगा।
    - विधेयक इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे।
- गोद लेना/एडॉप्शन: एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन करती है। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता-पिता का है। बिल में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन का आदेश जारी करेगा।
- अपील: विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने/एडॉप्शन के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
  - इस प्रकार की अपीलों को दायर करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिये।
- ज़िला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्यों में शामिल हैं: (i) ज़िला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी करना (ii) बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।
- अधिकृत न्यायालय: इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि पहले के अधिनियम के तहत सभी अपराधों को बाल न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया जाए।
- बाल कल्याण समितियाँ (CWCs): इस अधिनियम में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति CWCs का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा यदि:
  - उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड हो।
  - अगर उसे नैतिक अधमता (भ्रष्टता) से जुड़े अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो और उस आरोप को पलटा न गया हो।
  - उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले किसी उपक्रम से हटाया अथवा बर्खास्त किया गया हो।
  - वह ज़िले के बाल देखभाल संस्थान में प्रबंधन का एक हिस्सा हो।
- सदस्यों को हटाना: समिति के किसी भी सदस्य को राज्य सरकार की जाँच के बाद हटा दिया जाएगा यदि वह बिना किसी वैध कारण के तीन महीने तक लगातार CWCs की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है या यदि एक वर्ष के भीतर संपन्न बैठकों में उसकी उपस्थिति तीन-चौथाई से कम रहती है ।

## किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेता है।
- शब्दावली में परिवर्तन:
  - इस अधिनियम में पूर्ववर्ती अधिनियम की शब्दावली में परिवर्तन करते हुए 'किशोर' शब्द को 'बालक' अथवा ' कानून से संघर्षरत बालक' के साथ परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा 'किशोर' शब्द से जुड़े नकारात्मक अर्थ को भी समाप्त कर दिया गया है।
  - इसमें कई नई और स्पष्ट परिभाषाएँ भी शामिल हैं जैसे- अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे तथा बच्चों द्वारा किये गए छोटे, गंभीर एवं जघन्य अपराध।
- 16-18 की आयु वर्ग हेतु विशेष प्रावधान:
  - 16-18 वर्ष की आयु समूह में जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने हेतु विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- जस्टिस बोर्ड हेतु अनिवार्य प्रावधान:
  - यह विधेयक प्रत्येक ज़िले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान करता है। दोनों (किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति) में कम-से-कम एक महिला सदस्य शामिल होनी चाहिये।

नोट :

- दत्तक से संबंधित खंड:
    - अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों हेतु दत्तक/एडॉप्शन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिये दत्तक या प्रक्रियाओं पर एक अलग नया अध्याय को शामिल किया गया है।
    - इसके अलावा केंद्रीय 'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (Central Adoption Resource Authority-CARA) को एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है ताकि वह अपने कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर सके।
    - अधिनियम में कहा गया है कि बच्चे को गोद लेने का अदालत का आदेश अंतिम होगा। वर्तमान में विभिन्न अदालतों में 629 दत्तक ग्रहण के मामले लंबित हैं।
- बाल देखभाल संस्थान (CCI):
    - सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिये।

# वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 : विश्व बैंक

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 : डेटा फॉर बेटर लाइव्स का प्रकाशन किया गया।

- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण 2021 विकास के लिये डेटा की शक्ति का दोहन या उपयोग करने हेतु एक खाका प्रदान करता है, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए।

### प्रमुख बिंदु:

- डेटा के लिये सामाजिक अनुबंध में तीन तत्त्व शामिल होते हैं: वैल्यू, इक्विटी और ट्रस्ट।
    - डेटा के लिये सामाजिक अनुबंध: सामाजिक अनुबंध किसी डेटा से अधिक-से-अधिक वैल्यू (जानकारी) प्राप्त करने हेतु सुरक्षित सहयोग का एक प्रवर्तक है। डेटा उपयोगकर्त्ताओं के बीच बेहतर सहयोग से, हम सबसे गरीब समुदायों की मदद कर सकते हैं और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह में आगे बढ़ सकते हैं।

### सार्वजनिक हित के लिये एक बल के रूप में डेटा:

- सार्वजनिक हित डेटा (सार्वजनिक कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्रदान कर जनता की सेवा करने के उद्देश्य से एकत्र किया गया डेटा) विभिन्न सरकारी कार्यों के लिये एक आधार प्रदान करता है।
- सार्वजनिक हितों के लिये एकत्रित डेटा अनेक मार्गों के माध्यम से विकास के लिये मूल्य की महत्ता को बढ़ा सकते है जैसे:
    - सरकारों को जवाबदेह बनाना और व्यक्तियों को सशक्त बनाना।
    - सेवा वितरण में सुधार।
    - दुर्लभ संसाधनों को प्राथमिकता देना।
- असीमित संभावनाएँ:
    - सार्वजनिक और निजी हित के उद्देश्य से एकत्रित डेटा का अनन्य उपयोग हेतु अनुकूलन और एकीकरण रियल टाइम एवं परिष्कृत अंतर्दृष्टि प्रदान करने, डेटा अंतराल को भरने तथा प्रत्येक डेटा प्रकार से संबंधित सीमाओं को समाप्त करने में मदद कर सकता है।
- दुनिया को जोड़ना : डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर गरीब लोगों और गरीब देशों के लिये डेटा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- सीमाएँ पार करना: डेटा एक व्यापारिक संपत्ति है, लेकिन उसे सीमा-पार भेजने के मामले में पर्याप्त डेटा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- शासी डेटा: डेटा में शासन की भूमिका दोगुनी है:
    - पहला, डेटा और सिस्टम से जुड़ी सुरक्षा, अखंडता और संरक्षण को सुनिश्चित करके उनके जोखिमों को नियंत्रित करना।

  - दूसरा, नियमों और तकनीकी मानकों को पर अधिकार स्थापित करके डेटा को अधिक प्रभावी ढंग से स्थानांतरण कर संयुक्त रूप से आदान-प्रदान करने के लिये सक्षम बनाना।
- डेटा सिस्टम में सुधार: डेटा के महत्त्व का पूरी तरह से उपयोग या दोहन करने के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा सिस्टम (INDS) को स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - INDS, ब्लूप्रिंट के रूप में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विकास के लिये डेटा क्षमता तक पहुँच स्थापित करने हेतु देशों के लिये मार्ग प्रशस्त करता है ।
  - INDS फ्रेमवर्क एक देश के लिये समान रूप से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय प्रतिभागियों के बीच डेटा साझा करने की अनुमति देता है।
- रिपोर्ट द्वारा चिह्नित मुद्दे:
  - लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं: डेटा प्लेटफॉर्म व्यवसायों का तीव्र विस्तार प्रतिस्पर्द्धा संबंधी चिंताओं को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही विनियमन के लिये नई चुनौतियाँ पेश कर रही है।
- डेटा प्लेटफॉर्म: यह एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जो डेटाबेस में शामिल डेटा के चालन, परिचालन, और रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये उपयोगकर्त्ताओं, डेटा अनुप्रयोगों या अन्य तकनीकों को वितरित करने की अनुमति देता है।
  - ओपन डेटा की कमी: रिपोर्ट में कहा गया है कि निम्न-आय वाले देशों में शामिल केवल 11% देश लगातार लाइसेंस श्रेणी के माध्यम से अपने ओपन डेटा स्रोत्रों (नॉट एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक या रिसर्च इंस्टीट्यूट) का उपयोग करते हैं ।
    - निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिये तुलनीय दर 19% थी, जबकि उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिये 22% और उच्च आय वाले देशों हेतु 44% थी।
  - सार्वजनिक हित के डेटा सिस्टम में आंतरिक निवेश: वर्ष 2019 तक केवल कुछ देशों के पास एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय योजना थी जो पूरी तरह से वित्तपोषित थी, जबकि 93% उच्च आय वाले देशों में पूरी तरह से वित्तपोषित राष्ट्रीय सांख्यिकीय योजना थी इनमें एक भी निम्न-आय वाला देश शामिल नहीं था।
  - निम्न-आय वाले देशों से संबंधित मुद्दे: रिपोर्ट के अनुसार, निम्न-आय वाले देश संस्थानों की कमी, निर्णय लेने की स्वायत्तता और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण डेटा क्षमता का दोहन करने में असमर्थ थे, ये सभी डेटा सिस्टम और प्रशासन के ढाँचे के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बाधित करते हैं।
  - महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित डेटा अंतराल: इस संदर्भ डेटा अंतराल की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जनादेश-आधारित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में 54 लिंग-विशिष्ट संकेतकों (19 प्रतिशत) में से केवल 10 ही व्यापक रूप से उपलब्ध थे।
  - डेटा का दुरुपयोग: डेटा को अधिक उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुलभ बनाना और उसके पुन: उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाले सिस्टम से डेटा के दुरुपयोग का रास्ता खुल जाता है जो व्यक्तियों या विकास के उद्देश्यों को नुकसान पहुँचा सकता है।
    - रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा (जैसे- गलत जानकारी; सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटा सिस्टम पर साइबर हमला) संबंधी चिंताओं को भी चिह्नित किया गया।
  - डेटा का ढाँचागत अंतराल: अमीर और गरीब लोगों के बीच प्रमुख रूप से स्पष्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंतराल है और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के कारण अमीर और गरीब देशों के बीच पर्याप्त विभाजन दिखाई देता है।

### भारत में डेटा अंतराल:

- विश्व बैंक द्वारा वैश्विक गरीबी के आकलन पर चिंता व्यक्त की गई है, जो गरीबी पर भारत में डेटा के अभाव के कारण विषम स्थिति पैदा करता है।
- भारत 130 SDG संकेतकों में से 54 पर ध्यान केंद्रित करता है। हालाँकि कुल मिलाकर केंद्रित संकेतकों की संख्या बढ़ गई है और देश ने अपनी आकलन सूची से चार संकेतकों को हटा दिया है।
- रिपोर्ट में मौजूदा डेटा के रणनीतिक पुनरुत्थान का आह्वान किया गया है।

## भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम:

- राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुगम्यता नीति (NDSAP):
  - राष्ट्रीय नीति से यह अपेक्षा की जाती है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं के बीच गैर-संवेदनशील डेटा और सहज स्थानांतरण की सुविधा बढ़ाई जाए ताकि वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- ओपन गवर्मेंट डेटा प्लेटफॉर्म (OGD):
  - यह सक्रिय प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाने के साथ-साथ उत्पन्न डेटा तक पहुँच प्रदान करने का प्रावधान करता है।
  - पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता, सहयोग, सुशासन, निर्णय लेने और नवाचार में वृद्धि करना।
  - शासन में नवाचार को बढ़ावा: नागरिकों को सेवाओं के प्रत्यक्ष वितरण में सहयोग के लिये एक मंच स्थापित कर नागरिक सेवाओं के वितरण में नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

## आगे की राह:

- गरीबों की भागीदारी: डेटा कार्यक्रमों और नीतियों में सुधार, अर्थव्यवस्थाओं का संचालन और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये धन अर्जित करने की अधिक क्षमता प्रदान करता है। डेटा गवर्नेंस पर वैश्विक बहस में गरीब लोगों का दृष्टिकोण बहुत हद तक अनुपस्थित रहा है, जिसमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।.
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: रिपोर्ट ने नियमों को सामंजस्यपूर्ण बनाने और नीतियों के समन्वय के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया ताकि सभी को लाभान्वित करने के लिये और हरित, लचीले और समावेशी सुधार की दिशा में प्रयासों को सूचित करने के लिये डेटा वैल्यू का उपयोग किया जा सके।

---

नोट :

# आंतरिक सुरक्षा

## म्याँमार से अवैध अंतर्वाह

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affair) ने नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्याँमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जाँच करने का निर्देश दिया है।

- इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल (Border Guarding Force) यानी असम राइफल्स को भी निर्देश दिये गए हैं।
- म्याँमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या (Rohingya) पहले से ही भारत में रह रहे हैं।
    - भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है।
    - एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे थे।

### प्रमुख बिंदु

#### गृह मंत्रालय के निर्देश:

- राज्य सरकारों के पास "किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा" देने की शक्ति नहीं है और भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन तथा उसके प्रोटोकॉल (वर्ष 1967) का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।
    - इसी तरह के निर्देश अगस्त 2017 और फरवरी 2018 में जारी किये गए थे।

#### पृष्ठभूमि:

- यह निर्देश म्याँमार में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद लोगों पर होने वाली सैन्य कार्रवाई के बाद आया है, जिसके कारण कई लोग भारत में घुस आए।
- म्याँमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्तापलट करके देश पर कब्ज़ा कर लिया।
- उत्तर-पूर्वी राज्य सीमा पार से आने वाले लोगों को आसानी से आश्रय प्रदान करते हैं क्योंकि कुछ राज्यों के म्याँमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक संबंध हैं और कई लोगों के पारिवारिक संबंध भी हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ राज्यों ने म्याँमार से भागकर आए लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्हें आश्रय दिया।
- इन राज्यों में पहले से ही ब्रू जैसी जनजातियों के बीच झड़पें होती रहीं हैं। अत: इस प्रकार के अंतर्वाह से ऐसी घटनाओं में वृद्धि होगी।

#### हाल का अंतर्वाह:

- म्याँमार से पुलिसकर्मियों और महिलाओं सहित एक दर्जन से अधिक विदेशी नागरिक पड़ोसी राज्य मिज़ोरम में आए हैं।

#### भारत-म्याँमार सीमा:

- भारत और म्याँमार के बीच 1,643 किलोमीटर (मिज़ोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर और नगालैंड 215 किलोमीटर) की सीमा है तथा दोनों तरफ के लोगों के बीच पारिवारिक संबंध है।
- म्याँमार के साथ इन चार राज्यों की सीमा बिना बाड़ वाली है।

#### मुक्त संचरण की व्यवस्था:

- भारत और म्याँमार के बीच एक मुक्त संचरण व्यवस्था (Free Movement Regime) मौजूद है।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य, जो भारत या म्याँमार का नागरिक है और भारत-म्याँमार सीमा (IMB) के दोनों ओर 16 किमी. के भीतर निवास करते है, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीमा पास (एक वर्ष की वैधता) से सीमा पार कर सकता है तथा प्रति यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक यहाँ रह सकता है।

### संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, 1951

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की एक बहुपक्षीय संधि है, जिसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्त्ता देश की शरणार्थियों के प्रति ज़िम्मेदारियों का भी प्रावधान किया गया है।
  - यह संधि युद्ध अपराधियों, आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है।
- यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न तथा अपना देश छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है।
- इसमें कन्वेंशन द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज़ धारकों के लिये कुछ वीज़ा मुक्त यात्रा का प्रावधान किया गया है।
- यह संधि वर्ष 1948 की मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है। UDHR किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है।
- एक शरणार्थी कन्वेंशन में प्रदान किये गए अधिकारों के अलावा संबंधित राज्य में अधिकारों और लाभों को प्राप्त कर सकता है
- वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है, इससे पूर्व वर्ष 1951 में की गई संधि सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों को ही शामिल करती थी।
- भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है।

# भारत के हथियार आयात में गिरावट: SIPRI

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के हथियार आयात में वर्ष 2011-2015 और वर्ष 2016-2020 के बीच एक-तिहाई (लगभग 33%) की कमी आई है।

## प्रमुख बिंदु

### भारत विशिष्ट जानकारी

- दूसरा सबसे बड़ा आयातक:
  - भारत विश्व में हथियारों का सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
- भारत को हथियार आपूर्तिकर्त्ता:
  - रूस दोनों अवधि (वर्ष 2011-2015 और वर्ष 2016-2020) में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश है। हालाँकि भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 70% से गिरकर 49% हो गई है।
  - वर्ष 2016-20 के दौरान भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्त्ता के रूप में फ्राँस और इज़राइल क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर थे। भारत के हथियार आयात में फ्राँस और इज़राइल की हिस्सेदारी में क्रमश: 709% तथा 82% की वृद्धि हुई है।
  - भारत को हथियारों की आपूर्ति में अमेरिका वर्ष 2016-20 की अवधि में चौथे स्थान पर था, जबकि वर्ष 2011-15 की अवधि में दूसरे स्थान पर था।
- भारत का निर्यात:
  - वर्ष 2016-20 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी, जिससे यह विश्व में 24वाँ सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया।
  - यह वर्ष 2011-15 की अवधि की तुलना में निर्यात में 200% से अधिक की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इस दौरान भारत के सैन्य उपकरणों के शीर्ष प्राप्तकर्त्ता म्याँमार, श्रीलंका और मॉरीशस थे।

- भविष्य के रुझान:
  - पाकिस्तान-चीन से बढ़ते खतरों और घरेलू रक्षा विनिर्माण में देरी के कारण आने वाले वर्षों में भारत के हथियारों के आयात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

## आयात में गिरावट के कारण:

- भारत का आत्मनिर्भरता पर ज़ोर: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गिरावट का कारण रक्षा विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है।
  - इसके अतिरिक्त सशस्त्र बलों के लिये पूंजीगत व्यय का 60% से अधिक का आवंटन घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों और प्लेटफॉर्मों हेतु किया गया है।
  - इससे पहले सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों की एक नकारात्मक आयात सूची की घोषणा की थी और प्लेटफॉर्म इस नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करेगा।
- जटिल खरीद प्रक्रिया: भारतीय हथियारों के आयात में गिरावट मुख्य रूप से इसकी जटिल खरीद प्रक्रियाओं के कारण आई है, जो रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास से जुड़ा है।

## अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण:

- वर्ष 2016-2020 की अवधि में शीर्ष पाँच वैश्विक हथियार निर्यातक देश अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन थे।
- प्रमुख हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच समान स्तर पर रहा।
  - इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और जर्मनी के हथियार निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, जबकि रूस तथा चीन के हथियारों के निर्यात में गिरावट आई।
  - रूसी निर्यात में भारत को होने वाले आयात में कमी के कारण गिरावट आई।
  - भले ही रूस ने वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच चीन, अल्जीरिया तथा मिस्र को अपने हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा दिया हो लेकिन इससे रूस से भारत को होने वाले हथियारों की आपूर्ति में गिरावट नहीं आई।
- इस अवधि के दौरान मध्य-पूर्व के देशों को (विशेष रूप से सऊदी अरब) हथियारों के आयात में वृद्धि हुई।

## स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व नि:शस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।
- यह नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा, डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।

# चर्चा में

## भादर बाँध: गुजरात

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) के बाँध सुरक्षा संगठन ने भादर बाँध के जलद्वार जो कि वर्ष 2015 की फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हो गए थे, के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है ।

### प्रमुख बिंदु

#### भादर बाँध

- भादर बाँध राजकोट में स्थित है और शेतरुंजी बाँध के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बाँध है।
- भादर बाँध गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर नदी पर स्थित है।

#### भादर नदी

- भादर नदी, गुजरात में काठियावाड़ (सौराष्ट्र) प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है।
- भादर नदी का उद्गम समुद्र तल से 261 मीटर की ऊँचाई पर राजकोट ज़िले के जसदान तालुका से हुआ है।
- यह सौराष्ट्र क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में नवीबंदर (पोरबंदर) के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है।
- इस नदी की कुल लंबाई 198 किमी. है।

#### फ्लैश फ्लड

- फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ से आशय ऐसी बाढ़ की घटनाओं से है जहाँ वर्षा के कुछ ही घंटों के दौरान (या बाद में) जल स्तर काफी बढ़ जाता है।
- फ्लैश फ्लड, बहुत अधिक उफान के साथ छोटी अवधि वाली अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएँ होती हैं। आमतौर पर वर्षा की शुरुआत और चरम उफान वाली बाढ़ की घटना के बीच की अवधि छह घंटे से कम होती है।
- बाढ़ की स्थिति, खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाली बाधाओं के कारण और अधिक खराब हो सकती है।

#### केंद्रीय जल आयोग (CWC)

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।
- आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, बिजली उत्पादन, नेविगेशन आदि के उद्देश्य से पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, विकास और उपयोग हेतु योजनाओं को विकसित करने, शुरू करने, समन्वय स्थापित करने हेतु उत्तरदायी है।

## कथकली उस्ताद गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमण नायर

हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमण नायर का केरल के कोझिकोड में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को केरल में लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### प्रमुख बिंदु:

#### जन्म:

- गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमण नायर का जन्म 16 जून, 1916 को हुआ था।

### कथकली में योगदान:

- वे कथकली की कल्लादीकोडन शैली के विशेषज्ञ थे।
- कल्लादीकोडन शैली की शुरुआत चाथू पनिक्कर असन द्वारा की गई थी और यह कथकली की तीन प्रमुख शैलियों में से एक है, जबकि अन्य दो शैलियाँ वेट्टाथु और कपलिंगडु हैं।
- कल्लादीकोडन शैली के तीन पहलुओं में नृत्त (नृत्य की लय उनके मूल रूप में), नृत्य (अभिव्यंजक घटक यानी मुद्राएँ या इशारे) और नाट्य (नृत्य का नाटकीय तत्त्व यानी पात्रों की नकल) को समान महत्त्व दिया जाता है।
- मंच पर भगवान कृष्ण और सुदामा [जिसे कुचेल के रूप में भी जाना जाता है, (अधिकांशत: दक्षिण भारत में)] का चित्रण उनका सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन है।

### पुरस्कार/सम्मान:

- गुरु चेमनचेरी को वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

कथकली:

- कथकली भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
  - यह नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इस नृत्य में कहानियों का नाटकीयकरण शामिल है, जिसे ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिया/रूपांतरित किया गया है।
  - आमतौर पर प्रस्तुत की गई भूमिकाओं में राजा, देवता और राक्षस शामिल होते हैं,
  - कथकली में एक गायक कथा सुनाता (वर्णन करता) है और तालवादक वाद्य यंत्र बजाते हैं।
- कथकली में भारी मेकअप और सुंदर पोशाक (विस्तृत मुखौटे, विशाल स्कर्ट और बड़े शिरोभूषण या सिर पर पहनने वाले कपड़े) का उपयोग शामिल है।
  - विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को चित्रित/इंगित करने के लिये चेहरे पर अलग-अलग रंगों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिये हरा- सज्जनता, काला-दुष्टता और सज्जनता एवं बुराई के संयोजन के लिये।

### भारत के आठ शास्त्रीय नृत्य

- भरतनाट्यम (तमिलनाडु)
- कथक (उत्तर भारत)
- कथकली (केरल)
- मोहिनीअट्टम (केरल)
- कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश)
- ओडिसी (ओडिशा)
- सत्रीया (असम)
- मणिपुरी (मणिपुर)

## प्रोजेक्ट 'RE-HAB'

पायलट परियोजना 'RE-HAB' (Reducing Elephant-Human Attacks using Bees) को कर्नाटक में शुरू किया गया है, जो मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिये जंगल और गाँवों की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर ज़ोर देती है।

- यह क्षेत्र 'नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व' की परिधि पर स्थित है, जिसे मानव-हाथी संघर्ष क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

### प्रमुख बिंदु:

- यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिये "मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़" बनाने का कार्यक्रम है।

### लाभ:

- मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुँचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा।
- यह खाई खोदने या बाड़ बनाने जैसे विभिन्न अन्य उपायों की तुलना में अत्यधिक लागत प्रभावी है।
- इस पहल के माध्यम से शहद उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

### क्रियान्वयन एजेंसी:

- यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की एक पहल है।
- यह KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप-मिशन है।

### शहद मिशन:

- KVIC ने किसानों को जागरूकता, प्रशिक्षण और मधुमक्खी बॉक्स प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय शहद मिशन शुरू किया है।
- इस मिशन को अगस्त 2017 में 'मीठी क्रांति' के तहत लॉन्च किया गया था।
    - 'मीठी क्रांति' की शुरुआत मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में की गई।

### नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान:

- इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और वर्ष 1988 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था तथा वर्ष 1999 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत 37वें टाइगर रिज़र्व के रूप में घोषित किया गया था।
- भारत में 51 टाइगर रिज़र्व हैं।
    - इस सूची में वर्ष 2021 में जोड़ा गया नवीनतम रिज़र्व तमिलनाडु का 'श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिज़र्व' है।

### अवस्थिति:

- यह उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है और नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।

### नदियाँ:

- नागरहोल नदी इस उद्यान से होकर बहती है, जो काबिनी नदी में जाकर मिलती है। काबिनी नदी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक सीमा बनाती है।

### वनस्पति:

- वनस्पति में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमें सागौन और शीशम के वृक्ष शामिल हैं।

### प्राणिजात:

- एशियाई हाथी, चीतल (चित्तीदार हिरण), इंडियन माउस डियर, गौर, धारीदार गर्दन वाले नेवले, ग्रे लंगूर, बोनट मकाक (Bonnet Macaque), एशियाई जंगली कुत्ता, तेंदुआ, बाघ, स्लोथ बीयर।

### खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग:

- KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- KVIC ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कार्यक्रम एवं योजना का निर्माण, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन का कार्य करता है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

# केन्या-सोमालिया विवाद

पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

## प्रमुख बिंदु

### विवाद

- सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। दोनों पड़ोसियों के बीच असहमति का मुख्य बिंदु वह दिशा है जिसमें हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा का विस्तार होना चाहिये।

### सोमालिया का पक्ष

- समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा होना चाहिये, जिसमें सोमालिया की भू-सीमा हिंद महासागर की ओर जाती है यानी दक्षिण-पूर्व की ओर।

### केन्या का पक्ष

- समुद्री सीमा का निर्धारण भूमध्य रेखा के समानांतर किया जाना चाहिये।

### विवादित क्षेत्र का महत्त्व

- इस प्रकार विवाद से निर्मित त्रिकोणीय क्षेत्र लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा है और इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का भी विशाल भंडार मौजूद है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार का भी दावा किया जाता है।

### अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया।
- यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है।
- यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, हालाँकि न्यायालय के पास प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं और प्राय: यह देखा जाता है कि देश न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करते हैं।

# अंतर-संसदीय संघ

हाल ही में अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU) के अध्यक्ष ने भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया।

### IPU के विषय में

- IPU विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1889 में पेरिस में की गई थी।
  - इसकी स्थापना फ्राँस के फ्रेडरिक पैसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर ने की थी।
- यह विवादों की मध्यस्थता के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN), क्षेत्रीय संसदीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के निकट सहयोग से काम करता है।
- यह विश्व भर में राजनीतिक विचारों और रुझानों पर नज़र रखने वाला एक विशिष्ट मंच है।

### उद्देश्य

- दुनिया भर में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के बीच शांति एवं सहयोग को बनाए रखने के लिये कार्य करना।
- अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना।

नोट :

### आदर्श वाक्य:

- लोकतंत्र के लिये। सभी के लिये। (For democracy. For everyone.)

### कार्य:

- छह प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को संबोधित कर संसदीय कार्रवाई को बढ़ावा देना। ये छह क्षेत्र हैं:
  - प्रतिनिधिक लोकतंत्र।
  - शांति और सुरक्षा।
  - सतत् विकास।
  - मानवाधिकार और मानवीय कानून।
  - राजनीति में महिलाएँ।
  - शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति।
- सदस्य:
  - 179 देश IPU के सदस्य हैं।
  - 13 क्षेत्रीय संसदीय सभाएँ इसकी सहयोगी सदस्य हैं।
  - भारत इसका सदस्य है।
- मुख्यालय:
- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

---

## पीलीभीत टाइगर रिज़र्व: उत्तर प्रदेश

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (उत्तर प्रदेश) में एक पाँच वर्षीय बाघिन का शव प्राप्त हुआ है।

## प्रमुख बिंदु

### परिचय

- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहाँपुर ज़िलों के बीच अवस्थित है।
- इसे वर्ष 2014-15 में एक टाइगर रिज़र्व के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - वर्ष 2020 में इसने बीते चार वर्षों (2014-18) में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिये TX2 अवार्ड भी जीता।
- यह ऊपरी गंगा के मैदान में 'तराई आर्क लैंडस्केप' के हिस्से का निर्माण करता है।
- रिज़र्व का उत्तरी छोर भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी तक विस्तृत है।

### वनस्पति और प्राणीजगत

- यहाँ 127 से अधिक जंगली जानवर, 326 पक्षी प्रजातियाँ और 2,100 फूल एवं पौधों की अलग-अलग प्रजतियाँ पाई जाती हैं।
- जंगली जानवरों में बाघ, हिरण और तेंदुआ आदि शामिल हैं।
- इसमें कई जल निकायों के साथ जंगल और घास के मैदान भी शामिल हैं।

### उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र

- दुधवा नेशनल पार्क
- चंबल वन्यजीव अभयारण्य
- चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य
- हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य

नोट :

### तराई आर्क लैंडस्केप

- तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में बागमती नदी के बीच 810 किमी. लंबा खंड है।
  - भागमती नदी दक्षिण-मध्य नेपाल और उत्तरी बिहार में प्रवाहित होती है।
- इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ, निकटवर्ती भाभर क्षेत्र और तराई मैदानों शामिल हैं।
  - भाभर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पर भारी जल-भार जैसे- बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। ये लुप्त नदियाँ भाभर के दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र में पुन: प्रकट होती हैं।
- यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की निचली पहाड़ियों तक विस्तृत है।
- इसमें भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिज़र्व और संरक्षित क्षेत्र जैसे कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व (उत्तराखंड), राजाजी नेशनल पार्क (उत्तराखंड), दुधवा टाइगर रिज़र्व (उत्तर प्रदेश), वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (बिहार) शामिल हैं।
- कुल मिलाकर इसमें 13 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 9 संरक्षित क्षेत्र भारत में और 4 संरक्षित क्षेत्र नेपाल में हैं। यह पूर्णत: 49,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है।

## अनंगपाल द्वितीय : तोमर राजवंश

हाल ही में एक सेमिनार के दौरान तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत पर प्रकाश डाला गया।

### अनंगपाल द्वितीय के विषय में:

- अनंगपाल द्वितीय तोमर राजवंश से संबंधित थे। इन्हें अनंगपाल तोमर के रूप में में भी जाना जाता है।
- उन्होंने ढिल्लिका पुरी की स्थापना की थी जिसे आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना गया।
  - कुतुब मीनार के निकट स्थित मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के लौह स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य अंकित हैं।
- विभिन्न शिलालेखों और सिक्कों से यह पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के शासक थे।
  - उन्होंने शहर का निर्माण खंडहरों से किया तथा उनकी निगरानी में ही अनंग ताल बावली और लाल कोट का निर्माण किया गया।
- अनंगपाल द्वितीय के बाद उनका पोता पृथ्वीराज चौहान शासक बना।
  - 1192 में तराइन (वर्तमान हरियाणा) के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद गोरी की सेना द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई।

### तोमर राजवंश के विषय में:

- तोमर वंश उत्तरी भारत के प्रारंभिक मध्य युग के लघु शासक वंशों में से एक है। चारण परंपरा (Bardic Tradition) के अनुसार, यह वंश 36 राजपूत वर्गों में से एक था।
- इस वंश का उल्लेख अनंगपाल (जिसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की) के शासन और 1164 में चौहान (चाहमान) साम्राज्य में दिल्ली के विलय तक की अवधि के बीच मिलता है।
- हालाँकि बाद में दिल्ली निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का एक हिस्सा बन गई लेकिन प्राचीन सिक्कों के अध्ययन एवं साहित्यिक साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि तोंगपाल और मदनपाल जैसे राजाओं ने संभवत: 1192-93 में मुसलमानों द्वारा दिल्ली पर अंतिम विजय प्राप्त करने तक सामंतों के रूप में शासन जारी रखा।

## यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव

हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने हेतु 'यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव' (US India Artificial Intelligence- USIAI) नामक पहल शुरू की गई है।

## प्रमुख बिंदु:

- USIAI, इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (IUSSTF) की एक पहल है, जिसकी स्थापना मार्च 2000 में की गई थी।
    - भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और अमेरिकी राज्य विभाग IUSSTF के लिये संबंधित नोडल विभाग हैं।
- USIAI उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो दोनों देशों की प्राथमिकताएँ हैं।
    - उदाहरण: हेल्थकेयर, स्मार्ट शहर, सामग्री, कृषि, ऊर्जा और विनिर्माण।
- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज में चुनौतियों तथा अवसरों को संबोधित हेतु वातावरण निर्मित करने के लिये भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा।
- यह उभरते AI परिदृश्य पर चर्चा और AI कार्यबल विकसित करने जैसी चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान करेगा।

## संबंधित नवीन पहल:

- भारत में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है तथा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में AI का लाभ उठाया जा रहा है।
    - हाल ही में आयोजित CogX 2020 नामक कार्यक्रम में 'MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबोट' ने दो श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्राप्त किये-

    (1) 'कोविड -19 के लिये सर्वश्रेष्ठ नवाचार - सोसाइटी'

    (2) 'पीपुल्स च्वाइस कोविड -19 समग्र विजेता'
        - CogX लंदन में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी' से संबंधित एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट है।
- हाल ही में AI के उत्तरदायी और मानव विकास केंद्रित प्रयोग का समर्थन करने के लिये भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)' में शामिल हुआ।
- एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में 45% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि शॉपिंग व्यवहार में बदलाव और नई व्यापार चुनौतियों (कोविड -19 महामारी के कारण) के कारण सभी देशों से अधिक है।
- नीति आयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से 'सामाजिक सशक्तीकरण के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-2020' (Responsible AI for Social Empowerment-2020) यानी रेज़-2020 (RAISE 2020) का आयोजन किया गया।
- वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2020 में क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिये किया गया था।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों का वर्णन करता है, जिनके लिये पारंपरिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम आदि तकनीकें शामिल हैं।
- AI हार्डवेयर चालित रोबोट ऑटोमेशन से अलग है। मैन्युअल कार्यों को स्वचालित करने के बजाय AI लगातार उच्च मात्रा वाले कंप्यूटरीकृत कार्यों को मज़बूती से करता है।
- AI तकनीक अब कंप्यूटर विज्ञान में कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान में मदद करने वाली प्रौद्योगिकी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। एप्पल के सिरी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक AI तेज़ी से प्रगति कर रहा है।

## रणथंभौर बाघ अभयारण्य: राजस्थान

राजस्थान का रणथंभौर बाघ अभयारण्य छह बाघों के लापता होने के कारण चर्चा में है।

## प्रमुख बिंदु

### परिचय

- रणथंभौर बाघ अभयारण्य, राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर ज़िलों में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है।
- इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और कैलादेवी अभयारण्य शामिल हैं।
- इस बाघ अभयारण्य को रणथंभौर के किले से अपना नाम प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि इस किले का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह रणनीतिक रूप से अभयारण्य के भीतर 700 फीट ऊँची एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और माना जाता है कि इसे 944 ईस्वी में चौहान शासक द्वारा बनाया गया था।
- बाघों के आवास वाला यह एकांत क्षेत्र 'बंगाल टाइगर' की वितरण सीमा की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है और देश में बाघ संरक्षण हेतु प्रारंभ किये गए 'प्रोजेक्ट टाइगर' के प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
    - जुलाई 2020 में सार्वजनिक जनगणना परिणामों के अनुसार, भारत में 2,967 बाघ हैं, जबकि अकेले रणथंभौर में 55 बाघ मौजूद हैं।

### विशेषता

- रणथंभौर बाघ अभयारण्य में अत्यधिक खंडित वन, नदी धाराएँ और कृषि भूमि मौजूद है।
- यह कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्सों, चंबल के दुर्लभ निवास स्थानों और श्योपुर वन क्षेत्र के माध्यम से कुनो-पालपुर लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है।
- चंबल की सहायक नदियाँ बाघों को कुनो नेशनल पार्क की ओर जाने के लिये आसान मार्ग प्रदान करती हैं।

### वनस्पति और वन्यजीव:

- इस क्षेत्र की वनस्पति में पठारों पर घास के मैदान और घने जंगल शामिल हैं।
    - यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मौजूद हैं, जिनमें 'पलाश' की बहुलता है। यह पेड़ की वह प्रजाति है जो लंबे समय तक सूखे का सामना करने में सक्षम है।
    - इस पेड़ को 'जंगल की आग' भी कहा जाता है और यह कई फूलों वाले पौधों में से एक है।
- यह उद्यान वन्यजीवों के मामले में काफी समृद्ध है और यहाँ बाघ स्तनधारियों में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद हैं।
- यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे, लंगूर, रीसस मकाक, सियार, जंगली बिल्लियाँ, कैराकल, ब्लैकबक और चिंकारा आदि शामिल हैं।
- यह उद्यान पक्षियों के मामले में भी समृद्ध है और अब तक यहाँ 272 प्रजातियाँ देखी गई हैं।

### राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अलवर
- मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान/डेज़र्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई-जंक्शन पर)

नोट :

## कुंभ मेला: हरिद्वार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को राज्य (हरिद्वार में) में चल रहे कुंभ मेले (Kumbh Mela) के दौरान कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिये कड़े उपाय किये जाने के विषय में पत्र लिखा है।

### प्रमुख बिंदु

- कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (UNESCO's Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) के अंतर्गत आता है।
    - कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है, जिसके दौरान प्रतिभागी स्नान करते हैं या पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं।
- यह मेला प्रयागराज (गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर), हरिद्वार (गंगा पर), उज्जैन (शिप्रा पर) और नासिक (गोदावरी पर) में हर चार साल के आवर्तन के बाद आयोजित किया जाता है तथा जाति, पंथ या लिंग की परवाह किये बिना लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं।
    - यह मेला भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित होता है, इसलिये इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जो इसे सांस्कृतिक विविधता का पर्व बनाती हैं।
- इसे सामान्यत: प्रत्येक 12 साल में एक बार उपर्युक्त स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
- ज्ञात हो कि प्रत्येक छठे वर्ष अर्द्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद में संगम पर हर साल माघ मेला जनवरी से फरवरी (हिंदू कैलेंडर के अनुसार) के मध्य मनाया जाता है।
    - इस माघ मेले को जब छठे और बारहवें वर्ष में मनाया जाता है तब इसे क्रमश: अर्द्ध कुंभ मेला और कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है।
- हरिद्वार में कुंभ मेला विशेष शुभ तिथियों के कारण 11 साल बाद (12 साल नहीं) आयोजित किया जा रहा है। इस तरह की घटना 80 वर्षों में पहली बार हुई है।
- इस तरह की घटना खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, कर्मकांड की परंपराओं, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों तथा ज्ञान को अत्यंत समृद्ध बनाती है।
- साधुओं का आश्रमों और अखाड़ों से शिक्षक-छात्र संबंध कुंभ मेले से संबंधित ज्ञान तथा कौशल प्रदान करने एवं इसे सुरक्षित रखने का सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका है।

### यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची

- यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
- यह सूची वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी।

### यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

## सुंदरबन

हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सुंदरबन के विकास से संबंधित वादे किये जा रहे हैं।

- सुंदरबन क्षेत्र वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान (Cyclone Amphan) द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।

## प्रमुख बिंदु

- यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा (दुनिया की सबसे बड़ी) पर भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में एक विशाल वन पारिस्थितिकी तंत्र है।
    - इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
- अधिकांश क्षेत्र को लंबे समय से आरक्षित वन (Forest Reseve) का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे वर्ष 1973 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
- वर्ष 1984 में स्थापित सुंदरबन नेशनल पार्क (Sundarbans National Park), बाघ अभयारण्य के भीतर का कोर क्षेत्र है, जिसे वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- यूनेस्को द्वारा वर्ष 2001 में सुंदरबन को बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया।
- भारत के सुंदरबन वेटलैंड को जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि' (Wetland of International Importance) के रूप में मान्यता दी गई थी।
- सुंदरबन नेशनल पार्क में 260 पक्षियों की प्रजातियों सहित जीवों की एक विस्तृत शृंखला पाई जाती है। यह पार्क कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों जैसे कि खारे पानी का मगरमच्छ (एस्टुराइन क्रोकोडाइल), रॉयल बंगाल टाइगर, वॉटर मॉनीटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुओं का घर है।
- सुंदरबन डेल्टा (Sunderbans Delta) विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव जंगल है जहाँ बाघों का निवास है।
    - इसके संरक्षण के लिये डिस्कवरी इंडिया (Discovery India) और वर्ल्ड वाइड फंड (World Wide Fund-WWF) भारत ने वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार तथा सुंदरवन के स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी की।

### मैंग्रोव

- मैंग्रोव (Mangrove) विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण-सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है।
- मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिक कार्य करते हैं जैसे कि लकड़ी का उत्पादन, मछली प्रजनन क्षेत्र, पक्षियों और अन्य प्रमुख जीवों के लिये आवास, तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा आदि।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव आवरण का उच्चतम प्रतिशत क्षेत्र मौजूद है, जबकि उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report-ISFR) देश में मैंग्रोव वन और उनकी स्थितियों के विषय में डेटा प्रदान करती है।

---

# शिगमोत्सव: गोवा

हाल ही में गोवा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शिगमोत्सव अथवा शिगमो (Shigmotsav or Shigmo) उत्सव के परेड को केवल तीन स्थानों (पणजी, पोंडा और मापुसा) तक सीमित कर दिया है।

## प्रमुख बिंदु

### शिगमोत्सव के विषय में:

- यह गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिये मनाए जाने वाला उत्सव है।
- कुनबी, गावड़ा और वेलिप सहित विभिन्न कृषि समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं जो वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक है।

### महोत्सव के दो प्रकार:

- धाक्टो शिग्मो (Dhakto Shigmo- छोटा शिग्मो): यह ग्रामीण आबादी, किसानों और मज़दूर वर्ग द्वारा मनाया जाता है।
- वदल्लो शिग्मो (Vhadlo Shigmo- बड़ा शिगमो): इसका महत्त्व अधिक है जो सभी द्वारा मनाया जाता है।

नोट :

### उत्सव:

- समय:
  - शिग्मो उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन-चैत्र महीनों में एक पखवाड़े से अधिक समय तक मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल मार्च-अप्रैल में पड़ता है।
- देवताओं का आह्वान:
  - यह उत्सव 'नमन' (Naman) गीत से शुरू होता है, जो स्थानीय देवताओं का आह्वान करने के लिये है 'मांड' (Maand) नामक मंच पर ढोल, मढ़ले और ताशे जैसे वाद्य यंत्रों को बजाकर गाया जाता है।
    - इसे 'रोम्टा मेल' (Romta Mell) नृत्य कहा जाता है जो गाँव-गाँव घूम कर किया जाता है।
- नृत्य:
  - इस उत्सव में घोड़े मोदिनी (Ghode Modni- घुड़सवार योद्धाओं का नृत्य), गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किये जाते हैं।
- शिगमो स्ट्रीट परेड:
  - इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण केंद्र फ्लोट (float) शिगमो स्ट्रीट परेड (Shigmo Street Parade) होती है। इसे राज्य की राजधानी पणजी और मापुसा, वास्को तथा पोंडा जैसे अन्य प्रमुख शहरों में एक वार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है।
  - यह परेड आमतौर पर मराठा युद्ध की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने के लिये पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए की जाती है।
  - वर्षों से चली आ रही फ्लोट परेड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करती है।

### अन्य नाम:

- शिगमो को पूरे भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है:
  - उत्तर भारत- होली।
  - असम और बंगाल-दोलयात्रा।
  - दक्षिण भारत- कामदहन।
  - महाराष्ट्र- शिमगा।

---

## स्वेज़ नहर

हाल ही में स्वेज़ नहर (Suez Canal) के दक्षिणी छोर के पास खराब मौसम के कारण हुई दुर्घटना की वजह से 'एवर गिवेन' (Ever Given) नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज़ फँस गया।

- इसकी वजह से इस नहर के दोनों छोरों पर जहाज़ों का जमावड़ा लग गया।

## प्रमुख बिंदु

### स्वेज़ नहर के विषय में:

- स्वेज़ नहर एक कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग (Waterway) है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ता है।
- यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है।
- यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है।
- यह विश्व की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है, जिसमें विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक का व्यापार होता है।
  - यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले तेल, प्राकृतिक गैस आदि मालवाहकों को एक महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है।
  - स्वेज नहर प्राधिकरण (Suez Canal Authority) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में लगभग 19,000 जहाज़ों या प्रतिदिन औसतन 51.5 जहाज़ों पर लगभग 1.17 बिलियन टन माल इस नहर के माध्यम से ले जाया गया।

- यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख आय का स्रोत है, इस अफ्रीकी देश ने पिछले साल इस नहर से 5.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त किया था।
    - मिस्र ने वर्ष 2015 में स्वेज़ नहर का विस्तार करने वाली योजना की घोषणा की, इसका उद्देश्य मालवाहक जहाज़ों के प्रतीक्षा समय को कम करना और वर्ष 2023 तक नहर का उपयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या को दोगुना करना है।

### इतिहास:

- स्वेज़ नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इसे नवंबर 1869 में नौपरिवहन के लिये खोला गया था।
- 150 साल पुरानी इस नहर को शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश और फ्राँसीसियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
    - मध्य-पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्वेज़ संकट जुलाई 1956 में सामने आया, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर (Gamal Abdel Nasser) ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इस नहर का स्वामित्व स्वेज़ नहर कंपनी (Suez Canal Company) के पास था, जो फ्राँसीसी और ब्रिटिश हितों द्वारा नियंत्रित थी।
- इस नहर को पाँच बार बंद किया गया था, जबकि अंतिम बार तो यह 8 साल तक बंद थी। अंतत: इसे जून 1975 में नौपरिवहन के लिये फिर से खोल दिया गया।

---

# एन.वी. रमना: भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (एस.ए. बोबडे) द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमना/रमण के नाम की सिफारिश की गई है।

- जस्टिस एन.वी. रमना 24 अप्रैल, 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पदभार संभालेंगे और वे 26 अगस्त, 2022 तक इस पद पर रहेंगे।

## प्रमुख बिंदु

### मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है।
- मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है।
    - केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
    - कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों के मामलों) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम द्वारा या संविधान के प्रावधान द्वारा।

### CJI के प्रशासनिक अधिकार

- प्राय: मुख्य न्यायाधीश के पद को 'फर्स्ट अमंग इक्वल' (प्राइमस इंटर पारेस) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका निभाता है।
- अपनी प्रशासनिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश किसी भी मामले को किसी खंडपीठ को आवंटित करने संबंधी विशेषाधिकार का प्रयोग करता है।

- मुख्य न्यायाधीश, किसी भी मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या भी तय करता है।
  - इस प्रकार वह केवल न्यायाधीशों का चयन करके ही परिणाम को प्रभावित कर सकता है।
- इस तरह की प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग बिना किसी आम सहमति के और बिना किसी कारण किया जा सकता है।

### हालिया घटनाक्रम

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है।

## अर्थ ऑवर

27 मार्च, 2021 को अर्थ ऑवर मनाया गया।

### परिचय:

- इसे वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में किया गया था।
- इसका आयोजन मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किया जाता है।
- इस कार्यक्रम के तहत 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार रात 8.30 से रात 9.30 बजे तक लाइट्स ऑफ करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

### उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा ऊर्जा संरक्षण के लिये गैर-ज़रूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिये प्रोत्साहित करना है।

### प्रभाव:

- अर्थ ऑवर सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के लिये एक उत्प्रेरक बन गया है, जो लोगों की शक्ति और सामूहिक कार्रवाई का उपयोग करते हुए प्रमुख विधायी परिवर्तन ला रहा है।
- उदाहरण के लिये इसने निम्नलिखित कार्यों में मदद की है:
  - अर्जेंटीना में 3.5 मिलियन हेक्टेयर समुद्री-संरक्षित क्षेत्र के निर्माण में।
  - वर्ष 2014 में गैलापागोस में सभी तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में।
  - कज़ाखस्तान में 17 मिलियन वृक्ष लगाने में।
  - भारत और फिलीपींस में सौर ऊर्जा के साथ घरों को रोशन करने में।
  - रूस में समुद्रों और जंगलों के संरक्षण के लिये नए कानून को लागू करने में।

## वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर

### परिचय:

- यह विश्व का एक अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में काम करता है।

### स्थापना:

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी।

### मुख्यालय:

- इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है।

**मिशन:**

- प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी की जैव-विविधता पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले खतरों को कम करना।
- WWF की अन्य प्रमुख पहलें:
- TX2 लक्ष्य (TX2 Goal)
- ट्रैफिक (TRAFFIC)
- लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट (Living Planet Report)

## केप ऑफ गुड होप

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वेज़ नहर (Suez Canal) में रुकावट के कारण केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) के माध्यम से जहाज़ों के पुन: संचालन के लिये मार्ग का विकल्प खोजा गया।

### प्रमुख बिंदु:

- केप ऑफ गुड होप के बारे में:
  - केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के केप प्रायद्वीप (Cape Peninsula) पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड (Headland) है।
    - हेडलैंड अर्थात् रास, प्रायद्वीप का एक प्रकार है। यह सागर में भूमि का एक उभरा हुआ भाग होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है।
  - केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है।
  - वर्ष 1869 में स्वेज़ नहर का संचालन शुरू होने से भूमध्य सागर से हिंद महासागर की दूरी काफी कम हो गई, जिसके चलते अफ्रीका के आस-पास से होकर जाने वाले लंबे मार्ग का उपयोग कम हो गया।
    - केप ऑफ गुड होप मार्ग, स्वेज़ नहर मार्ग से 8900 किमी. लंबा है जिसे पूरा करने में अतिरिक्त दो सप्ताह का समय लगता है।
  - एक गलत अवधारणा यह है कि केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी छोर है।
    - समकालीन भौगोलिक जानकारी के अनुसार, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास है जो पूर्व और दक्षिण-पूर्व में लगभग 150 किमी. दूर स्थित है।
    - अगुलहास की गर्म जलधारा (हिंद महासागर) बेंगुला की ठंडी जलधारा (अटलांटिक महासागर) से केप-अगुलहास और केप प्वाइंट (केप ऑफ गुड होप से लगभग 1.2 किमी. पूर्व) के मध्य मिलती है।
- इतिहास:
  - पुर्तगाली खोजकर्त्ता बार्टोलोमू डायस द्वारा वर्ष 1488 में केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था।
  - बाद में केप सी रूट (Cape Sea Route) जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुज़रता है, अधिक लोगों द्वारा पार करने के कारण इसे केप गुड होप नाम दिया गया।
  - अंतत: यूरोप से एशिया की यात्रा करने वाले नाविकों के लिये केप एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह मार्ग बन गया।

# विविध

## ऑटिज़्म की पहचान के लिये रेटिना स्कैन तकनीक

हॉन्गकॉन्ग के एक वैज्ञानिक ने प्रारंभिक ऑटिज़्म के खतरे का पता लगाने के लिये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक विधि विकसित की है। रेटिना स्कैनिंग पर आधारित यह विधि बच्चों में शुरुआती ऑटिज़्म की पहचान कर उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे ऑटिज़्म का उपचार प्रारंभिक अवस्था में ही करने की संभावना बढ़ जाती है। इस विधि के तहत नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे का उपयोग करते हुए फाइबर परतों और आँख की रक्त वाहिकाओं सहित विभिन्न कारकों के संयोजन का विश्लेषण किया जाता है। परीक्षण के दौरान यह तकनीक 95.7 प्रतिशत तक ऑटिज़्म के खतरों की पहचान करने में सक्षम थी। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) अथवा ऑटिज़्म, सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है। यह एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता है जो व्यक्ति के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न होती है। हालाँकि इसे मानसिक मंदता की स्थिति नहीं माना जाता, क्योंकि ऑटिज़्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखा सकते हैं।

## लक्ष्मण पाई

गोवा के जाने-माने चित्रकार लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में गोवा में निधन हो गया है। वर्ष 1926 में गोवा के मडगाँव में जन्मे लक्ष्मण पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म श्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार आदि शामिल हैं। लक्ष्मण पाई ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के कारण उन्हें जेल भी भेजा गया। उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में कला और चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया और बाद में वहीं शिक्षण का कार्य भी किया। इसके अलावा वह गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल भी रहे थे। लक्ष्मण पाई अलग-अलग भारतीय रागों पर आधारित अमूर्त चित्रों की अपनी रागमाला शृंखला के लिये काफी प्रसिद्ध थे, इस शृंखला में उन्होंने शास्त्रीय संगीत, ग्रंथों और दर्शन से अपने जुड़ाव को दर्शाया था। लक्ष्मण पाई सितार और बाँसुरी वादन में भी प्रशिक्षित थे।

## भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता: अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता बन गया है, क्योंकि ओपेक द्वारा आपूर्ति में कटौती किये जाने के बाद से भारत ने अमेरिकी से कच्चे तेल के आयात को बढ़ा दिया है। आँकड़ों के मुताबिक, अमेरिका जो कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, से भारत का आयात फरवरी में बीते माह की तुलना में 48 प्रतिशत बढ़कर 545,300 बैरल प्रतिदिन पहुँच गया था, यह भारत के कुल आयात का 14 प्रतिशत है। इसके विपरीत सऊदी अरब से फरवरी माह में कुल तेल आयात बीते माह की तुलना में 42 प्रतिशत कम होकर एक दशक के निचले स्तर तकरीबन 445,200 बैरल प्रतिदिन पर पहुँच गया था। ज्ञात हो कि चीन, अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार तनावों के कारण अमेरिका से कच्चा तेल नहीं खरीद सकता है, जिसके चलते अमेरिका के पास भारत के रूप में एकमात्र तेल खरीदार बचता है। भारत, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, वैश्विक आर्थिक रिकवरी के लिये लगातार प्रमुख तेल उत्पादक देशों से आपूर्ति कटौती को रोकने का आग्रह कर रहा है, ताकि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके।

## अय्या वैकुंडा स्वामिकल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान मानवतावादी और सामाजिक विचारक अय्या वैकुंडा स्वामिकल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में केरल के त्रावणकोर की रियासत में रहने वाले अय्या वैकुंडा स्वामिकल को आज भी भारत के पहले प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और धार्मिक पदानुक्रम की आलोचना की तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 'समथव समजम' भारत में पहला सामाजिक सुधार आंदोलन (1836) के संस्थापक होने के नाते अय्या वैकुंडा को भारत में सामाजिक-राजनीतिक क्रांतिकारी आंदोलनों का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 'अय्या वज़ी' नामक आध्यात्मिक विचारों के एक नए मार्ग का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित पंक्ति 'एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर' वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है।

नोट :

## बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान

17 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार और स्वाधीनता नायक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित भारत के गोपालगंज ज़िले के तुंगीपारा गाँव में 17 मार्च, 1920 को हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था और वर्ष 1971 में इसे पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया। बंगबंधु नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है और वे बांग्लादेश के लोगों के बीच 'बंगबंधु' के रूप में लोकप्रिय थे। 'बंगबंधु' का शाब्दिक अर्थ है- 'बंगाल का मित्र'। पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बीते दिनों बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 'जॉय बांग्ला' को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के दौरान यह प्रमुख नारा था। शेख मुजीबुर रहमान ने भी 7 मार्च, 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के उद्घोष के बाद 'जॉय बांग्ला' के नारे का प्रयोग किया था। वहीं हाल ही में यूनेस्को ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर 'रचनात्मक अर्थव्यवस्था' के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

## भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है और वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, वर्तमान में निगम में 59 स्थायी कर्मचारी और छह प्रबंधन प्रशिक्षु सेवारत हैं। इन सभी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के नियमों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ लेने का अवसर दिया जाएगा। यह निगम वित्त वर्ष 2015-16 से ही लगातार घाटे का सामना कर रहा था। इसे घाटे से उबारने और लाभकारी बनाने की कोई संभावना नज़र नहीं आने के कारण इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई यह मंज़ूरी सरकार के राजस्व पर तनावग्रस्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दबाव को कम करेगी। ज्ञात हो कि भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने का निर्णय सरकार की उस रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में दबावग्रस्त सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया जाना अथवा उन्हें बंद किया जाना शामिल है।

## 'UPI-Help' फीचर

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने हाल ही में 'भारत इंटरफेस फॉर मनी' (BHIM) एप पर आसान शिकायत निपटान तंत्र उपलब्ध कराने के लिये 'UPI-Help' फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर उपयोगकर्त्ताओं को लंबित लेन-देन की स्थिति की जाँच करने और इसके विरुद्ध शिकायत करने में सक्षम बनाएगा। प्रारंभ में यह फीचर केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के लिये उपलब्ध होगा। ज्ञात हो कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में 'भीम' (BHIM) नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इस एप का पूरा नाम 'भारत इंटरफेस फॉर मनी' है। 'भीम' को नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। यह एप UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (NPCI) देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है।

## पोट्टी श्रीरामुलु

16 मार्च, 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की जयंती पर उन्हें याद किया गया। 16 मार्च, 1901 को मद्रास (चेन्नई) में जन्मे पोट्टी श्रीरामुलु बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में शामिल हो गए। वर्ष 1930 में श्रीरामुलु ने गांधीजी द्वारा शुरू किये गए नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिये अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने के साथ-साथ उन्होंने दलित समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर भी ज़ोर दिया। पोट्टी श्रीरामुलु ने मार्च 1946 में नेल्लोर के श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दलितों के लिये प्रवेश की मांग करते हुए अपना पहला आमरण अनशन किया। अलग आंध्र राज्य के गठन में पोट्टी श्रीरामुलु का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके लिये उन्होंने 1952 में 58 दिन तक आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर, 1952 को अनशन करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था काफी बिगड़ गई और अंततः मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया।

नोट :

## विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में बनया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊँचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आइफिल टावर से भी 30 मीटर ऊँचा होगा। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह रेलवे पुल चीन की बीपन नदी पर निर्मित शुआईबाई रेलवे पुल (275 मीटर) का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। तकरीबन 1,250 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। ज्ञात हो कि यह रेलवे पुल लगभग 8 तीव्रता वाले भूकंप का सामना करने में सक्षम है। यह रेलवे पुल जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक महत्त्वाकांक्षी रेलवे परियोजना का हिस्सा है। उत्तर रेलवे दिसंबर 2022 तक ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के सबसे कठिन 111 किलोमीटर लंबे खंड को पूरा करेगा, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। 272 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन उत्तर रेलवे द्वारा अनुमानित 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। जम्मू-कश्मीर का समग्र विकास सुनिश्चित करने और वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिये यह रेल परियोजना काफी महत्त्वपूर्ण है।

## कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

भारत के कल्याणी ग्रुप और इज़रायल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के संयुक्त उपक्रम 'कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' (KRAS) ने भारतीय सेना और वायुसेना को मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) किट की डिलीवरी शुरू कर दी है। कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत की निजी क्षेत्र की इकाई है, जो उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और सुविधाओं के लिये विशेष रूप से रक्षा बलों द्वारा प्रयोग किये जा रहे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की असेम्बलिंग, एकीकरण और परीक्षण (AIT) के लिये समर्पित है। मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) किट की डिलीवरी भारत के 'आत्मनिर्भर अभियान' की दिशा में महत्त्वपूर्ण है। ज्ञात हो कि कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2019 में 1,000 'बराक-8' मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल किट बनाने के लिये 100 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला था।

## स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन को 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष हेतु अभियान चलाती है। दुनिया के विभिन्न भागों में साझेदारी के चलते इस वैश्विक संगठन की विशिष्ट मान्यता है और इसे टीबी को खत्म करने के लिये चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्द्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। डॉक्टर हर्षवर्द्धन को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया जाना टीबी को खत्म करने के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' का मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से खत्म करना है। वर्तमान में इस संगठन के साथ 1500 साझेदार संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, सरकारी समूह शामिल हैं। संगठन का सचिवालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' के संरक्षण हेतु राजस्थान और गुजरात में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत (अंडर ग्राउंड) करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों में बर्ड डायवर्टर लगाने पर विचार किये जाने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की संख्या में आ रही गिरावट के मामले की सुनवाई करते हुए ये सुझाव दिये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया विश्व में सबसे अधिक वज़न के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, यह पक्षी मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। एक समय इस पक्षी का नाम भारत के संभावित राष्ट्रीय पक्षियों की सूची में शामिल था। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या 150 के लगभग बताई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 में तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' की श्रेणी में रखा गया है।

## भारत-कुवैत संयुक्त आयोग

भारत और कुवैत ने हाल ही में ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मज़बूत करने तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिये रुपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। इस संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों

नोट :

द्वारा की जाएगी। भारत, कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 10.86 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। मुख्य रूप से भारत का तेल आयात इस अवधि में 9.6 बिलियन डॉलर का था। कुवैत वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का 10वाँ सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता था और भारत की कुल ऊर्जा ज़रूरतों का 3.8 प्रतिशत हिस्सा कुवैत पूरा करता था। कुवैत लगभग 9,00,000 भारतीय प्रवासियों का घर भी है। यह संयुक्त आयोग सभी द्विपक्षीय संस्थागत सहभागिताओं जैसे- विदेशी कार्यालय परामर्श और संयुक्त कार्य समूहों आदि के लिये एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करेगा। यह संयुक्त आयोग ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कौशल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में संबंधों को मज़बूत करने का कार्य करेगा। इसके अलावा यह संयुक्त आयोग दोनों देशों के मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों की भी समीक्षा करेगा और उनके कार्यान्वयन में मौजूद बाधाओं की पहचान कर समाधान खोजेगा।

## 'सही दिशा' अभियान

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये 'सही दिशा' अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के रोज़गार एवं आजीविका तक पहुँचने के अवसरों को प्रभावित करते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके तहत ऐसे उद्यम स्थापित करने पर ज़ोर दिया जाएगा, जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकें। 'सही दिशा' अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और 'IKEA फाउंडेशन' के बीच पाँच साल का सहयोग है और देश के पाँच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों यथा- दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कौशल एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से तकरीबन दस लाख महिलाओं को रोज़गार और आजीविका के अवसरों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है।

## अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

हाल ही में इटली, संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का हिस्सा बन गया है। ज्ञात हो कि आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते में किये गए हालिया संशोधन के लागू होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस की राजधानी पेरिस में आयोजित कोप-21 (COP21) के दौरान शुरू की गई पहल है। ISA का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। ISA को वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है। सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर क्षमता से समृद्ध देशों को एक साथ लाता है।

## डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यूरोपीय संघ (EU) के भीतर नागरिकों के सुरक्षित एवं मुक्त आवागमन के लिये एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस तथ्य का प्रमाण होगा कि व्यक्ति को या तो कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा चुकी है, या उसकी परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक है या वह कोरोना वायरस से रिकवरी कर चुका है। इस सर्टिफिकेट की मुख्य विशेषता यह है कि यह सर्टिफिकेट पूर्णत: डिजिटल रूप में होगा और इसे नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। यह सर्टिफिकेट अस्पतालों, परीक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य अधिकारियों समेत सभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकेगा। यूरोपीय संघ के सभी नागरिक और किसी अन्य देश के नागरिक जो कानूनी रूप से यूरोपीय संघ में रह रहे हैं, इस डिजिटल सर्टिफिकेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे तथा उन्हें स्वतंत्र आवागमन से संबंधित प्रतिबंधों में छूट मिल सकेगी।

## नववर्ष- नवरोज़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष-नवरोज़ के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च अथवा उसके आस-पास मनाया जाने वाला नवरोज़ पारसियों, ज़रथुस्ट्र पंथ (Zoroastrianism) के अनुयायियों और इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों (शिया व सुन्नी दोनों) के लिये नए वर्ष की शुरुआत का एक उत्सव है। 1079 ईस्वी में एक फारसी (ईरानी) राजा जलालुद्दीन मालेकशाह ने राजस्व इकट्ठा करने और लोगों से कर वसूलने के लिये नवरोज़ (नववर्ष) त्योहार की शुरुआत की थी। यह दिवस वसंत ऋतु की शुरुआत और विषुव (Equinox) के

दिन को चिह्नित करता है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह यूनेस्को के अंतर्गत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंतर्लिखित है। भारत में इसे जमशेद नवरोज़ (Jamshed Navroz) के नाम से जाना जाता है, जबकि संपूर्ण विश्व में नवरोज़ मार्च माह में मनाया जाता है, किंतु भारत में यह वर्ष में दो बार मनाया जाता है। पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शहनशाही कैलेंडर के अनुसार, जिसका प्रयोग भारत और पाकिस्तान में किया जाता है।

## मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

राजस्थान सरकार 'हेल्थ फॉर ऑल' के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक मई से राज्य के सभी परिवारों के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की कैशलेस बीमा योजना शुरू करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी' योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 01 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की जाएगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग, संविदाकर्मी और छोटे तथा सीमांत किसान भी मुफ्त में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे परिवार जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वे भी योजना के लिये पात्र होंगे, हालाँकि उन्हें प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि देनी होगी, जो कि प्रतिवर्ष 850 रुपए के आसपास होगी।

## 'समर' अभियान

झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये 'समर' (स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन) अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना है। 'समर' अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है तथा कुपोषण और एनीमिया से निपटने में हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिये इसका वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। ज्ञात हो कि झारखंड में कुपोषण और एनीमिया प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो झारखंड में प्रत्येक दूसरा बच्चा कम वज़न (अंडरवेट), प्रत्येक तीसरा बच्चा स्टंटिंग और प्रत्येक 10वाँ बच्चा निर्बलता (वेस्टिंग) से प्रभावित है, जबकि लगभग 70 प्रतिशत बच्चे एनीमिक हैं। ध्यातव्य है कि कुपोषण (Malnutrition) वह अवस्था है जिसमें अव्यवस्थित रूप से पौष्टिक पदार्थ और भोजन ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है।

## आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)

हाल ही में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) पहल में शामिल हो गया है। इसे वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं और इसका लक्ष्य सतत् विकास का समर्थन करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये नए एवं मौजूदा बुनियादी अवसंरचना प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। ज्ञात हो कि भारत ने सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि के लिये भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के गठबंधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन (ISA) का गठन किया है। इस तरह आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन (ISA) जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिये भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस

21 मार्च, 2021 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (IDF) के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य वनों के महत्त्व और योगदान के बारे में विभिन्न समुदायों में जन-जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष सरकारी तंत्र और निजी संगठन मिलकर लोगों को वनों के महत्त्व और पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करते हैं। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र वन फोरम (UNFF) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (UNFAO) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम है- 'वन रेस्टोरेशन: ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल-बीइंग'। इस वर्ष की थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि वनों की बहाली और सतत् प्रबंधन किस प्रकार जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के संकट से मुकाबला करने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत की आबादी में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है, हालाँकि इसके बावजूद भारत के कुल भूमि क्षेत्र के पाँचवें हिस्से पर वन मौजूद हैं। वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 की मानें तो वर्ष 2017 से वर्ष 2019 के बीच भारत के वन आवरण क्षेत्र में 3,976 वर्ग किमी. अथवा 0.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

## उस्ताद बिस्मिल्लाह खां

21 मार्च, 2021 को विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनकी जयंती पर याद किया गया। 21 मार्च, 1916 को बिहार में संगीतकारों के परिवार में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा अली बख्श 'विलायती' से प्राप्त की थी। शहनाई को विश्व पटल पर ले जाने में बिस्मिल्लाह खां का अतुलनीय योगदान माना जाता है। उन्हें शहनाई की लय साधने के लिये जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने सर्वप्रथम वर्ष 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई वादन किया था। बिस्मिल्लाह खां को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाज़ा गया है। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन के लिये उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वाराणसी में व्यतीत किया और सात दशकों से अधिक समय तक संगीत की सेवा करने के बाद 21 अगस्त, 2006 को वाराणसी में अंतिम साँस ली।

## 'ग्राम उजाला' योजना

केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में 'ग्राम उजाला' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (CESL) द्वारा पुराने कार्यशील तापदीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केवल 10 रुपए में LED बल्ब प्रदान किये जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम पाँच LED बल्ब ही मिलेंगे। 'ग्राम उजाला' कार्यक्रम का भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अनुमान के अनुसार, यदि भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने में भी मदद मिलेगी। 'ग्राम उजाला' योजना न केवल ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को गति देगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिये जीवन के बेहतर मानक, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र) और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा।

## विश्व गौरैया दिवस

20 मार्च, 2021 को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस (World Sparrow Day) मनाया गया। इस दिवस का आयोजन आम लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। गौरैया की लगातार कम होती जा रही तादाद के मद्देनज़र वर्ष 2010 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 2012 में दिल्ली सरकार ने गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया था। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसायटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा किये गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में शामिल किया है। गौरैया की संख्या में यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। गौरैया 'पासेराडेई' परिवार की सदस्य है। दुनिया भर में गौरैया की 26 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से 5 भारत में पाई जाती हैं।

## बिहार दिवस

22 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएँ दी। यह दिवस राज्य के गठन का प्रतीक है। बिहार दिवस उस तारीख को चिह्नित करता है, जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि में मिलता है। भारतीय संघ के प्रमुख राज्यों में से एक, बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार में कई नदियाँ मौजूद हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण गंगा नदी है। अन्य नदियाँ हैं- सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा आदि। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 55.54 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में: राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी (जहाँ भगवान महावीर ने अंतिम साँस ली और निर्वाण प्राप्त किया), बोधगया, विक्रमशिला (उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष), पटना (पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर) और सासाराम (शेरशाह सूरी का मकबरा) तथा मधुबनी (प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का केंद्र) आदि शामिल हैं।

नोट :

## 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

हाल ही में वर्ष 2019 के लिये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म 'मरक्कर: अरबिक्काडिलिनते सिम्हम' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिये चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार 'छिछोरे' फिल्म को दिया जाएगा। संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी हिन्दी फिल्म 'बहत्तर हूरें' के लिये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिन्दी फिल्म 'भोंसले' और 'धनुष' को तमिल फिल्म 'असुरन' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को मिला है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी की 'ए गांधीयन अफेयर: इंडियाज़ क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा' को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री बी.वी. केसकर थे। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को तब राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था।

## डॉ. राम मनोहर लोहिया

23 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च, 1910 को ब्रिटिशकालीन भारत में संयुक्त प्रांत के अकबरपुर (फैजाबाद ज़िले) में हुआ था। भारतीय समाजवादी राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में डॉ. लोहिया का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्ष 1934 में डॉ. लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के अंतर्गत एक वामपंथी समूह कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी की कार्यकारी समिति में कार्य करने के साथ-साथ उसकी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया, जिसके कारण उन्हें 2 बार क्रमश: वर्ष 1939 और वर्ष 1940 में जेल जाना पड़ा। इसके बाद वर्ष 1942 और वर्ष 1944-46 में उन्हें ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण फिर से जेल जाना पड़ा। वर्ष 1948 में लोहिया एवं अन्य CSP सदस्य कॉन्ग्रेस से अलग हो गए तथा वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने, किंतु वर्ष 1955 में कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने यह पार्टी भी छोड़ दी। वर्ष 1963 में लोहिया लोकसभा के लिये चुने गए और 12 अक्तूबर, 1967 में उनका निधन हो गया।

## विश्व मौसम विज्ञान दिवस

पृथ्वी के वातावरण की रक्षा में आम लोगों की भूमिका के महत्त्व को उजागर करने के लिये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस 23 मार्च, 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की स्थापना को चिह्नित करता है, जो कि 23 मार्च, 1950 को स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह दिवस समाज की सुरक्षा एवं भलाई के लिये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को दर्शाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 की थीम 'द ओशियन, अवर क्लाइमेट एंड वेदर' है। यह विषय सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र के दशक की शुरुआत को दर्शाता है, जो समुद्र विज्ञान हेतु समर्थन जुटाने और सतत् विकास में महासागर विज्ञान की भूमिका को समझने पर केंद्रित है। ज्ञात हो कि महासागर पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है और जलवायु परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## वॉल्कैनिक बॉण्ड

डेनिश रेड क्रॉस, ज्वालामुखी विस्फोटों के लिये विश्व का पहला 'वॉल्कैनिक बॉण्ड' प्रस्तुत करेगा, जिसे तीन महाद्वीपों में 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद मानवीय राहत के प्रावधान और दक्षता में सुधार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के बॉण्ड का उद्देश्य ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सहायता के लिये निवेशकों से 3 मिलियन डॉलर तक का फंड जुटाना है। इस बॉण्ड का उद्देश्य वैश्विक पूंजी बाज़ारों से सहायता जुटाकर आपदा सहायता प्रदान करने की संपूर्ण पद्धति में बदलाव लाना है। ब्लॉकचेन तकनीक और एडवांस मॉडलिंग का उपयोग करके इस बॉण्ड के माध्यम से मानवीय सहायता हेतु एडवांस में धन जुटाया जाएगा और निवेशकों के लिये असंबद्ध रिटर्न की पेशकश करते हुए आपदा के समय सहायता को और अधिक तेज़ी से तथा प्रभावी रूप से जारी करने का प्रयास किया जाएगा। 'वॉल्कैनिक बॉण्ड' के लिये चयनित 10 ज्वालामुखियों को उनके कारण उत्पन्न मानवीय खतरे के आधार पर चुना गया है, इसमें मुख्यत: वे ज्वालामुखी शामिल हैं, जिनमें संभावित विस्फोट क्षेत्र के 60 मील (100 किलोमीटर) के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम-से-कम 700,000 है।

## स्थायी सिंधु आयोग

वर्ष 2018 के बाद भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच वार्षिक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय दल का नेतृत्त्व सिंधु जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना द्वारा किया जा रहा है, साथ ही इसमें केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

और राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सिंधु जल संधि (IWT) दोनों देशों के आयुक्तों के लिये वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक का आयोजन करना अनिवार्य बनाती है, यह बैठक भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। हालाँकि विगत वर्ष की बैठक मार्च 2020 में नई दिल्ली में आयोजित होनी थी, लेकिन महामारी के मद्देनज़र इसे रद्द कर दिया गया था और संधि के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार था, जब बैठक को रद्द किया गया था। अंतिम बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में आयोजित की गई थी। ज्ञात हो कि सिंधु प्रणाली में मुख्यत: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (Basin) को प्रमुखत: भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के जल के विभाजन को लेकर समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं।

## देश का प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क

आंध्र प्रदेश में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने जानवरों हेतु संचालित भारत के पहले 'पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य के पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के लोगों को घर पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की तर्ज पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस (पशु चिकित्सा) क्लीनिक स्थापित किये जाएंगे। ये मोबाइल एम्बुलेंस पशु-चिकित्सा प्राथमिक उपचार सेवाएँ प्रदान करेंगी और इसमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिये भी सुविधाएँ मौजूद होंगी। प्रत्येक मोबाइल एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और एक पैरा-पशु चिकित्सा कार्यकर्त्ता को तैनात किया जाएगा। इन एम्बुलेंस में चौबीसों घंटे टोल-फ्री कॉल सेंटर भी मौजूद होगा।

## फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल (FFV)

सरकार जल्द ही सभी प्रकार के वाहनों में जैव ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये 'फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल' के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम बनाने पर विचार कर रही है। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, वाहनों का एक संशोधित संस्करण है, जिसे पेट्रोल और इथेनॉल दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में इसे ब्राज़ील में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और यह कीमत और सुविधा के आधार पर लोगों को ईंधन (पेट्रोल और इथेनॉल) में परिवर्तन करने का विकल्प प्रदान करता है। ब्राज़ील में बेचे जाने वाले अधिकांश वाहन फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल हैं। मौजूदा नियम पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने की अनुमति देते हैं। हालाँकि कम आपूर्ति और अन्य परिवहन चुनौतियों के कारण 10 प्रतिशत मिश्रित पेट्रोल केवल 15 राज्यों में ही उपलब्ध हो पाता है, जबकि अन्य राज्यों में यह मात्रा 0 से 5 प्रतिशत के बीच है।

## विश्व क्षयरोग दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षयरोग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्षयरोग/तपेदिक से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों में तेज़ी लाना है। गौरतलब है कि वर्ष 1882 में क्षय रोग (TB) के जीवाणु की खोज करने वाले डॉ. रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षयरोग दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च 1882 में ही डॉ. रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षयरोग विश्व में सबसे घातक संचारी रोगों में से एक है। टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़ों की मानें तो अकेले वर्ष 2019 में दुनिया भर में क्षयरोग (टीबी) के कारण कुल 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह क्षयरोग विश्व भर में होने वाली मौतों के प्रमुख 10 कारणों में से एक है। इस वर्ष विश्व क्षयरोग दिवस का विषय है- 'द क्लॉक इज़ टिकिंग', जो कि इस ओर इशारा करता है कि क्षयरोग को समाप्त करने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय बीतता जा रहा है।

## मुत्थुस्वामी दीक्षितर

24 मार्च, 2021 को कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ मुत्थुस्वामी दीक्षितर की जयंती मनाई गई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुत्थुस्वामी दीक्षितर एक कवि, गायक और वीणावादक भी थे। उनकी 500 से अधिक ज्ञात शास्त्रीय संगीत रचनाओं में देवी-देवताओं और मंदिरों का काव्यात्मक चित्रण मिलता है, मुत्थुस्वामी दीक्षितर की अधिकांश रचनाओं को संगीत समारोहों में गाया जाता है। उनकी अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं। मुत्थुस्वामी दीक्षितर ने अपनी कुछ कृतियों की रचना संस्कृत और तमिल भाषाओं के संगम मणिप्रवालम में भी की है। मुत्थुस्वामी दीक्षितर का जन्म 24 मार्च, 1776 को तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले के तिरुवरूर शहर में हुआ था। मुत्थुस्वामी दीक्षितर को संस्कृत भाषा, धार्मिक ग्रंथ और

मौलिक संगीत के ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त हुई, जो कि स्वयं एक प्रख्यात विद्वान थे। मुत्थुस्वामी दीक्षितर ने अपनी संगीत रचनाओं में विभिन्न मंदिरों के इतिहास और उनकी पृष्ठभूमि को भी उजागर किया है, इस प्रकार उन्होंने इन पुराने मंदिरों में कई रीति-रिवाजों के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक संगीत की रचना में मुत्थुस्वामी दीक्षितर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

## असम राइफल

24 मार्च, 2021 को गृहमंत्री ने असम राइफल के 186वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्द्ध-सैनिक बलों में से एक है जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ 'कछार लेवी' के रूप में स्थापित किया गया था। इस सैन्य बल को वर्ष 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन बटालियनों का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स बटालियन को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया था। अब तक इस बल ने दो विश्व युद्धों और वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में हिस्सा लिया है, साथ ही इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद से असम राइफल्स ने 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, पाँच वीर चक्र और चार अशोक चक्र जीते हैं।

## व्यास सम्मान

जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास 'पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी' के लिये वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। यह पुरस्कार के.के. बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसमें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाता है। शरद पगारे के ऐतिहासिक उपन्यास 'पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी' का प्रकाशन वर्ष 2010 में हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे प्रोफेसर शरद पगारे के अन्य प्रमुख उपन्यासों में गुलारा बेगम, गंधर्वसेन, बेगम जैनाबादी, उजाले की तलाश और ज़िंदगी एक सलीब-सी आदि शामिल हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यकार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास 'कागज़ की नाव' के लिये 'व्यास सम्मान' हेतु चुना गया था।

## ट्यूलिप गार्डन

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिये खोला गया है। श्रीनगर के इस ट्यूलिप गार्डन में इस समय विभिन्न रंगों के लाखों ट्यूलिप फूल मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारों पर ज़बरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित गार्डन में ट्यूलिप के रंग-बिरंगे फूलों का इंद्रधनुष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। कश्मीर के इस प्रतिष्ठित ट्यूलिप गार्डन में 1.5 मिलियन से अधिक ट्यूलिप पौधे मौजूद हैं। ज़बरवान पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष 64 से अधिक किस्में मौजूद हैं। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित गया था। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा फूलों की कई अन्य प्रजातियाँ जैसे- जलकुंभी, डैफोडिल्स और रेननकुलस आदि भी मौजूद हैं। ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बगीचे में फूलों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। यह कश्मीर घाटी में वसंत के मौसम की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है।

## यूएस-इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग

हाल ही में भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अतिवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित 'यूएस-इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग' को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। 'यूएस-इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग' ओबामा प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इस प्रकार का पहला डायलॉग मई 2011 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2013 में आयोजित दूसरे 'यूएस-इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग' के बाद से इस प्रकार के मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन नहीं किया गया है, हालाँकि संवाद के हिस्से के रूप में स्थापित कार्य समूह विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन की शुरुआत के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि हाल ही में क्वाड देशों (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर चार क्वाड देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का प्राथमिक विषय रहा।

नोट :

## भारतीय तटरक्षक जहाज़ 'वज्र'

भारतीय तटरक्षक जहाज़ 'वज्र' को चेन्नई में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। यह तटरक्षक जहाज़ लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित सात ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) की शृंखला में छठे स्थान पर है। 98 मीटर के इस तटरक्षक जहाज़ को अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी आदि से सुसज्जित किया गया है। यह जहाज़ अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित है और इसे एक ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर तथा चार तीव्र गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। जहाज़ का उपयोग खोज एवं बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त में भी किया जा सकता है। यह जहाज़ समुद्र में तेल रिसाव की स्थिति में प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। 'वज्र' तटरक्षक जहाज़ को मुख्य तौर पर भारतीय तटीय क्षेत्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी के लिये नियुक्त किया जाएगा। विदित हो कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, किसी देश की बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

## डॉ. विवेक मूर्ति

भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। विदित हो कि डॉ. विवेक मूर्ति इससे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान भी सर्जन जनरल का पदभार संभाल चुके हैं, हालाँकि उन्हें वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान पद से हटा दिया गया था। डॉ. विवेक मूर्ति पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक और पूर्व वाइस एडमिरल रह चुके हैं। सर्जन जनरल के रूप में डॉ. विवेक मूर्ति का प्राथमिक कार्य अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को सीमित करना होगा। 10 जुलाई, 1977 को हडर्सफील्ड (यॉर्कशायर) में जन्मे डॉ. मूर्ति का पालन-पोषण फ्लोरिडा के मियामी में हुआ था। इससे पूर्व नवंबर 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉ. विवेक मूर्ति को अपने कोविड-19 सलाहकार बोर्ड का सह-अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी।

## महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार

सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 के लिये राज्य के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने वर्ष 2020 के लिये आशा भोसले का चयन किया है। ज्ञात हो कि आशा भोसले की बहन लता मंगेशकर को वर्ष 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा आशा भोसले को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2011 में आशा भोसले ने आधिकारिक तौर पर संगीत इतिहास में सबसे अधिक बार रिकॉर्ड होने वाली कलाकार का खिताब हासिल किया था और उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाया है। उनकी रचनाओं में फिल्म संगीत, गज़ल, भजन, पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, कव्वाली और रवींद्र संगीत आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1996 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपलब्धियों और कार्यों को पहचान प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया था, इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

## विश्व रंगमंच दिवस

आम लोगों को रंगमंच के विभिन्न पहलुओं और इसके महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिये प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना इंटरनेशनल थियेटर इंस्टीट्यूट (ITI) द्वारा की गई थी और इस दिवस का आयोजन पहली बार 27 मार्च, 1962 को पेरिस में किया गया था। प्रथा के अनुसार, इस दिन किसी थियेटर के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा रंगमंच की मौजूदा स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए संदेश दिया जाता है। वर्ष 1962 में पहला विश्व थियेटर दिवस संदेश जीन कोक्टयू द्वारा दिया गया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के सबसे प्रसिद्ध थियेटर कलाकार गिरीश कर्नाड ने दिया था। नाटक अथवा थियेटर रंगमंच से जुड़ी एक विधा है, जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस संदर्भ में शेक्सपियर की निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं-

'यह दुनिया एक रंगमंच है और सभी स्त्री-पुरुष सिर्फ पात्र हैं'।

नोट :

## अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिये एक किफायती किराए के आवास की योजना शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। राज्य सरकार की इस आवासीय योजना के तहत छात्र, शहरी प्रवासी, गरीब मज़दूर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को वरीयता प्रदान की जाएगी। योजना को मुख्यत: दो मॉडलों में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के तहत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली मकानों को योजना में शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे मॉडल के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर मकानों का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। योजना के तहत केवल 25 वर्ष के लिये ही मकान किराये पर दिया जाएगा।

## इथेनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2021

हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2021 नामक अपनी स्वयं की इथेनॉल नीति को मंज़ूरी दे दी है, जिससे बिहार इस प्रकार की नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार की इस नई नीति के तहत जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018) और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी प्रकार के फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन को मंज़ूरी दी गई है। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति, 2021 के तहत नई इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उन्हें संयंत्र और मशीनरी की लागत का अधिकतम 5 करोड़ तक 15 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह पूंजीगत सब्सिडी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत मौजूदा प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी।

## शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर (गोरखपुर चिड़ियाघर) का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस परियोजना की परिकल्पना तकरीबन एक दशक पूर्व मई 2011 में की गई थी, किंतु राज्य की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2017 में इस परियोजना के कार्य को पुन: शुरू किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह चिड़ियाघर पूर्वांचल क्षेत्र में रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, गोरखपुर चिड़ियाघर में अधिकांश जानवरों को लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघर से लाया गया है। साथ ही इस चिड़ियाघर में इज़रायल से ज़ेबरा लाए गए हैं, जो कि पर्यटकों के लिये आकर्षण का प्राथमिक केंद्र होगा। अब तक इस चिड़ियाघर में कुल 151 जानवरों को लाया गया है और इस संख्या को 400 तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया है। 22 अक्तूबर, 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्मे अशफाक उल्ला खान को 'काकोरी डकैती' में शामिल होने के चलते राम प्रसाद 'बिस्मिल', राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह के साथ मौत की सज़ा दी गई थी।

## माउंट मेरापी

इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट मेरापी' में हाल ही में पुन: विस्फोट हुआ है। 2,968 मीटर (9,737 फुट) ऊँचा यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और बीते कुछ वर्षों के दौरान इसमें लगातार विस्फोट होता रहा है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी में हुए बड़े विस्फोट में 347 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीपसमूह है, जिसके 'रिंग ऑफ फायर' या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व माउंट मेरापी में इसी वर्ष जनवरी माह में विस्फोट देखा गया था।

## मिताली एक्सप्रेस

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा संयुक्त तौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। दोनों पड़ोसी देशों (भारत और बांग्लादेश) के बीच चलने वाली 'मैत्री एक्सप्रेस' (ढाका-कोलकाता) और 'बंधन एक्सप्रेस' (खुलना-कोलकाता) के बाद यह तीसरी यात्री ट्रेन है। 'मिताली एक्सप्रेस' नामक यह ट्रेन बांग्लादेश के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन, चिल्हाटी से होते हुए पश्चिम बंगाल की ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच संचालित की जाएगी। ढाका और चिल्हाटी के बीच की दूरी लगभग 453 किलोमीटर है और चिल्हाटी से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी लगभग 71 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच चलने वाली इस द्वि-साप्ताहिक ट्रेन से दोनों देशों में पर्यटन को काफी अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व बीते वर्ष भारत और बांग्लादेश ने 55 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद मालगाड़ियों की आवाजाही के लिये 'हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी मार्ग' पर परिचालन शुरू किया था।

## भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उल्लंघन के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने 'व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति' की जाँच का आदेश दिया है। आयोग के मुताबिक, व्हाट्सएप की मौजूदा नीति उपयोगकर्त्ताओं को यह विकल्प चुनने की अनुमति देती है कि वे अपना डेटा व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साझा करना चाहते हैं अथवा नहीं, किंतु नवीनतम गोपनीयता नीति फेसबुक के साथ इस तरह के डेटा साझाकरण को अनिवार्य बनाती है। व्हाट्सएप की नई नीति ने' फेसबुक के साथ उपयोगकर्त्ता द्वारा डेटा को साझा करने की सहमति देना व्हाट्सएप की सेवा प्राप्त करने हेतु एक पूर्व शर्त बना दिया है, जो कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 का उल्लंघन करती है। इसके अलावा आयोग ने कंपनी द्वारा किये जा रहे डेटा संग्रहण को लेकर भी चिंता ज़ाहिर की है। नई नीति के मुताबिक, व्हाट्सएप भुगतान, भाषा तथा समय क्षेत्र, डिवाइस संचालन और उपयोगकर्त्ता के स्थान आदि से संबंधित सूचना एकत्र करेगा।

## राजस्थान दिवस

30 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति ने राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। राजस्थान दिवस का आयोजन राज्य के गठन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को किया जाता है। राजस्थान, आधिकारिक तौर पर 30 मार्च, 1949 को तब अस्तित्व में आया, जब इस राजपूताना क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया था। ज्ञात हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सातवीं शताब्दी में यहाँ चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और बारहवीं शताब्दी तक उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए और वर्ष 1935 में अंग्रेज़ी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिये आंदोलन और तेज़ हो गया। वर्ष 1948 में बिखरी हुई विभिन्न रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो वर्ष 1956 में राज्य में पुनर्गठन कानून लागू होने तक जारी रही। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है, जबकि उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात है। राजस्थान भौगोलिक रूप से कुल 9 क्षेत्रों में विभाजित है और ये सभी क्षेत्र विरासत और कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। राज्य में कुल दो नेशनल टाइगर रिज़र्व हैं- सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और अलवर में सरिस्का टाइगर रिज़र्व। राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी।

## रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

भारत के विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने सूचित किया है कि भारत, बांग्लादेश को दी गई क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिये ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में सहायता करेगा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइनों को भारतीय कंपनियों द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत विकसित किया जाएगा। इन ट्रांसमिशन लाइनों का मूल्य लगभग 1 बिलियन डॉलर से अधिक होगा। ज्ञात हो कि बांग्लादेश की सरकार, पद्मा नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित रूपपुर में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रही है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो इकाइयाँ शामिल होंगी, रूपपुर यूनिट-1 और रूपपुर यूनिट-2, और इन दोनों की क्षमता 1.2GW होगी। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की शुरुआत

वर्ष 2013 में हुई थी और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। इस परियोजना का कार्यान्वयन बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किया जा रहा है। यह नया संयंत्र बांग्लादेश की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और उसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। साथ ही इस परियोजना में भारत की हिस्सेदारी दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मज़बूत करेगी।

## 'ट्राइबल टीबी' पहल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने हाल ही में टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 'ट्राइबल टीबी' पहल की शुरुआत की है। विदित हो कि भारत में 104 मिलियन से अधिक जनजातीय आबादी रहती है, इसमें 705 जनजातियाँ शामिल हैं और यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। 177 जनजातीय ज़िलों की पहचान उच्च प्राथमिकता वाले ज़िलों के रूप में की गई है, जहाँ की आबादी कुपोषण, जीवन की बदहाल स्थिति और जागरुकता के अभाव के कारण टीबी के प्रति काफी संवेदनशील है। इस पहल के तहत प्रारंभ में 18 चिह्नित राज्यों के 161 ज़िलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन ज़िलों में उन्नत संवेदनशीलता मैपिंग तकनीक, स्वच्छता संगठन और वॉलंटियर्स के लिये क्षमता निर्माण का आयोजन, समय-समय पर टीबी के सक्रिय मामलों की खोज हेतु अभियान, संवेदनशील आबादी की पहचान के लिये टीबी प्रिवेंटिव थैरेपी के प्रावधान लागू करने और संवेदनशीलता को कम करने हेतु दीर्घकालिक तंत्र विकसित करने आदि पर ज़ोर दिया जाएगा।

## 'एको' और 'बीफरोस्ट' अंडरवाटर केबल परियोजना

दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और गूगल दक्षिण-पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिये दो नए अंडरवाटर इंटरनेट केबल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंगापुर और इंडोनेशिया में और अधिक तेज़ गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। इसमें पहली अंडरवाटर केबल परियोजना- 'एको' है, जो कि सिंगापुर को प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका से जोड़ेगी। इस परियोजना में 'फेसबुक' और 'गूगल' द्वारा संयुक्त रप से निवेश किया जाएगा, जबकि दूसरी अंडरवाटर केबल परियोजना- 'बीफरोस्ट' है, जो कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र को अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ेगी। इस परियोजना को 'फेसबुक' द्वारा क्षेत्रीय कंपनियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा।